असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

03 दिसम्बर, 2021

सप्दश विधान सभा — शुक्रवार, तिथि 03 दिसम्बर, 2021 ई0
चतुर्थ सत्र — 12 अग्रहायण, 1943 (शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय- 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।
अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिए जायेंगे ।

श्री महबूब आलम : महोदय, कल जो घटना घटी दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक, मंत्री का जो अपमान हुआ और सदन में यह बात उठी, इसका जवाब सदन में आना चाहिए, महोदय ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, कार्य-स्थगन की सूचना हमने दी है ।

अध्यक्ष : समय पर, समय पर सुना जायेगा ।

श्री महबूब आलम : महोदय, कल की घटना को चुपचाप दबाया नहीं जा सकता है । महोदय, कल जो बातें हुई, उस शर्मनाक घटना को पूरी दुनिया ने देखा । महोदय, जब मंत्री का अपमान हुआ तो कल क्या कार्रवाई हुई, उसका अद्यतन जवाब मंत्री दें, सरकार दे, आपके माध्यम से हम जवाब चाहते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सदस्यगण, बैठ जाइये । बैठ जाइये ।
कल की घटना पर सर्वदलीय बैठक हुई, कार्य-मंत्रणा समिति की भी बैठक में चर्चा हुई । शाम को हमलोगों ने डी0जी0पी0 और अपर गृह सचिव को भी बुलाकर निर्देशित किया है कि पूरी घटना की जांच कर आप रिपोर्ट दें । माननीय मंत्री जी जो गृह विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में सदन में जवाब देते हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री सभी लोग थे, बातचीत हुई है, हमने कहा है कि इसको देख कर उचित कार्रवाई करें ।

श्री महबूब आलम : क्या जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है महोदय ?

अध्यक्ष : आप सुने नहीं क्या ?

श्री महबूब आलम : मैंने सुना लेकिन यह जांच की प्रक्रिया, महोदय, यह सदन में तय होना चाहिए, कार्रवाई की घोषणा सदन में होनी चाहिए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अल्पसूचित प्रश्न लिए जायेंगे । श्री अरूण शंकर प्रसाद । हरिभूषण ठाकुर जी प्राधिकृत हैं ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–19, श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र सं0–33, खजौली)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : 1– आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

राज्य के सरकारी आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के निमित संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है । साथ ही, उच्चतर पदों के रिक्त पदों पर सहायक प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक को पदनामित किया गया है । शेष रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है ।

2– अस्वीकारात्मक है ।

राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना एवं बेगूसराय में शैक्षणिक कार्य संचालित है एवं छात्रों के पढ़ाई एवं शोध में सहायक सिद्ध हो रही है । छात्रों को शोध करने हेतु आयुर्वेदिक एवं अनुसंधान इकाई भी संचालित है । आगामी सत्र में दरभंगा आयुर्वेदिक महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य प्रारंभ करने हेतु कार्रवाई की जा रही है जिस कारण दरभंगा आयुर्वेदिक महाविद्यालय में भी शिक्षकों का पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति की गयी है । रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना प्रेषण की कार्रवाई की जा रही है । राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय बक्सर एवं भागलपुर में शैक्षणिक कार्य प्रारंभ करने हेतु विभाग स्तर पर विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है ।

3– उपर्युक्त कंडिका में स्पष्ट कर दिया गया है ।

श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचोल' : जी । अध्यक्ष जी, इसका जवाब मिल चुका है और आयुर्वेद की महत्ता को इस कोरोना काल में सबने देखा है । महोदय, सरकार कब तक इन तीनों विश्वविद्यालय को खोलना चाहती है ?

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये । किस से रात में बात हुई, आप आसन पर जाकर बोलिए, आसन पर जाकर बोलिए न, क्या कह रहे हैं, यहां पर सुनाई नहीं दे रहा है, आसन से माइक पर बोलिए । आसन पर जाकर क्या कहना है बोलिए । माननीय सदस्य, महबूब जी आसन पर जाकर बोलिए, आसन से माइक पर बोलिएगा तो सुनेंगे । यहां से सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी प्रोसीडिंग में नहीं जायेगा । निश्चित तौर पर, सदन की गरिमा के लिए

आप इतना चिंतित हैं, तो आसन पर जाइये और वहां से बोलिए । आप इस गरिमा को बरकरार रखिए । आसन पर जाइये, आसन से बोलिए । जाइये अमरजीत जी, आसन पर जाकर बोलिए । सुदामा जी, एकदम, चलिए, आपसे ज्यादा आसन गंभीर है ।

एक मिनट, बैठ जाइये सब लोग । मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहिए लेकिन मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए । बैठ जाइये ।

(इस अवसर पर सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये ।)

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सीनियर मेम्बर बोल रहे हैं तो एक बार थोड़ी शांति से बैठ जाइये ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, कल की घटना काफी शर्मनाक है और सदन के माननीय सदस्यों से जुड़ी हुई है । आप आसन पर बैठे हुए हैं, आप सबके संरक्षक हैं । इसलिए जो कार्य-मंत्रणा समिति में आपके चेम्बर में जो बैठक हुई और बैठक में किस निष्कर्ष पर आप पहुंचे, क्या आप जांच कमेटी बना दिये हैं ? क्या जांच की कार्रवाई शुरू हो गयी है ? आपका संरक्षण मिलना चाहिए और मैं चाहूंगा कि आप आसन से बतावें कि कार्य मंत्रणा समिति में उस संदर्भ में जो माननीय मंत्री के साथ घटना घटी, क्या निर्णय लिया गया है, यह सदन और मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये । माननीय सदस्यगण, आज सिवान जिला के विभिन्न स्कूलों के बच्चे यहां सदन की कार्यवाही देखने आये हैं । उन्होंने अपने यहां बड़े ही जीवंत अंदाज में युवा संसद का आयोजन किया था । इन्हें वास्तविक रूप में सदन को देखने के लिए मैंने आमंत्रित किया है । ये बच्चे हमारे भविष्य हैं और संसदीय परंपरा को मजबूती प्रदान करने के लिए इन बच्चों को सदन का अनुभव प्राप्त हुआ है । बिहार अपनी बौद्धिक विरासत के लिए विश्व विख्यात रहा है । रत्नगर्भा बिहार की धरती ने एक से बढ़कर एक मनुष्यों और विद्वानों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने सुकर्म से मातृभूमि का गौरव बढ़ाया है । आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद की जयंती है । इनका जन्म 03 दिसम्बर, 1884 को सिवान के जीरादेई में हुआ था । बाल्यकाल से ही वे मेधावी थे। Examinee is better than examiner सिर्फ उनकी ही उत्तर पुस्तिका में लिखा गया । वह एक प्रसिद्ध वकील भी थे । 1917 से चंपारण सत्याग्रह, 1931 में हुए सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई । देश को आजादी दिलाने में उनका अविश्वसनीय योगदान था । वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, स्वतंत्रता मिलने के बाद वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य रहे, वह भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति भी रहे । राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश को 26.01.1950 से

13.05.1962 तक अपनी सेवा दी । देशरत्न डॉ0 राजेन्द्र बाबू सादगी और सौम्यता की प्रतिमूर्ति थे । महलों का वैभव उन्हें छू नहीं सका । वह आजीवन सादा जीवन उच्च विचार के दर्शन पर चलते रहे । देशरत्न डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद बाबू की जयंती पर हम संपूर्ण सदन की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं और गणतंत्र के सबसे बड़े पुरोधा की जयंती पर हम सब अपनी बात को रखेंगे, बड़ी ही गंभीरता के साथ और पूरे विषय से, मैं अवसर दूंगा अगर प्रश्न के बजाय आप इसी पर बात रखना चाहते हैं तो गणतंत्र, जनतंत्र की मजबूती के लिए, सदन की मर्यादा के लिए, सदस्यों के सम्मान के लिए उसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है ।

मुझे सदन को यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज सदन की सदस्या सुश्री श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला में आयोजित 64वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की ट्रैप स्पर्द्धा में बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीतकर इस सदन और बिहार का मान गौरव बढ़ाया है ।

टर्न–2/हेमन्त/03.12.2021

...क्रमशः..

अध्यक्ष : सुश्री श्रेयसी सिंह अनगिनत खिलाड़ियों की प्रेरणा हैं । मैं सदन और सम्पूर्ण बिहारवासियों की ओर से माननीय सदस्या सुश्री श्रेयसी सिंह जी को इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं ।

माननीय उप मुख्यमंत्री जी, एक बार सरकार की ओर से आप बता दें ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल की घटना पर कार्यमंत्रणा समिति में हम सब बैठे थे और उसके बाद संध्याकाल में भी आपके कक्ष में हम सब बैठे थे और माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ने स्पष्ट तौर पर पूरी घटनाक्रम की जांच का निदेश भी वरीय अधिकारियों को दिया है । प्रतिवेदन आयेगा, तो उसके आधार पर कार्रवाई होगी ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के साथ घटना घटी और जांच चलती रहे ? यह तो तत्काल होना चाहिए । यह कोई अच्छी बात नहीं है, यह सदन की गरिमा के खिलाफ है, मंत्री की गरिमा के खिलाफ है । तुरंत जांच करके फैसला लीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जब आसन की अनुमति हो तभी बोलें, पहले उनको बोलने दीजिए ।

श्री शकील अहमद खाँ : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही आग्रह से यह बात कहता हूं कि कल की जो घटना है वह एकमात्र नजीर नहीं है, बल्कि प्रशासनिक तंत्र के इनडिसिप्लिन और दबंगई, प्रदेश के तमाम लोग जो यहां रिप्रजेंट करते हैं, राईट फ्रॉम बिलो टू अपर हमको देखने को मिलती है । यह सबको पता है कि ब्लॉक्स से लेकर अपने जिले के दफ्तर तक हम किस तरह से नमन करके जाते हैं अफसरान के पास । इनडिसिप्लिन की एक नजीर कल भयावह तरीके से उसकी शक्ल सामने आयी है । कल जो यहां डायलॉग हुआ और जिसकी बुनियाद में हम शर्मसार हुए । आपने कई तरह की मीटिंग्स की हैं और उसकी बुनियाद पर मुझे विश्वास है कि सही नतीजा निकलेगा । क्या यह सही है कि दोनों माननीय ऑफिसरान भी मंत्री जी से मिले हैं, देर रात को मिले हैं ? क्या यह सत्य है ? अगर यह सत्य है, तो मंत्री जी भी बतायें कि आपसे पर्सनलाईज तरीके से क्या बातें हुईं ? क्योंकि आपने सार्वजनिक तरीके से ये बातें कही हैं । वहां पर क्या बातें हुईं और दूसरी बात यह है कि, क्योंकि मीडिया वाले यह पूछ रहे हैं कि रात के अंधेरे में दोनों हमारे रेस्पेक्टेड अधिकारी मिले हैं, तो क्या बातें हुईं, किस तरह का विश्लेषण हुआ और आपकी जांच कब तक चलेगी, उसकी भी कोई समय-सीमा दे दी जाय, तो उससे सदन के जितने लोग हैं उनको एक तरह के सुख की प्राप्ति होगी । धन्यवाद ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप और महबूब जी में कोई एक बोलियेगा ।

श्री सत्यदेव राम : मेरा है महोदय...

अध्यक्ष : पहले महबूब जी को बोलने दीजिए, आप बैठ जाइये, वह आपके नेता भी हैं ।

श्री महबूब आलम : महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो जानकारी दी, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में मैं भी था और उस समिति में क्या बातें हुईं एक और मंत्री कह रहे थे मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा कि इस तरह से हम लोग कई बार पदाधिकारियों से अपमानित होते रहते हैं और शर्म से यह बात हम उठाते नहीं हैं । कल हुई कि नहीं यह बात ? कल यह बात हुई है महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री महबूब आलम : महोदय, जिले का जो सबसे बड़ा पदाधिकारी है, उसने जो अपराध किया उसकी जांच किस एजेंसी के जरिये हो रही है ? सदन के अंदर की बात है, तो सदन की कमिटी बनेगी, माननीय अध्यक्ष महोदय ने कोई निजी कमिटी बनायी है या सरकार ने कोई कमिटी बनायी है, तो कौन-सी वह एजेंसी है, इसका जवाब मिलना चाहिए, महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है । आप बोलिये पर एक मिनट से ज्यादा नहीं ।

श्री रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, ये जांच की बात जो हो रही है, इन्होंने तो खुद कहा है कि हमारे साथ यह घटना घटी, तो जांच किस बात की हो रही है ? इसका मतलब मंत्री की बात पर भरोसा नहीं है ?

अध्यक्ष : बैठ जाइये । आप बोलिये पर एक मिनट में ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो घटना घटी और सदन के अंदर माननीय मंत्री जी ने अपने दर्द और अपनी पीड़ा को रखा और उनकी पीड़ा सिर्फ उनकी पीड़ा नहीं थी बल्कि उनकी पीड़ा सदन के सभी सदस्यों की पीड़ा थी । जब एक मंत्री के साथ यह घटना घट सकती है, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सदन में बैठे हुए लोग और आम जनता के साथ क्या घटनाएं घट रही होंगी । इसीलिए मैं साफ तौर पर यह मांग करना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि आप किस एजेंसी से जांच करवा रहे हैं और वह जांच कब तक चलेगी ? यह साफ-साफ इस सदन को बताया जाय ।

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये । सत्यदेव जी अपनी बात को आधा मिनट में रखिये ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मैं इतना ही भर कहना चाहता हूं कि जांच चल रही है या होगी, तत्काल प्रभाव से डी0एम0, एस0पी0 को बर्खास्त कर दिया जाय । ताकि जांच सही हो, सस्पेंड करिये । बर्खास्त नहीं, सस्पेंड करके ही जांच करिये, तभी सही जांच हो पायेगी ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये, आधा मिनट हो गया ।

श्री सत्यदेव राम : इसलिए सदन से और सरकार से....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे जी ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, कल जो मामला जिवेश मिश्रा जी ने उठाया उस पर कोई चर्चा, जिवेश मिश्रा जी स्वयं अधिकारियों से बात करके तय नहीं कर सकते । वह इश्यू सदन की प्रोपर्टी है । मेरा सुझाव होगा कि सदन की कमिटी बनाकर इस मामले की जांच हो, मामले की लीपापोती नहीं हो । ऐसे कई पूर्व उदाहरण हैं, सदन की कमिटी में कई पक्ष के लोग रहेंगे, सदन की कमिटी से इसकी जांच करायी जाय ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

आप तो बोल ही चुके ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधान सभा और लोक सभा के माननीय सदस्यों का मान-सम्मान तय है और सरकार के मंत्री ने जो कुछ कहा है, वह सरकार का बयान है । हम सरकार के मंत्री पर विश्वास करते हैं लेकिन मैं कल से जो दृश्य देख रहा हूं, अपोजिशन के लोग ही इस मामले को उठा रहे हैं । मंत्री की आंखों में आंसू देखकर अपोजिशन के लोगों की तो जान छलक गयी लेकिन संवेदनहीनता की इंतेहा हो

गयी है कि सत्ता पक्ष के लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं । क्या मामला है, सत्ता पक्ष के लोगों की संवेदनहीनता पर दुखी हूं और मामला यह है कि 24 घंटे के अंदर फैसला होना चाहिए था । अगर मंत्री जी पर हुए अत्याचार का फैसला नहीं हो पा रहा है...

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये । ललित जी आप बोलिये ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, कल सरकार की आंख में आंसू था और यह प्रशासनिक तंत्र का, मंत्री के द्वारा सदन में जो वक्तव्य दिया गया तो सदन में रिकॉर्ड हो गया है । महोदय, पूरे सदन के लोग इससे मर्माहत हैं और आसन से जो निर्णय दिया गया है कि जांच चल रही है । आप इतना तो कर देते कि सदन की कमिटी से जांच करवा देते । कोई माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है । मंत्री जी के साथ और भी मंत्री के साथ और कई माननीय सदस्यों के साथ इस तरह की घटना घटित हुई है, महोदय । बहुत लोग शर्म से नहीं बोलते हैं, जिवेश मिश्रा जी को हम धन्यवाद देते हैं कि सरकार में मंत्री रहते हुए भी अपनी पीड़ा को सदन में रखा । महोदय, यदि इतने गंभीर मामले को इतने हल्के रूप में लिया जायेगा तो हम लोग इससे मर्माहत हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण..

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, इसलिए आसन से कोई नियमन होना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति से सुनिये ।

श्री नन्द किशोर यादव : माननीय अध्यक्ष जी, कल की घटना के बारे में लोगों ने विचार व्यक्त किये हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन एक अच्छी बात इस सदन में हो रही है कि विरोधी दल के जितने सदस्य खड़े हुए, सबने इस बात पर भरोसा किया है कि आप हमेशा सदस्यों के मान-सम्मान की चिंता करते रहते हैं और लोग यह भी कह रहे हैं कि आप कस्टोडियन हैं । जब आपने स्वयं इस पर पहल की है, सर्वदलीय बैठक की है, अधिकारियों के साथ बैठक की है, सरकार के लोगों ने भी निदेश दिया है । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि माननीय विधान सभा अध्यक्ष पर भरोसा करिये और जो यह निर्णय करेंगे, मुझे लगता है कि जब मान-सम्मान की रक्षा का वचन दिया हैं इन्होंने, तो प्रोपर निर्णय करेंगे, मेरा आग्रह होगा कि इस विषय को अब सार्वजनिक करने के बजाय...

(व्यवधान)

पहले मेरी बात सुनिये, यह कोई बात नहीं हुई, यह कोई बात नहीं हुई । विषय की बात सुनिये ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब शांति से सुनिये । देखिये, सबको बोलने का मौका दिया गया है, आप लोगों ने भी बोला है, तो शांति से लोगों ने सुना है ।

श्री नन्द किशोर यादव : यह नहीं हो सकता कि सिर्फ आप लोग बोलेंगे कोई दूसरा नहीं बोलेगा । यह नहीं हो सकता ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : यह उचित नहीं है, आपस में टोका-टोकी नहीं करें ।

(व्यवधान जारी)

श्री नन्द किशोर यादव : जी नहीं, ऐसा मत करिये, आपसे ज्यादा बोल सकते हैं हम । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि इस विषय को दूसरी ओर ले जाने की कोशिश न की जाय, चूंकि यह सदस्यों के मान-सम्मान का सवाल है और माननीय विधान सभा अध्यक्ष हम सबके कस्टोडियन हैं और खुद इन्होंने पहल की है ।

टर्न-3/धिरेन्द्र/03.12.2021

क्रमशः....

श्री नंदकिशोर यादव : माननीय विधान सभा अध्यक्ष हम सब के कस्टोडियन हैं और खुद इन्होंने पहल की है तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि माननीय विधान सभा अध्यक्ष पर भरोसा किया जाय और इनको निर्णय करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाय ।

श्री महबूब आलम : महोदय...

अध्यक्ष : आप बोल...

श्री महबूब आलम : महोदय, इससे पहले भी सदस्यों के साथ जो अपमानजनक हरकत कभी की है लोगों ने, डी0एम0 ने...

अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं....

श्री महबूब आलम : उस डी0एम0 को बुलाकर अध्यक्ष महोदय के...

अध्यक्ष : अब सुन लीजिये...

श्री महबूब आलम : चेम्बर में बुलाकर उनको ....

अध्यक्ष : अब सुन लीजिये, महबूब जी बैठिये...

श्री महबूब आलम : इसलिए महोदय, ये अन्यथा हमलोग नहीं ले रहे हैं...

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण...

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये न, बात तो आपकी आ गई है....

श्री महबूब आलम : महोदय, ये अन्यथा हमलोग नहीं ले रहे हैं, ये मंत्री के मान-सम्मान की...

अध्यक्ष : सभी के विषय से आसन...

(व्यवधान)

बैठ जाइये । माननीय सदस्य...

(व्यवधान)

अब आपको क्या है ? बोलिये ।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो घटना हुई है, निश्चित रूप से यह घटना सही है तो शर्मनाक है, अगर....

(व्यवधान)

अच्छा सुन लीजिये, सुन लीजिये...

अध्यक्ष : बैठ जाइये । शांति से बैठ जाइये ।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह : पूरी बात सुन लीजिये...

(व्यवधान)

और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन इसका अपोजिशन के लोग भी जिस तरह से अध्यक्ष महोदय के साथ, जिस तरह से रूम में बंद कर चारों तरफ से, जिस तरह की घटना हुई थी, वह दुर्भाग्यपूर्ण था ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, ज्ञानेन्द्र जी ।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह : ये लोग राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, अपोजिशन के लोगों के दिल में है नहीं, सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं इसकाख़

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह : ये सरासर इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण...

(व्यवधान)

डॉ0 संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस पर कहना है । मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूँ कि यह जांच का जितना बड़ा विषय बोला जा रहा है, यह क्रिस्टल क्लियर है कि क्या हुआ है, कल सभी ने यह देखा है । मैं आग्रह करता हूँ कि जो दोषी अधिकारी हैं, और सिर्फ सिपाही पर कार्रवाई नहीं हो अधिकारी पर भी कार्रवाई हो और एक सदन की कमेटी बनाकर इस पर कार्रवाई हो । यह पदाधिकारी हर वक्त मदद करेंगे, अगर वह पदाधिकारियों कि.....

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय सदस्यगण, अब सुन लीजिये । यह सदन बिहार की जनता की आकांक्षाओं का मंदिर है । अब सुन लीजिये...

(व्यवधान)

जनता की आकांक्षा तब पूरी होगी जब हम मर्यादा की सीमा में रहेंगे और हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरगामी सोच रखी थी और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग-अलग स्वतंत्र अस्तित्व वाला बनाया था । तीनों की अपनी-अपनी सीमाएं हैं, अपनी मर्यादा है, साथ ही ऐसी व्यवस्था की थी कि तीनों एक-दूसरे के पूरक हों, फिर भी देश में लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने विधायिका को श्रेष्ठता प्रदान की और उसे कानून बनाने वाली संस्था के रूप में निर्मित किया । साथ ही सीधे निर्वाचन से आने वाले लोगों को, चूंकि ये जनता से सीधे जुड़े हुए हैं और उनके प्रतिनिधि होते हैं इसलिए उन्हें विभिन्न प्रकार से संरक्षण भी दिया । फिर भी, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो विधायिका की मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है । हम अपनी मर्यादा समझें, दूसरे लोगों की जो मर्यादा है उसको भी समझें । जहां तक मैं समझता हूँ कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते और समझते हैं, सदैव दूसरों की मर्यादा का भी ख्याल रखते हैं । आपके द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष होने के नाते आपकी मर्यादा और इस सार्वभौम सदन की मर्यादा अक्षुण्ण रखने के लिए, मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूँ । जब भी किसी के द्वारा कोई ऐसा प्रयास किया जाता है, आपके लिये अशोभनीय है, मैं उसे विफल करने की कोशिश करता हूँ और आपको यह जानकर खुशी होगी कि परसों, तरसों दो माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र जी और श्री संजय सरावगी जी, दोनों ने एक अच्छा उदाहरण पेश कर पुरानी बातों से, गलती से सबक लेते हुए, खेद व्यक्त करते हुए इसको समाप्त किये, यह एक अच्छी परम्परा है । कटुता समाप्त करना हमारी जिम्मेवारी है और इस वातावरण को आगे बढ़ाने की बजाय इससे सबक लेकर आने वाले लोगों को संदेश देना भी हमलोगों की जिम्मेवारी है । कल माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के द्वारा सदन में जो अपनी व्यथा व्यक्त की गई और वह व्यथा संसदीय प्रणाली को कहीं-न-कहीं गंभीरता से सोचने के लिए विवश किया । मैंने अपने स्तर से सर्वदलीय बैठक और अधिकारियों के साथ बैठक कर यह कोशिश की है कि उसका कोई रास्ता निकले और इस तरह की कोई पुनरावृति न हो । फिर भी, मैं यह मानता हूँ कि संसदीय कार्य में व्यवधान है और माननीय मंत्री के वक्तव्य के आधार पर आपस में कोई माननीय सदस्य या माननीय मंत्री स्वयं अगर विशेषाधिकार हनन की सूचना देते हैं तो फिर विशेषाधिकार समिति उस पर विचार करेगी और सम्यक निर्णय लेकर इस सदन को सूचित करेगी लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि विधायकों के संरक्षक अध्यक्ष हैं और माननीय मंत्री जी ने जो विषय लाया है

इसका हमने फुटेज निकलवाया है, फुटेज को हमने देखा । ग्यारह बज कर चार मिनट पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कारकेड यहां से निकला, ग्यारह बज कर पांच-साढ़े पांच मिनट पर कुछ गाड़ी जो रूकी हुई थी उनको जाने दिया, फिर उसके बाद दो गाड़ी उधर से आ रही थी तो लोगों ने, लगता है कि ग्यारह बज कर साढ़े पांच या छः मिनट पर रोक दिया । सिपाही खड़े थे गाड़ी आ रही थी उधर से भी गाड़ी, इधर से भी गाड़ी तो रोका । देखिये, कुछ चीज को हमलोगों को गंभीरता से भी समझना चाहिए, देखना चाहिए और माननीय मंत्री जी भी उस फुटेज को देखे हैं । माननीय मंत्री जी को लग रहा था कि कुछ गाड़ी निकली है और मेरी गाड़ी रोक दी गई है, यह स्वभाविक है जो फूटेज में आया । वह स्वभाविक देखने में लगा, हम और आप भी रहते तो लगता कि पांच गाड़ी को निकलने दिया और मेरी गाड़ी क्यों रोक दी लेकिन मात्र ये डेढ़-दो मिनट के अंदर ये सारी व्यवस्था, सारा संवाद चला है, वैसे माननीय मंत्री जी भी अगर दो शब्द कहना चाहें, देखिये, हमेशा कोई विषय को, संवादहीनता को, मतलब जानकारी के अभाव में आज भाई वीरेन्द्र जी और संजय सरावगी जी दोनों ने अपनी बात को रख कर जो सदन में उदाहरण पेश किया है यह एक अच्छी बात है । माननीय मंत्री जी को जो फील हुआ और जब हमने उस फूटेज को देखा तो सच्चाई को रखना चाहिए और देखना चाहिए । पदाधिकारी गलत करेंगे तो बचेंगे नहीं कार्रवाई होगी ।

(व्यवधान)

अब सुन लीजिये, माननीय मंत्री जी....

(व्यवधान)

सुन लीजिये, अब गंभीरता से सुनिये ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आसन को धन्यवाद देता हूँ कि विधायिका का जिस प्रकार कल अपमान हुआ, उस मामले में आसन ने संज्ञान लिया । मैं इसके लिए आसन को पूरे सदन की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ और जिस प्रकार आपने, सभी साथियों को यहां मैं धन्यवाद देता हूँ । यह मामला विधायिका का है, न सरकार का था और न किसी मंत्री का था । इस नाते आपने इसमें संज्ञान लिया, मैं बार-बार कह रहा हूँ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ लेकिन मिनट-दो मिनट में, अगर कोई अप्रत्याशित घटना घटे, उसके ऊपर संज्ञान लेना आसन की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, जिसको आपने बखूबी निभायी है । मेरी आपत्ति इस बात पर थी कि मुख्यमंत्री जी का कारकेड जाने के बाद 11-12 गाड़ी को जाने दिया गया और मेरी गाड़ी को रोक दी गई, और एक बार नहीं रोका गया, एक बार जब रोका गया तो मैं रूक गया, जब मैं

दोबारा चलने की कोशिश की तो उस गेट को बंद करने के बाद ही मुझे जाने की अनुमति दी गई, मेरा आक्रोश इस पर था जो अनुचित है, गलत है । इसको मैं सही नहीं कह सकता हूँ लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि यहां के जो वर्तमान डी0एम0 और एस0पी0 हैं । एक काबिल सदस्य ने इस प्रश्न को रखा भी था कि उन्होंने मुझसे समय मांगा था और रात के साढ़े नौ बजे वे मिलने आये, वे बार-बार इस घटना पर खेद प्रकट किये, उन्होंने क्षमा याचना की और

क्षमा शोभती उस भुजंग को,
जिसके पास गरल हो ।

तो मैंने उनको क्षमा किया इस शर्त पर कि उन्होंने कहा कि इसकी जांच होगी और धरातल पर, जमीन पर आपको जिसने रोका है उसकी गलती मुझे दीख रही है और मैं उस पर उचित कार्रवाई करूंगा । इस शर्त पर, इस खेद पर मैंने उनको क्षमा किया । यह विषय रात्रि में आया है उससे मैं सदन को अवगत करा देना चाहता हूँ ।

टर्न-4/संगीता/03.12.2021

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री अनिल कुमार

(व्यवधान)

श्री अनिल कुमार

(व्यवधान)

चलिए, छोड़ दीजिए, अब बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये ।

श्री अनिल कुमार ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-485 (श्री अनिल कुमार, क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : 1. आंशिक स्वीकारात्मक ।

2. जिला पदाधिकारी, गया से प्राप्त पत्र के साथ प्राक्कलन एवं जमीन की उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न नहीं था । नये सिरे से जिला पदाधिकारी, गया से विभागीय पत्रांक 1996 दिनांक 27.11.2021 द्वारा कोंच प्रखण्ड अन्तर्गत कुचेश्वर महादेव मंदिर के आस-पास के स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के

संबंध में प्राक्कलन एवं जमीन की उपलब्धता के संबध में अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गई है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने पर विचार किया जायेगा ।

3. कंडिका-2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री अनिल कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब है कि जिला पदाधिकारी, गया से प्राप्त पत्र के प्राक्कलन एवं जमीन की उपलब्धता नहीं दी गई है । 2014 में ही विभाग को पत्रांक-220 दिनांक 16.08.2014 को जिला पदाधिकारी द्वारा पर्यटन विभाग को लिखा गया है लेकिन 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं की गई है । महोदय, यह औरंगाबाद एन0एच0 पर कुचेश्वर महादेव मंदिर अवस्थित है । हजारों वर्ष पुराना मंदिर है और पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है लेकिन विभाग द्वारा कोई दिलचस्पी नहीं ली गई है । मैं अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं कि माननीय मंत्री जी जो हजारों-हजार की भीड़ होती है वहां सावन के महीने में इसलिए तुरंत इसपर कार्रवाई की जाय, कब तक करेंगे यह माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, गया से प्राप्त पत्र के साथ प्राक्कलन एवं जमीन की उपलब्धता से संबधित प्रतिवेदन संलग्न नहीं था । नये सिरे से जिला पदाधिकारी, गया से विभागीय पत्रांक 1996 दिनांक 27.11.2021 द्वारा कोंच प्रखण्ड अन्तर्गत कुचेश्वर महादेव मंदिर के आस-पास के स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में प्राक्कलन एवं जमीन की उपलब्धता के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गई है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने पर विचार किया जायेगा ।

श्री अनिल कुमार : कब तक किया जाएगा विकसित, समय-सीमा निर्धारित करें और जिला पदाधिकारी का तो मैं बता रहा हूं कि पत्रांक 220 दिनांक 16.08.2014 को पत्र भेजा गया है तो आपके विभाग ने गलत रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट को दिखवाइये । 08 साल पहले दिया गया है और लगातार मैं भी पत्र लिख रहा हूं इसलिए कब तक किया जायेगा, वह बहुत महत्वपूर्ण जगह है गया से लेकर औरगांबाद के बीच नेशनल हाइवे पर अवस्थित है, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है और हजारों-हजार की भीड़ होती है कुचेश्वर मंदिर में और उससे जो नया मंदिर था वह विकसित हो गया है गया जिला में और कुचेश्वर मंदिर नहीं हो सका है इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं समय-सीमा के अंदर बताइये कब तक होगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : जिला पदाधिकारी का पत्र आ जाता है तो हम प्राथमिकता के आधार पर मंदिर का जो रिपोर्ट आएगा, जमीन का आएगा उसपर हम काम करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अनिल कुमार : उसमें तो समय लग जाएगा ।

अध्यक्ष : बस पत्र आ जाता है, कह तो दिए समय तो बता दिए ।

श्री अनिल कुमार : समय-सीमा बता दें थोड़ा ।

अध्यक्ष : पत्र आने पर । माननीय सदस्य श्री ऋषि कुमार ।

तारांकित प्रश्न संख्या-486 (श्री ऋषि कुमार, क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि ब्लड बैंक की स्थापना प्रत्येक जिला में सदर अस्पताल स्तर पर की जाती है । औरंगाबाद सदर अस्पताल में ब्लड बैंक स्थापित है । दाउदनगर अनुमंडलीय अस्पताल में ब्लड स्टोरेज सेंटर की स्थापना हेतु योग्यता प्राप्त चिकित्सक नहीं थे ।

योग्यता प्राप्त चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है । विभाग द्वारा पत्रांक-1652(15) दिनांक- 26.11.2021 द्वारा अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री ऋषि कुमार : मेरा पूरक है महोदय, मैंने प्रश्न में ब्लड बैंक की स्थापना करने के लिए दाउदनगर में कहा था और उत्तर में लिखा गया है ब्लड स्टोरेज की फैसिलिटी तो महोदय मेरा पूरक यह है कि क्या ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी जो दाउदनगर में उपस्थित है जैसा जवाब में है तो ब्लड फ्रैक्शनेशन की सुविधा वहां पर उपलब्ध होगी कि नहीं ताकि ब्लड से पी.सी.वी. और प्लेटलेट अलग कर सके प्लाज्मा अलग कर सकें क्योकि अभी डेंगू का कहर बहुत ज्यादा फैला हुआ है महोदय और डेंगू में प्लेटलेट काउंट जब गिर जाता है तो पेशेंट्स को प्लेटलेट चढ़ाना होता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं महोदय सिर्फ दाउदनगर नहीं पूरे औरंगाबाद जिला में ब्लड फ्रैक्शनेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो क्या मंत्री जी यह बताना चाहेंगे कि यह फ्रैक्शनेशन की सुविधा चाहे ब्लड स्टोरेज हो या ब्लड बैंक हो वहां पर यह फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं ?

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न था उसका जवाब मैंने दिया है लेकिन माननीय सदस्य ने जो पूरक प्रश्न पूछा है वह बिल्कुल इस प्रश्न से भिन्न है । ब्लड सेपरेटर यूनिट की बात कर रहे हैं और माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि सभी जिला सदर अस्पतालों में ब्लड बैंक की व्यवस्था की जाती है और जो हमारे अनुमंडल अस्पताल होते हैं वहां ब्लड स्टोरेज यूनिट होता है और जहां ब्लड बैंक होता है वहां पर ब्लड सेपरेटर लगाने की कार्रवाई राज्य में शुरू कर दी गई है । अभी तक 17 जिलों में लगाया गया है और यह सही बताया माननीय सदस्य ने कि जो ब्लड सेपरेटर होता है उससे ब्लड सेल अलग करते हैं प्लाज्मा अलग करते हैं, प्लेटलेट करते हैं और वह डेंगू के काम आता है और सरकार ने इस पर ध्यान दिया है, 17 जिलों में हमने उसको कर लिया है और हमने यह तय किया है कि अगले 3 महीने में राज्य के सभी जिला सदर अस्पतालों में जहां हमारे ब्लड बैंक हैं वहां ब्लड सेपरेटर यूनिट लगाए जायेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-487 (श्री महबूब आलम, क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में लगभग सभी जिला में एक ट्रांसफॉर्मर मरम्मति कार्यशाला (TRW) स्थापित है, जहां से उस क्षेत्र में जलने वाले ट्रांसफॉर्मर का Replacement किया जाता है । ठीक उसी प्रकार कटिहार जिला स्थित ट्रांसफॉर्मर मरम्मति कार्यशाला (TRW) से बारसोई एवं अन्य प्रमंडल में जले ट्रांसफॉर्मर को आवश्यकतानुसार ससमय बदलने की व्यवस्था पूर्व से ही किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री महबूब आलम : उत्तर नहीं दिया हुआ है सर, उसमें लिखा हुआ है कि कृपया उत्तर हेतु स्कैन प्रतिलिपि को देखें, उत्तर नहीं है महोदय ।

अध्यक्ष : उत्तर तो आया हुआ है । पढ़ दीजिए माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, डिविजन वाइज ट्रांसफॉर्मर रिपेयरिंग का कोई प्रावधान नहीं है, जिला वाइज है । हर जिला में ट्रांसफॉर्मर रिपेयरिंग का कारखाना है । वहीं जब ट्रांसफॉर्मर खराब होता है तो रिपेयर होकर जाता है ।

श्री महबूब आलम : ट्रांसफॉर्मर जो खराब होता है महोदय, बारसोई जब डिविजन बन गया और बारसोई क्षेत्र का जो सुदूर-पूर्वी क्षेत्र है जैसे कटिहार से करीब-करीब 80-90 किलोमीटर की दूरी है तो बारसोई डिविजन जब बन गया तो 80-90 किलोमीटर से ट्रांसफॉर्मर जब कटिहार आती है और वहां से ठीक हो जाती है तो निश्चित उसे 4 दिन लग जाता है ।

महोदय, इसलिए मेरा कहना है माननीय मंत्री महोदय बारसोई में ट्रांसफॉर्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप बनाना चाहते हैं कि नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मैंने कहा महोदय, जिला वाइज इसकी व्यवस्था है डिविजन वाइज इसकी कोई व्यवस्था अभी नहीं है ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री दिलीप राय ।

श्री महबूब आलम : महोदय, यह तो वर्कशॉप बनाने की बात नहीं हुई ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी स्पष्ट जवाब दे दिए हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-488 (श्री दिलीप राय, क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, यह भवन निर्माण विभाग को स्थानांतरित किया गया है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-489 (श्री अचमित ऋषिदेव, क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज(अ0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज के ग्राम पंचायत भेरहा के ग्राम बखरिया, वार्ड नं0-12 महादलित टोला में करीब 30 महादलित परिवार नहर के किनारे नये बसे हैं । विद्युतीकरण का कार्य दिसम्बर, 2021 तक कर लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । माननीय सदस्यगण, आज भी शत-प्रतिशत सभी विभागों के उत्तर उपलब्ध हैं इसलिए पूरक पूछिए । पूरे शीतकालीन सत्र के सभी दिन शत-प्रतिशत प्रश्नों का जवाब सभी विभाग ने दिया है । सदन की ओर से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद ।
श्री अचमित ऋषिदेव, पूरक पूछिए ।

अचमित ऋषिदेव : रानीगंज प्रखंड में भेरहा पंचायत बखरिया, वार्ड नंबर- 12 में 30 घर महादलित परिवार 25-30 साल से बसा हुआ है अभी तक उनके घर में विद्युतीकरण नहीं हुआ है, बिजली नहीं गई है, अभी तक अंधेरा में ये महादलित परिवार है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, नहर के किनारे नए जो बसे हैं 22 दिसंबर तक इसमें उत्तर साफ-साफ दे दिया गया है कि विद्युतीकरण का कार्य दिसंबर, 2021 तक कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री विनय कुमार चौधरी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-490 (श्री विनय कुमार चौधरी, क्षेत्र संख्या-80 बेनीपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (M.S.D.P.) के तहत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरगा, उसरी का निर्माण कराया गया है, जिसमें स्थानीय व्यवस्था के तहत डॉ0 महेश नारायण चौधरी एवं श्रीमती विमला कुमारी ए0एन0एम0 के द्वारा सप्ताह में दो दिन शनिवार एवं सोमवार को ओ0पी0डी0 का संचालन कराया जा रहा है ।

भविष्य में उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को सुचारू रूप से संचालित करने की कार्रवाई विभाग द्वारा शीघ्र की जाएगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, आपने भी कहा और हमलोग भी ताली मारकर के स्वागत करते हैं कि शत-प्रतिशत जवाब आता है लेकिन जवाब गोलमोल आता है । प्रश्न कुछ और रहता है जवाब कुछ और आता है कम से कम इसपर तो विचार किया जाय । महोदय, 17 में इसका...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब गलत है, आप लिखकर दें । विभाग को हमलोग भेजेंगे, माननीय मंत्री वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई करेंगे ।

श्री विनय कुमार चौधरी : धन्यवाद, महोदय । महोदय, 2017 में इसका उद्घाटन हुआ है और उस समय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे जी थे और उसके बाद कई स्वास्थ्य मंत्री बीत गए हैं और अभी तक वहां पर पदस्थापना नहीं हुआ है । जब मैं वहां पर स्थानीय स्तर पर सिविल सर्जन को मैंने ध्यान आकृष्ट किया तो इसमें जवाब आया है कि 2 दिन पदस्थापना किया जाता है । सच्चाई यह है कि सिर्फ उसके बाद 2 दिन वहां पर गए फिर जाना बंद कर दिए । मंत्री महोदय से मैं जानकारी चाहता हूं कि 2017 क्या अब 2021 बीत रहा है 2022 आ रहा है, इतना अच्छा भवन बनकर रह गया है और सिर्फ स्वास्थ्य की सेवा में इस तरह से ध्यान नहीं दिया जाएगा आखिर कब तक उस पर पदस्थापना किया जाएगा यह समय-सीमा स्पष्ट बतावें मंत्री महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : तीन माह महोदय ।

अध्यक्ष : तीन माह, चलिए । श्री अनिरूद्ध कुमार ।

टर्न–5/सुरज/03.12.21

तारांकित प्रश्न संख्या–491 (श्री अनिरूद्ध कुमार, क्षेत्र सं0–180, बख्तियारपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–492 (श्री दामोदर रावत, क्षेत्र सं0–242, झाझा)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : (1) विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल के सृजन के लिए कई आधार पर विचार किया जाता है, यथा उपभोक्ताओं की संख्या, उपलब्ध आधारभूत संरचना, संभावित राजस्व की प्राप्ति, इलाके का क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति इत्यादि ।

सिर्फ आबादी के आधार पर विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल के गठन का आधार नहीं माना गया है ।

(2) चकाई, सोनो एवं झाझा के उपभोक्ताओं के लि विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, जमुई गठित है । उपभोक्तागण वर्तमान समय में सुविधा मोबाईल एप के द्वारा घर बैठे ही विद्युत संबंध के अतिरिक्त अन्य कार्यो क लिए आवुदन करते हैं । साथ ही 1912 Toll Free No. के माध्यम से उपभोक्ता विद्युत संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं एवं अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं ।

उपभोक्ता घर बैठे ही Online Payment/ RRF/E-wallet के माध्यम से विपत्र का भुगतान कर सकते हैं ।

फलतः झाझा में विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल स्थापना का लक्ष्य नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री दामोदर रावत : महोदय, उत्तर मिला हुआ है । माननीय मंत्री जी ने संतोषप्रद जवाब दिया है इसलिए पूरक की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या–493 (श्री विजय कुमार खेमका, क्षेत्र सं0–62, पूर्णियाँ)

(लिखित उत्तर)

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : 1– आंशिक स्वीकारात्मक ।

2– जिला पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अपूर्ण था ।

3– जिला पदाधिकारी, पूर्णियां से विभागीय पत्रांक–1953, दिनांक–24.11.2021 द्वारा पर्यटकों की संख्या, भू–खण्ड का पूरा विवरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि की मांग की गई है । जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने पर विचार किया जायेग।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है पूर्णियां, रानीपतरा में सन् 1934 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आगमन हुआ था और सरकार की योजना है कि ऐसे स्थान जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं उनको बापू सर्किट जो जोड़ दिया जायेगा और 1934 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जहां आए उसी को सर्किट से जोड़ने का मेरा प्रश्न है । मैं माननीय मंत्री जी से पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बापू सर्किट से जोड़ने के लिए निधि की उपलब्धता और समय-सीमा इसको कब तक जोड़ेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अपूर्ण था । जिला पदाधिकारी पूर्णियां से विभागीय पत्रांक-1953, दिनांक-24.11.2021 द्वारा पर्यटकों की संख्या भू-खण्ड का पूरा विवरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि की मांग की गई है । जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद निधि उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जायेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्व के सत्र में भी इस प्रश्न को हमने लाया था और अपूर्ण प्रतिवेदन वहां के जिला पदाधिकारी से प्राप्त हुआ था तो क्या मंत्री जी जो अपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है उस पर कार्रवाई और पुनः उसको मंगाने के लिए कोई पत्राचार विभाग की ओर से करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरी तरफ से मैंने बताया कि पत्रांक-1953, दिनांक-24.11.2021 द्वारा जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन की मांग की गयी है ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री अनिल कुमार ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, जो माननीय सदस्य तीन महीने से वेंटिलेटर पर थे आप उनका शोक संदेश भी पढ़ दिये । माननीय सदस्य मुसाफिर पासवान जी का भी प्रश्न है यह स्वास्थ्य विभाग से तो महोदय कहां का ये, किस गलती के कारण....

अध्यक्ष : इसको देख लेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, तीन महीने से वेंटिलेटर पर थे तो प्रश्न कैसे किये । महोदय, आप श्रद्धांजलि भी अर्पित कर दिये विधान सभा में..

अध्यक्ष : नहीं वह गलत है और उसको बाद में जब पूछा गया तो काट भी दिया गया है । श्री अनिल कुमार । नहीं, ठीक कहना है आपका । मुद्रण में गया होगा इसी के कारण ।

तारांकित प्रश्न संख्या-494 (श्री अनिल कुमार, क्षेत्र सं0-24, बथनाहा (अ0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1-स्वीकारात्मक ।

2- अस्वीकारात्मक ।

3- स्वीकारात्मक ।

4- उपभोक्ताओं की संख्या एवं समस्या तथा प्रखण्ड को इकाई के रूप में ध्यान रखते हुए कार्यालयों का सृजन एवं पुर्नगठन किया गया है । बथनाहा विधान सभा अन्तर्गत सम्मलित 03 प्रखण्डों (1) बथनाहा (2) मेजरगंज (3) सोनवर्षा जिसमें प्रखण्ड बथनाहा के 21 पंचायतों तथा प्रखण्ड सोनवर्षा के 09 पंचायतों कुल 30 पंचायतों के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, सीतामढ़ी (ग्रामीण) बथनाहा एवं इसके अधीन 02 विद्युत आपूर्ति प्रशाखा- 1. भुतही 2. सहियारा सृजित किया गया है तथा पूर्व से विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, सोनवर्षा एवं बथनाहा कार्यरत है ।

उक्त विधान सभा अन्तर्गत प्रखण्ड, मेजरगंज के 08 पंचायतों के उपभोक्ता के लिए विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, रीगा एवं इसके अधीन 01 विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, मेजरगंज सृजित किया गया है तथा पूर्व से विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, रीगा कार्यरत है ।

सोनवर्षा से बथनाहा की दूरी लगभग 30 किलोमीटर एवं मेजरगंज से रीगा की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है ।

विद्युत उपभोक्ताओं से संबंधित मुख्य कार्य यथा राजस्व संग्रहण, बिल सुधार, विद्युत एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्याओं आदि का संपादन/निष्पादन विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल एवं विद्युत आपूर्ति प्रशाखा कार्यालय के स्तर से किया जाता है तथा उपभोक्ता के कार्य सीधे तौर पर विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल कार्यालय से जुड़े होते हैं ।

अतः वर्तमान में उक्त वर्णित 30 पंचायतों को पुनः विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल सीतामढ़ी में सम्मलित किये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अनिल कुमार : महोदय, सीतामढ़ी जिला के बथनाहा विधान सभा की 38 पंयायत जिसके काम के लिए विद्युत विभाग की सीतामढ़ी जिले में पहले से व्यवस्था थी अब उसका 21 पंचयात जो है वह पुपरी प्रमण्डल में कर दिया गया है । जब सीतामढ़ी जिला में व्यवस्था थी तो करीब 10-15 किलोमीटर लोगों को आने-जाने में समय लगता था

अब 50-55 किलोमीटर का टाइम लग जाता है । इससे आम जनों को काफी परेशानी होती है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस पर क्या विचार हुआ ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मूल समस्या अनुमंडल और जो ओवरसियर होते हैं वहीं से निदान होता है प्रमण्डल में तो केवल आपूर्ति व्यवस्था नियंत्रित की जाती है । जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उससे लोगों को कोई कठिनाई नहीं है इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की कोई जरूरत नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-495 (श्री महा नंद सिंह, क्षेत्र सं0-214, अरवल)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : 1-अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि अरवल जिला के सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की नियमित उपस्थित रहती है ।

2- सदर अस्पताल, अरवल में डॉ0 सरवत जहां सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी स्त्री रोग के ओ0पी0डी0 के कार्य हेतु पूर्व से पदस्थापित है । वर्तमान में वे Head Injury के कारण अवकाश में हैं । उनके स्थान पर डॉ0 पूजा कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, स्त्री रोग, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुर्था को सदर अस्पताल में ओ0पी0डी0 एवं अल्ट्रासाउंड के कार्य हेतु प्रतिनियुक्त कर दिया गया है ।

3- उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, जवाब मिला हुआ है और मैंने जो पहला सवाल किया था उस सवाल का जो जवाब दिया गया है वह सत्य से परे है । पहली बात तो यह है कि मैंने इसलिए सवाल किया था कि अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र में जो डॉक्टर की बहाली की गई है वे लोग अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र में भी नहीं जाते हैं और सदर अस्पताल में जो डॉक्टरों की कमी है वहां कमी भी पूरा नहीं किया गया है । मेरा सवाल करने का यही मतलब था कि अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र में जब नहीं जा रहे हैं तो जो सदर अस्पताल है या पी0एच0सी0 है तो वहां तो कम-से-कम उन डॉक्टरों को पदस्थापित किया जाय जो वहां नहीं जा रहे हैं । जो जवाब दिया गया है महोदय कि वह उपस्थित रहते हैं मैं चैलेंज कर रहा हूं और इस मामले में मैं मंत्री महोदय से चैलेंज कर रहा हूं कि जो रिपोर्ट दिया गया है वह गलत दिया गया है । उस पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, पहला यह मेरा सवाल है महोदय । फतेहपुर सण्डा जो ए0पी0एच0सी0 है

वहां कोई भवन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं रहते हैं लेकिन कागज पर है महोदय । जयपुर में दो-तीन डॉक्टर हैं लेकिन वहां एक डॉक्टर रहते हैं । मोसदपुर में जो ए0पी0एच0सी0 है महोदय वहां एक भी डॉक्टर नहीं हैं, 6 महीने से वहां ताला लगा हुआ है, वहां डॉक्टर नहीं जाते हैं । ईंटवा में कोई भवन नहीं है यह जो है एक अशोक यादव के मकान में चलता है और अभी तक उनका किराया भी नहीं दिया गया है, ताला बंद है वहां भी नहीं जाते हैं, बहादुरपुर में यह भवन है महोदय ।

अध्यक्ष : आप पूरी लिस्ट को...

श्री महा नंद सिंह : महोदय, परासी में भवन नहीं है और वहां एक काशी साव के घर में मैं बता रहा हूं सदन को कि काशी साव के घर में यह अस्पताल चलता है, साल भर से डॉक्टर वहां नहीं जा रहे हैं । हृदयचक में भवन नहीं है और वहां विजय शर्मा के घर में अस्पताल चलता है वहां एक डॉक्टर जाते हैं और एक डॉक्टर अभी तक नहीं जाते हैं और ढाई साल से उनका किराया नहीं दिया गया है । यह जो जवाब दिया गया है वह सत्य से परे है, यह असत्य जवाब दिया गया है । हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि क्या मंत्री महोदय जवाब देने वाले जो वहां के पदाधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि जो भी सूची उन्होंने अभी पढ़ी है, उसमें दो चीजों को स्पष्ट कर लें तो अच्छा रहेगा अस्पताल विभिन्न श्रेणी के होते हैं स्वास्थ्य उपकेन्द्र होता है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होता है फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र...

श्री महा नंद सिंह : ए0पी0एच0सी0 का मैंने...

अध्यक्ष : सुन लीजिये, सुन लीजिये ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : मैं अपनी बात कहा रहा हूं महा नंद बाबू सुन तो लीजिये । जो सूची उन्होंने पढ़ी है उसको एक बार वह देख लें यदि एच0एस0सी होगा स्वास्थ्य उपकेन्द्र तो वहां चिकित्सकों के जाने की व्यवस्था नहीं होती है वहां नर्स जाती हैं जैसा महानंद बाबू कह रहे हैं कि हमने ए0पी0एच0सी की सूची पढ़ी है, वह सूची मुझे दे दें मैं उन सारे स्थानों की जांच करवाऊंगा, डायरेक्टर-इन-चीफ को भेजकर जांच करवाऊंगा और यदि यह बात सामने आयेगी कि चिकित्सक 6-6 महीने से नहीं गये हैं तो उन चिकित्सकों पर तुरंत कानुनी जो भी उचित कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वह कार्रवाई मैं करूंगा और जहां तक किराये के मकान की बात माननीय सदस्य ने की है राज्य के अंदर जो अस्पताल हैं चाहे वह स्वास्थ्य उपकेन्द्र हो या अतिरिक्त प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्र हो ऐसे बहुत सारे भवन सभी माननीय सदस्य जानते होंगे, सभी के क्षेत्र में होगा बहुत सारे अस्पताल जो हमारे सरकारी हैं वे सरकारी भूमि जहां जमीन उपलब्ध हुई है उन जमीनों पर अस्पताल बनाकर वहां पर सेवा दी जा रही है । जहां पर अस्पताल स्वीकृत हो गया है, कोई बस्ती है जिस बस्ती में अस्पताल खोलना जरूरी है और इस सदन के सदस्यों की मांग पर ही वैसी अस्पतालें भी खोली जाती हैं लेकिन वहां यदि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होती है तो तत्काल वहां किसी के किराये के मकान में अस्पताल को संचालित किया जाता है और ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या एच0एस0सी होता है, पी0एच0सी0 जैसा नहीं होता है और उन लोगों को भाड़ा दिया जाता है लेकिन कुछ लोगों का भाड़ा बाकी है । मैंने लगभग पिछले वित्तीय वर्ष में सभी ऐसे बकायेदारों का भुगतान करवाया है वैसे भी किसी बकायेदारों की सूची माननीय सदस्य, महा नंद बाबू के पास हो तो वह सूची भी मुझे दिलवा दें । मैं एक से डेढ़ महीने के अंदर उसका भुगतान भी करवा दूंगा और वे सारे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसकी सूची उनके पास है वह दें । यहां से डायरेक्टर-इन-चीफ को भेजकर मैं जांच करवाऊंगा और जो डॉक्टर अनुपस्थित होंगे उन पर कार्रवाई होगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

टर्न-6/राहुल/03.12.2021

श्री महा नंद सिंह : महोदय, दूसरा जो सवाल था वह यह था कि सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है । दूसरा, जो पिछली बार हमने सवाल किया था मंत्री महोदय से और वहां ब्लड बैंक के लिए उन्होंने कहा था कि तीन महीने में हम उसको चालू करवा देंगे । महोदय, सब कुछ हो गया है लेकिन अभी तक ब्लड बैंक चालू नहीं हुआ है और वहां ऑक्सीजन प्लांट लगा है इसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि वहां ऑक्सीजन प्लांट लगा है लेकिन अभी तक वह चालू नहीं हुआ है और जिस तरह का वहां एक्सीडेंट होता है और वहां आई0सी0यू0 की जो जरूरत होती है इस हिसाब से हम मंत्री महोदय से चाहेंगे कि ब्लड बैंक को चालू करवाया जाय, ऑक्सीजन प्लांट जो लगा है उसको चालू करवा कर के आई0सी0यू0 चालू करवाया जाय और जो अल्ट्रासाउंड अभी बंद है, उस अल्ट्रासाउंड को तत्काल चालू करवाया जाय । महोदय, यह जो जवाब दिया गया है कि उसको भेजा गया है अभी तक वह लागू नहीं हुआ है ।

श्री मंगल पाण्डेय : मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद दूंगा, अल्ट्रासाउंड वाला विषय जैसे ही मेरे संज्ञान में आया मैंने तुरन्त वहां चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति कर दी, चूंकि हम सब जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड सब डॉक्टर नहीं चलाते हैं जो पी0जी0, एम0डी0 होते हैं वही चला पाते हैं और वैसी विशेषज्ञ चिकित्सक जो जिला के दूसरे अस्पताल में थीं महिला चिकित्सक उनको वहां प्रतिनियुक्त कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्थानीय प्रतिनिधियों, खासकर विधायकों को वहां की मॉनीटरिंग समिति में रखा जाता है । अगर उनको शामिल किया जाय उस तरह की मॉनीटरिंग समिति में तो बहुत सारे मामलों का वही समाधान हो जाये।

(व्यवधान)

बैठ जाइये । स्वास्थ्य विभाग की ओर से अच्छे कार्य किये जा रहे हैं, इस बार स्वास्थ्य विभाग की सजगता के लिए सभी लोग चिन्तित और सजग हैं तो माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाया गया है । श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, एक मिनट मंत्री जी उस पर बोल देते, आपके कहने से नियमन हो गया है तो मंत्री जी उसके आलोक में कुछ बोल देते महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, जानकारी ली गयी है नियमन नहीं दिया गया है और देखिये विधायकों के हित में जो बात...

(व्यवधान)

बैठ जाइये, अब पूरक पूछियेगा, अब आगे बढ़ गये । श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन ।

तारांकित प्रश्न संख्या-496 (श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, क्षेत्र संख्या-224, रफीगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद के रफीगंज के ग्राम कोटवारा अवस्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन जर्जर है जिसके कारण निजी भवन में संचालित उपकेन्द्र पर टीकाकरण कार्य किया जा रहा है । आम जनता द्वारा उक्त स्थल पर जाने में असहज महसूस होने संबंधी कोई सूचना जिला मुख्यालय को प्राप्त नहीं है । माननीय सदस्य की सूचना के आलोक में संबंधित ग्राम में अन्य उचित टीकाकरण स्थल की खोज की जायेगी ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने माना है कि वह जो भवन है उप स्वास्थ्य केन्द्र का वह जर्जर है और यही कारण है कि वहां टीकाकरण के लिये दूसरी जगहों पर लोग जाते हैं, जिनको जरूरत पड़ती है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह जो

जर्जर हालत में है यह कब तक उस उप स्वास्थ्य केन्द्र को बनवाने का इरादा रखते हैं, क्या चलते सत्र में आप घोषणा करेंगे कि हां हम इसी वित्तीय वर्ष में बनवा देंगे ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अगले वित्तीय वर्ष में बनवा दिया जायेगा ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : दूसरा पूरक है...

अध्यक्ष : बैठ जाइये, सकारात्मक जवाब है ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : महोदय, मेरा तो हक है न पूरक पूछने का । इन्होंने यह कहा है कि अगर माननीय सदस्य की जानकारी हमको जो मिली है तो कही दूसरी जगह हम खोज रहे हैं जहां पर टीकाकरण की व्यवस्था की जा सकती है तो यह कितनी हैरत की बात है, कितने दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है कि हमारे कहने पर किसी दूसरी जगह टीकाकरण की व्यवस्था करेंगे इस तरह का जवाब आया है। यह तो सीधी-सी बात थी यह कहना था कि हां, हम भवन बनवाकर के वही पर हम टीकाकरण करायेंगे । हमारे सवाल उठाने पर कहते हैं कि जवाब खोजा जा रहा है जगह का जहां पर टीकाकरण कराया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-497 (श्री शकील अहमद खाँ, क्षेत्र संख्या-64, कदवा)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-164(7), दिनांक-02.11.2021 द्वारा राज्य सरकार के द्वारा 243 विधान सभा क्षेत्रों के अन्तर्गत मोडल प्राक्कलन के आधार पर प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 1 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत वैशाली जिला के गराही में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्थल का चयन किया गया है । निविदा निष्पादन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है तथा इसी वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ कराने का प्रस्ताव है ।

श्री शकील अहमद खां : मैं आपके जवाब से संतुष्ट हूं । जो हेल्थ का आपका रोडमैप है, आपसे मेरा जिक्र हुआ है कई मामलों में तो सिर्फ समय-सीमा अगर बता दें बहुत सारे भवन आपने कहे हैं बनाने हैं, नए हॉस्पिटल का निर्माण होना है तो कब से उसकी शुरूआत हो जायेगी, आने वाले तीन महीनों में अगर शुरूआत हो जाये तो बेहतर होगा ।

श्री मंगल पाण्डेय : महोदय, मैंने अपने जवाब में लिखा है कि इसी वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ कराने का प्रस्ताव है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-498 (श्री अवध विहारी चौधरी, क्षेत्र संख्या-105, सीवान)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सदर अस्पताल, सीवान में मुर्च्छक विशेषज्ञ का पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध डॉ0 सदा कमर दिनांक-19.11.

2021 से योगदान के पश्चात् से कार्य सम्पादित कर रहे हैं । हृदय रोगियों के इलाज हेतु डॉ0 जितेन्द्र कुमार सिंह, एम0डी0 मेडिसीन कार्यरत हैं । नेत्र रोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत है, स्वीकृत पद के विरूद्ध दिनांक-18.11.2021 को डॉ0 लखन कुमार की पदस्थापना की गयी है । सदर अस्पताल में न्यूरो सर्जन का पद स्वीकृत नहीं है ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि सीवान सदर हॉस्पिटल में एनथेसिया विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ तथा न्यूरोसर्जन चिकित्सक नहीं होने के कारण रोगियों का ईलाज सही ढंग से नहीं होता है । अपने स्तर से माननीय मंत्री जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैंने प्रश्न किया और आपने वहां नेत्र रोग विशेषज्ञ, एनथेसिया, मूर्च्छित करने वाले और हृदय रोग विशेषज्ञ के लिये एक चिकित्सक आपने दिया है वहां ईलाज करने के लिये तो मैं यह कहना चाहता हूं आपने कहा है कि सदर अस्पताल में न्यूरो सर्जन का पद स्वीकृत नहीं है । महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर वह सदर हॉस्पिटल है और जो भी घटनाएं न्यूरो से संबंधित होती हैं तो उसके ईलाज के लिये या तो गोरखपुर लेकर जाइये और नहीं तो पटना लाइये । वहां कोई व्यवस्था नहीं है । रोगी ईलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं तो क्या स्वीकृति देकर वहां आप न्यूरो सर्जन भी पदस्थापित करने की कार्यवाही करेंगे, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, न्यूरो सर्जन का जो पद है या न्यूरो सर्जन जो चिकित्सक हैं वे बहुत ही विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं और ऐसे चिकित्सकों की कमी पूरे देश और राज्य में है, लिमिटेड नंबर में होते हैं ...

(व्यवधान)

मेरा जिला है इसीलिये तो तीन हो गया ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, इन्होंने कहा कि मेरा जिला है इसीलिये तो तीन हो गया, पूरे बिहार को आपको देखना है ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : मैं बिहार का भी ध्यान रखा हूं, यह जो चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है । महोदय, अभी 850 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति पिछले ही महीने हमने की है, उसी 850 में से तीन गये हैं सीवान, बाकी राज्य के विभिन्न अस्पतालों में ही गये हैं । महोदय, यह जो न्यूरो सर्जन होते हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो होता है उसमें न्यूरो सर्जन के पद सृजित होते हैं । जब न्यूरो सर्जन होता है तो उसी अनुसार फिर उसका ऑपरेशन थियेटर भी चाहिये होता है, पूरी व्यवस्था फिर उस प्रकार की चाहिये होती है तो हॉस्पिटल जो होते हैं वे अलग-अलग स्तर के होते हैं, प्रखंड का स्तर अलग होता है, जिले का अलग होता है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अलग होते हैं और सुपर स्पेशलिटी

हॉस्पिटल अलग होते हैं तो ये जो न्यूरो सर्जन चिकित्सक होते हैं वे राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में चिकित्सा करते हैं । यह हमारे लिये अच्छी स्थिति होगी कि आगे आने वाले दिनों में हमको न्यूरो सर्जन मिलें और हम उनकी नियुक्ति जिला अस्पताल में कर सकें लेकिन चूंकि अभी अभाव है इस कारण हम नहीं कर पा रहे हैं ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूंगा कि आप जब अन्य जगह व्यवस्था करेंगे तो क्या सीवान में भी न्यूरो सर्जन का पदस्थापन आप करेंगे, मैं इतना ही आपसे जानना चाहता हूं ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : मैं माननीय अवध विहारी चौधरी जी को बताना चाहूंगा कि जब राज्य के अन्य जिलों में होगा तो सीवान में तो होगा ही, आपका मेरा जिला है तो होगा ही होगा ऐसे अवध विहारी चौधरी जी के ध्यान में हो कि लगभग साढ़े छः सौ करोड़ रुपये की लागत से राजेन्द्र बाबू की धरती पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनना शुरू हो गया है जिसमें न्यूरो सर्जन जरूर चला जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-499 (श्री ऋषि कुमार, क्षेत्र संख्या-220, ओबरा)

(लिखित उत्तर)

श्रीमती रेणु देवी, उपमुख्यमंत्रीः भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप साहाय्य मुहैया कराने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1973/आ0प्र0, दिनांक- 26 मई, 2015 द्वारा मानदर निर्गत है । यह मानदर भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन डिविजन), नई दिल्ली के पत्र संख्या 32-7/2014 एन0डी0एम0-1 दिनांक-8 अप्रेल, 2015 द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में निर्गत किया गया है । इसके अनुसार बिहार राज्य के भीतर घटित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान अनुमान्य है ।

चूंकि प्रश्नगत मामले में घटना का स्थल बिहार राज्य में नहीं है । अतएव इसमें आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के स्तर से अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान अनुमान्य नहीं है ।

श्री ऋषि कुमार : महोदय, यह पटवा लोग जो हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ था बनारस में । महोदय, ये सब बाहर काम करते हैं, बिहार से बाहर । एक ही परिवार के पांच-पांच जन, उन लोगों की मृत्यु हो गयी और हमारी सरकार कहती है कि हम मुआवजा नहीं दे सकते । यही प्रावधान झारखण्ड में भी है कि झारखण्ड राज्य के लोग अगर बाहर उनका एक्सीडेंट होता

है तो उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाता है झारखण्ड सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश में भी यही प्रावधान है । महोदय, ये लोग कौन हैं, ये सब पलायन का दंश झेलने वाले लोग हैं जो बिहार से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, अगर यहीं रोजगार उनको उपलब्ध होता तो वे क्यों जाते बाहर तो महोदय, क्यों न हम अपने राज्य में भी ऐसी पॉलिसी लायें कि जो हमारे राज्य के लोग, जिनका बाहर एक्सीडेंट हो जाता है और एक ही परिवार के पांच-पांच चले गये, पीछे अपाहिज बाप और बीमार मां को छोड़ गये उनका ख्याल कौन रखेगा, कहां से उनका घर चलेगा तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसी पॉलिसी लेकर के आये ।

टर्न-7/यानपति/03.08.2021

श्रीमती रेणु देवी, उपमुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं पर एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर के रूप में साहाय्य मुहैया कराने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक-1973, दिनांक-26.05.2015 द्वारा मानदर जो है निर्गत है । यह मानदर भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन डिविजन), नई दिल्ली के पत्र संख्या 32-7/2014 एन0डी0एम0-1, दिनांक-08.04.2015 द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में निर्गत किया गया है । इसके अनुसार बिहार राज्य के भीतर घटित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को, परिवार को भारत सरकार द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान मान्य है ।

चूंकि प्रश्नगत मामले में घटना का स्थल बिहार राज्य में नहीं है । अतएव इससे आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से अनुग्रह अनुदान/ अन्य अनुदान अनुमान्य नहीं है । इन्होंने कहा है दो-तीन जिले प्रदेशों का उन्होंने उल्लेख किया है तो हमलोग भी कोशिश करेंगे कि उनको पत्र मंगाकर देखते हुए भारत सरकार को लिखेंगे कि ऐसी कोई घटना हो तो हमारे यहां भी मिले ।

अध्यक्ष: श्रीमती गायत्री देवी ।

श्री चंद्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इसी बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने 27.07.2021 को एक सर्कुलर जारी किया जिसका पत्रांक-2610 है, जिसमें बिहार राज्य से बाहर के लोगों को, यह आपदा चाहे स्थानीय प्रकृति का हो.....

अध्यक्ष: सीधे पूरक पूछिये समय समाप्त हो रहा है ।

श्री चंद्रशेखर: हम पूछ रहे हैं चाहे स्थानीय प्रकृति का हो या प्राकृतिक हो जब बिहार सरकार इस तरह का अनुदान देती है तो बाहर रहनेवाले बिहारियों को क्यों नहीं देती है ?

अध्यक्ष: मंत्री जी ने स्पष्ट जवाब दे दिया है । श्रीमती गायत्री देवी ।

श्री चंद्रशेखर: महोदय-महोदय.....

अध्यक्ष: अब समय समाप्त हो गया है ।

(व्यवधान)

अलग से बात कर लीजियेगा ।

(व्यवधान)

एक मिनट । अच्छा बोलिये ।

(व्यवधान)

श्री चंद्रशेखर: महोदय, बिहार सरकार ने पत्रांक-2610 दिनांक-27.07.2021 के द्वारा बिहार में बाहर के राज्य के रहनेवाले लोगों के लिए इस तरह की आपदा में अनुग्रह अनुदान की राशि देती है तो बिहार सरकार क्यों नहीं एक सर्कुलर बनाकर के हमारे राज्य के जो लोग बाहर रहते हैं उसके लिए सर्कुलर जारी कर सकती है ।

अध्यक्ष: ठीक है । ध्यान में ले लीजिये ।

(व्यवधान)

संज्ञान में तो ले लिया है ।

श्री आलोक कुमार मेहता: क्या महोदय ?

अध्यक्ष: अब, बोल दीजिये ।

श्रीमती रेणु देवी, उपमुख्यमंत्री: संज्ञान में ले लिये हैं ।

अध्यक्ष: संज्ञान में ले लिये हैं ।

श्रीमती रेणु देवी, उपमुख्यमंत्री: हमारे यहां जो अभी नया नियम आया है उस नियम के तहत हो गया । हमलोग उसको कर देंगे ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-500 (श्रीमती गायत्री देवी, क्षेत्र संख्या-25, परिहार)</u>

(लिखित उत्तर)

श्रीमती रेणु देवी, उपमुख्यमंत्री: (1) स्वीकारात्मक

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मृतक राम ईश्वर राय की पत्नी श्रीमती कृष्णा देवी को चेक संख्या-964017 दिनांक-24.11.

2021 के द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि मो0 4.00 (चार लाख) रूपये का भुगतान कर दिया गया है ।

श्रीमती गायत्री देवी: अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर जो मिल चुका है । अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि मेरे प्रश्न के बाद 4.00 लाख रुपया दिया गया है और मैं मंत्री जी से यही पूछती हूं कि सीतामढ़ी जिला के परिहार एवं सोनवर्षा प्रखंड में ऐसे दो दर्जन मामले हैं, उसकी राशि कबतक मिलेगी ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्रीमती रेणु देवी: अध्यक्ष जी, अभी जो प्रश्न आया है उसका जवाब तो मैंने दे दिया है उसकी अनुदान राशि मिल गई है । अगर दो की जो चिंता हमारी माननीय सदस्या जता रही हैं उसे हमारे विभाग में भेज दें उसे दिखवा कर उसे भी हम कार्यान्वित करेंगे ।

अध्यक्ष: चलिये, धन्यवाद । अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं ।

अध्यक्ष : अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-03 दिसंबर, 2021 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :

(1) श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री चेतन आनंद, डॉ0 रामानुज प्रसाद, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, श्री अखतरूल ईमान एवं श्री सत्यदेव राम ।

(2) श्री अजीत शर्मा, श्री आनंद शंकर सिंह, श्रीमती प्रतिमा कुमारी, श्री मुरारी प्रसाद गौतम ।

आज सदन में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य निर्धारित हैं जिसमें गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

अतएव, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) एवं 19(1) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है । अब शून्यकाल लिये जाएंगे ।

(व्यवधान)

समय पार कर गया है । शून्यकाल फिर छूट जाएगा आपलोगों का ।

(व्यवधान)

श्री यूसुफ सलाहउद्दीन ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, सबलोग बैठ जाइये पहले । सत्यदेव जी बैठिये । सभी सदस्यगण बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, तय आपको करना होगा कि शून्यकाल आपका छूट जाएगा । और अभी कल-परसों 61 शून्यकाल हुआ । 40, आपका कितना शून्यकाल है इनका । तो फिर आपका शून्यकाल समाप्त हो जाएगा ।

(व्यवधान)

68 आज है ।

(व्यवधान)

नियम के अनुसार नहीं है इसलिए ।

(व्यवधान)

नियम के अनुसार नहीं है ।

शून्यकाल लीजिए उसके बाद देखिए । संक्षेप में बता दीजिए ललित जी ।

श्री ललित कुमार यादवः देश जल रहा है जिससे राज्य की जनता त्राहिमाम कर रही है । पेट्रोल 106 रुपये, डीजल 91 रुपये प्रति लीटर तथा सरसों तेल प्रति किलो 225 रुपये हो गया है । घरेलू गैस एक सिलेंडर का मूल्य तो 1000 रुपये हो गया है । डीजल और पेट्रोल के मूल्य बेतहाशा बढ़ने से व्यापक रोपनी प्रभावित हो रहा है जिसमें दूध, सब्जी, चावल, गेहूं, आंटा, दाल सहित सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य भी आकाश छूने लगते हैं । आज सब्जी 60 से 70 रुपये प्रति किलो.....

अध्यक्षः श्री अजीत शर्मा ।

श्री ललित कुमार यादवः बिक रहा है और टमाटर तो प्रति किलो 100 रुपये का आंकड़ा छू रहा है । ऐसी परिस्थिति में लोगों का जीना दूभर हो जा रहा है । गरीब भूख से मरने को विवश हो रहे हैं । सरकार मूल्य नियंत्रण करने पर पूरी तरह विफल हो गयी है । प्रदेश के पेट्रोल-डीजल, घरेलू गैस, सरसों तेल तथा अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण तथा आम जनता को कमरतोड़ महंगाई से राहत दिलाने जैसे गंभीर विषय पर 03.12.2021 को आज सभा के कार्यस्थगन.....

अध्यक्षः अब अपना पढ़िये तो दूसरे को भी सुनिये । बैठ जाइये, सुनिये ।

श्री आनंद शंकर सिंहः अध्यक्ष महोदय, राज्य में ध्वस्त हो चुकी विधि व्यवस्था पर चर्चा हो, उल्लेखनीय है कि राज्य की पुलिस शराब, बालू एवं ओवरलोडिंग पर ध्यान केंद्रित किए हुए है जिसके कारण अन्य अपराध पर पुलिस की नजर नहीं है । इसके कारण अपराधी बेलगाम हो गए हैं व राज्य में कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां लूट, हत्या आदि घटनाएं नहीं घट रही हैं । राज्य में विधि-व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है । अतः आज के लिए सूचीबद्ध सारे कार्यों को स्थगित करते हुए राज्य की ध्वस्त हो चुकी विधि-व्यवस्था पर विचार-विमर्श हो ।

अध्यक्षः अब शून्यकाल लिये जायेंगे । श्री यूसुफ सलाहउद्दीन ।

शून्यकाल

श्री युसुफ सलाहउद्दीनः महोदय, सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर, सलखुआ एवं महिषी प्रखंड के अनेक पंचायत में नल जल योजना के तहत कराये गये कार्यों की विगत पांच महीने से चल रही विभागीय जांच में जानबूझकर दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है ।

अतः सरकार से जनहित में नल जल योजना की निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं ।

श्री मिथिलेश कुमारः महोदय, सीतामढ़ी जिला के किसानों को घोर उर्वरक का संकट है । सरकार बिना समय गंवाए डी.ए.पी. खाद प्रचुर मात्रा में किसानों को मुहैया करायें ।

श्री मो0 कामरानः महोदय, नवादा जिला में वर्ष 2021 में खरीफ मौसम में भारी बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण किसानों के फसल क्षति को ध्यान में रखकर कृषि इनपुट योजना में नवादा जिला को शामिल करने की मांग करता हूं ।

टर्न-8/अंजली/03.12.2021

श्रीमती शालिनी मिश्राः अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के राजपुर और हुसैनी में 25-25 एकड़ का कृषि फार्म है जो परती पड़ा हुआ है । यहां न कृषि कार्य हो रहा है न ट्रेनिंग ।

अतः किसानहित में दोनों कृषि फार्मों में कृषि शोध एवं प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया जाय ।

श्रीमती विभा देवीः अध्यक्ष महोदय, ''नवादा नगर परिषद् में सफाई के नाम पर करोड़ों का घोटाला है तथा अवैध बहाली के खिलाफ अविलंब जांच करायी जाय ।''

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, नगर निगम, मधुबनी को स्मार्टसिटी के रूप में विकसित करने के लिए बिहार सरकार को केंद्र से पहल करनी होगी और प्रारंभिक स्थिति में कम से कम 500 करोड़ रूपये खर्च किया जाना आवश्यक होगा ।

अतः स्मार्टसिटी योजनांतर्गत मधुबनी नगर निगम को चयनित करते हुए आवश्यक विकास कार्य कराया जाय ।

श्री मुकेश कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी प्रखंड-परिहार ग्राम-गोरहारी में दिनांक-29.11.2021 को पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस पब्लिक के बीच हुई झड़प के बाद

दिनांक–30.11.2021 को रात्रि में की गई पुलिस कार्रवाई का न्यायिक जांच की मांग करता हूं । हिंदी (प्रभात खबर) समाचार ने भी पुलिस बर्बता को छापा है ।

श्री महानंद सिंह: अध्यक्ष महोदय, कलेर प्रखंड के कंचन बिगहा, मुसेपुर, बलिदाद, नट टोली, करपी प्रखंड के रामापुर व किंजर मुसहरी में स्कूल भवन के अभाव में पढ़ाई ठप है, मैं भवन निर्माण करने की मांग करता हूं ।

श्री सूर्यकांत पासवान: अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय के बखरी थाना निवासी सत्यनारायण सदा 21 अगस्त से लापता हैं । 23 अगस्त को बखरी थाना कांड संख्या–233/2021 केस दर्ज कराया गया । मगर 4 महीने बाद भी पुलिस उक्त व्यक्ति को बरामद करने में असफल है । अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग करता हूं ।

श्री कुंदन कुमार: अध्यक्ष महोदय, राज्य के समग्र एवं समावेशी विकास की प्रतिबद्धता एवं औद्योगिक निवेश के आलोक में औद्योगिक क्षेत्र बेगूसराय में शुष्क बंदरगाह, कंटेनर यार्ड, विदेशी मुद्रा बैंक एवं विश्व स्तरीय परीक्षण और प्रमाणन आदि सुविधाएं प्रदान करने की मांग करता हूं ।

श्रीमती संगीता कुमारी: अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियां विधान सभा के प्रखंड कुदरा के जहानाबाद महावीर मंदिर से रामपुर के बीच में दुर्गावती नदी पर पुल का निर्माण कराने की मांग करती हूं ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: अध्यक्ष महोदय, चेनारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत रोहतास प्रखंड के रेलवे मैदान उचैला जो कि डेहरी–रोहतास लाइट रेलवे (DRLR) की संपत्ति है, उसकी नीलामी हो रही है ।

अत: रेलवे मैदान उचैला को DRLR से अधिग्रहण कर खेल मैदान रोहतास के रूप में विकसित करने की मांग करता हूं ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी: अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में होम्योपैथी चिकित्सक द्वारा कोरोना काल से लाखों जिंदगियां बचाई गई हैं, प्रशासन द्वारा शराबबंदी की आड़ में होम्योपैथी चिकित्सकों को परेशान किया जा रहा है, जबकि 1940 में बने ड्रग कानून के तहत 30 एम0एल0 एवं 60 एम0एल0 तक अल्कोहल मिला होता है, सरकार होम्योपैथी चिकित्सकों के लिए बने कानून के तहत सेवा अथवा नया कानून बना होम्योपैथी चिकित्सक को राहत दें ।

श्री अवध विहारी चौधरी: अध्यक्ष महोदय, सीवान जिला अंतर्गत दरोगा प्रसाद राय डिग्री कॉलेज के भवन में केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहा है, जिसके कारण कॉलेज का पठन-पाठन बाधित होता है । सरकार केंद्रीय विद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध कराकर उक्त कॉलेज के भवन को छात्रहित में खाली कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री विनय कुमार: अध्यक्ष महोदय, गया जिला के गुरूारू प्रखंड अंतर्गत मथुरापुर बाजार में एस.एच. 69 पर पूरब साइड में नाला निर्माण किया गया था, परंतु पश्चिम साइड नाला नहीं बनने के कारण बराबर जल-जमाव की समस्या बनी रहती है ।

अत: सरकार से पश्चिम साइड में भी नाला निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

डॉ॰ रामानुज प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, सारण जिला के सोनपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दिघवारा एवं सोनपुर प्रखंड में बाढ़ राहत राशि से वंचित पीड़ित परिवार को बाढ़ राहत राशि दिलवाने की मांग सरकार से करता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप बैठ जाइए, 12.30 बजे तक ही आज सदन चलेगा ।

श्री सुधाकर सिंह: अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद बैंक वर्तमान में इंडियन बैंक, दुर्गावती के दर्जनों खाता धारकों के खाते से शाखा प्रबंधक द्वारा अवैध तरीके से पैसे की निकासी की गई है । सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच करवाकर दोषी पर कार्रवाई करे ।

श्री राकेश कुमार रौशन: अध्यक्ष महोदय, नालंदा जिला अंतर्गत माली साढ़, बराज से निकली हुई पैमार सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर की खुदाई माली साढ़ से जैतीपुर तक कराने की मांग करता हूं ।

श्री भीम कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफिगंज प्रखंड के पौथु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो आजादी के पहले से बना हुआ है । सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड कर डॉक्टरों की बहाली की जाय ।

श्री ऋषि कुमार: अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रखंड परिसर में एक ही योजना के निर्माण कार्य में दो वित्तीय वर्ष (2019-2020) (2020-2021) विभिन्न मदों से राशि निकालकर लोक धन का गबन किया गया है । BDO के विरूद्ध सरकार जांच कर कार्रवाई करे ।

श्री मनोज मंजिलः अध्यक्ष महोदय, बिहार में 1,14,691 वार्ड सचिव 4 वर्षों से सात निश्चय योजना में कार्यरत रहे हैं, आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे वार्ड सचिवों को स्थायी कर उचित मानदेय के साथ सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिये जाने की मांग करता हूं ।

श्री सत्यदेव रामः अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में 22 नवंबर को 65 मरीजों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ । सभी 65 की आँखें खराब हो गई और 16 लोगों की आँखें निकालनी पड़ी हैं ।

लापरवाह अस्पताल प्रशासन-डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई तथा पीड़ितों को 15-15 लाख रुपया देने की सरकर से मांग करता हूं ।

श्री गोपाल रवि दासः अध्यक्ष महोदय, पटना जिला के संपूर्ण प्रखंडों में सब्जी उत्पादकों के लिए मार्केट और स्टोर निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री अमरजीत कुशवाहाः अध्यक्ष महोदय, सिवान जिले के हुसैनगंज थाना ग्राम पैगम्बरपुर के निवासी सुमित कुमार सिंह-23, रामनगर निवासी विशाल सिंह और परमेंदर सिंह, दि0-07.11.2021 से गुम हैं जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट हुसैनगंज थाना कांड संख्या-290/2021 दर्ज है ।

उन्हें ढूंढ़ने की द्रुत कार्रवाई की मांग करता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः समय कम है । आप बैठ जाइए ।

श्री रामबली सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला अंतर्गत हुलासगंज प्रखंड में मुख्य नहर से ढोढरी वितरणी पक्कीकरण कार्य लूट की भेंट चढ़ गया है । नहर से पानी कम निकलता है तथा वितरणी के पक्की दीवार से पानी बाहर बह जाता है । जांच कर कार्रवाई करने तथा ढोढरी तक पानी पहुंचाने की मांग करता हूं ।

श्री अरूण सिंहः अध्यक्ष महोदय, नवनिर्मित इंटरस्तरीय विद्यालय दनवार (काराकाट) में पठन-पाठन शुरू कराया जाय ।

अध्यक्ष : पहले कुछ रिपोर्टस सदन पटल पर रखी जायेंगी फिर ध्यानाकर्षण सूचनाएं और समय बचने पर शून्यकाल लिये जायेंगे ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रथम प्रस्ताव माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत अधिसूचना संख्या- एस0ओ0-161, दिनांक- 04.11.2021 की प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत अधिसूचना संख्या- एस0ओ0-161, दिनांक- 04.11.2021 की प्रति सभा मेज पर चौदह दिनों तक रखी जायेगी ।

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार माल सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के तहत अधिसूचना संख्या- एस0ओ0- 126, दिनांक- 03.08.2021; एस0ओ0- 128, दिनांक- 17.08.2021; एस0ओ0- 129, 130, 131 एवं 132, दिनांक- 14.09.2021; एस0ओ0- 133, 134 एवं 135, दिनांक- 27.09.2021; एस0ओ0- 136, 137, 138, 139, 140, 141 एवं 142, दिनांक- 30.09.2021; एस0ओ0- 155, 156 एवं 157, दिनांक- 18.10.2021 एवं एस0ओ0- 158, दिनांक- 27.10.2021 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : बिहार माल सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के तहत अधिसूचना संख्या- एस0ओ0- 126, दिनांक- 03.08.2021; एस0ओ0- 128, दिनांक- 17.08.2021; एस0ओ0- 129, 130, 131, 132, दिनांक- 14.09.2021; एस0ओ0- 133, 134, 135, दिनांक- 27.09.2021; एस0ओ0- 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, दिनांक- 30.09.2021; एस0ओ0- 155, 156, 157, दिनांक- 18.10.2021 एवं एस0ओ0- 158, दिनांक- 27.10.2021 की प्रति सभा मेज पर तीस दिनों तक रखी रहेगी ।

प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-619(ए)(2) के तहत बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-22(2) के तहत बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) नियमावली, 2020 की प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-22(2) के तहत बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) नियमावली, 2020 की प्रति सदन पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी ।

माननीय सभापति, लोक लेखा समिति ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 249 के तहत लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या- 707 की प्रति को सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 46 याचिकायें प्राप्त हुई हैं ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री अमरजीत कुशवाहा, सुदामा प्रसाद एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (पर्यटन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अमरजीत कुशवाहा की सूचना पढ़ी गयी हैं । माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जी की जन्मस्थली सिवान जिला स्थित जीरादेई स्थल प्रश्नानुसार पुरातत्व विभाग के अधीन है । पर्यटन विभाग द्वारा इस स्थल के विकास के संबंध में विभागीय पत्रांक- 2026, दिनांक- 30.11.2021 द्वारा जिला पदाधिकारी, सिवान से प्रतिवेदन की मांग की गयी है । इसके अतिरिक्त जीरादेई मोड़ पर गेट, बोर्ड एवं डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद स्मृति द्वार स्थापित करने के संबंध में जिला पदाधिकारी, सिवान से पूर्व में विभागीय पत्रांक- 1403, दिनांक- 17.08.2021 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गयी है। प्रतिवेदन अप्राप्त है प्रश्नगत स्थल पर स्वागत द्वार निर्माण कराने के प्रस्ताव पर भी सरकार विचार कर रही है । विभागीय पत्रांक- 2000, दिनांक- 27.11.2021 द्वारा जिला पदाधिकारी, सिवान से जमीन इत्यादि की पूर्ण विवरणी के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के प्रतिवेदन की मांग की गयी है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान की सूचना पढ़ी गयी है ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय ....

अध्यक्ष : ठीक है, समय कम है । मंत्री जी आपके प्रभारी मंत्री हैं और आज जयंती के अवसर पर बड़ी सजगता के साथ काम करेंगे ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आज सरकार से कम से कम घोषणा होती । बहुत गंभीर मामला हैं वहां आजादी की 75वीं वर्षगांठ केन्द्र सरकार मना रही है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी रिपोर्ट ने मांगी है और बड़ी संजीदगी के साथ कहा है कि हम उसपर कार्रवाई करेंगे ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : उतना आसानी से.....

अध्यक्ष : हमारी विरासत को सम्मान देने में इस जयंती के अवसर पर माननीय मंत्री जी प्राथमिकता देंगे । ठीक है ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो ध्यानाकर्षण आया है चारों माननीय सदस्य आज सुबह हमसे ऑफिस में मिले हैं । उन्होंने जो कन्सर्न बताया है तो हमारी टीम जा रही है, इनके साथ डेट भी तय हो गई है । वह टीम जाकर जो इशूज हैं उनको वहां जाकर रिसोल्व कर देगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सदन के माध्यम से मैं सिर्फ आग्रह करूंगा कि हमारे यहां जो भीषण कटाव है इन ग्रामों के कटावों से काफी नुकसान हुआ है ।

अध्यक्ष : समय कम है, आज 12.30 बजे अपराह्न तक सदन चलेगा ।

श्री अखतरूल ईमान : एक मिनट अध्यक्ष महोदय । मैं सिर्फ साक्ष्य के तौर पर अबकी बार 600 बाढ़ प्रभावित कटाव ग्रस्त परिवारों के जो आवेदन हैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री अखतरूल ईमान, श्री शाहनवाज एवं श्री मोहम्मद अन्जार नईमी, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, ''राज्य भर के विभिन्न काराओं में बड़ी संख्या में उम्र कैद की सजा प्राप्त कैदी 14 वर्ष की अपनी निर्धारित सजा पूरी करने के बाद भी राज्य परिहार परिषद् द्वारा समय पर निर्णय नहीं लेने के कारण जेलों में बेवजह निरूद्ध हैं ।

विलंब के बावजूद स्वाभाविक न्याय से वंचित रहने के कारण बंदियों के परिजनों और संबंधियों में निराशा मिश्रित आक्रोश है ।

अत: लोक महत्व के उक्त विषय पर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गृह विभाग की अधिसूचना संख्या- 3106, दिनांक- 10.12.2002 के आलोक में आजीवन सजा प्राप्त बंदियों की 14 वर्ष की वास्तविक सजा एवं 20 वर्ष की परिहार सहित सजा पूर्ण होने के उपरांत ही असमय कारा मुक्ति पर विचार किया जाता है ।

2- उल्लेखनीय है कि आजीवन सजा प्राप्त बंदियों की 14 वर्ष की वास्तविक सजा एवं 20 वर्ष की परिहार सहित सजा पूर्ण होने के उपरांत ससमय कारा मुक्ति उनका वैकल्पिक अधिकार नहीं है अपितु कारा में उनके अच्छे आचरण को दृष्टि में रखते हुए उनकी कारावधि को पृच्छांत किया जाता है ।

3- गृह विभाग की अधिसूचना संख्या- 3106, दिनांक- 10.12.2002 की कंडिका-4 में आजीवन कारावास की समयपूर्ण रिहायी के लिए अयोग्यता निर्धारित है, जो निम्न है :- बलात्कार, डकैती, आतंकवादी, अपराधी आदि जैसे अपराधों के सिद्धदोष बंदी ।

(ख) वैसे बंदी जो वितरण किये गये विषयों पर, चिंतन किये गये विषयों पर सुनिश्चित रूप से हत्याएं आदि करने के लिए दोषी सिद्धदोषी हों ।

(ग) ऐसे पेशेवर हत्यारे जिन्हें भाड़े पर हत्या करवाने पर दोषी पाया गया हो।

(घ) ऐसे सिद्धदोषी बंदी जो सरकारी कार्यों में अति लिप्त रहते हुए हत्या कराता हो अथवा कर्त्तव्य पर रहने वाले लोक सेवकों की हत्या का दोषी है ।

4- उपरोक्त के आलोक में गृह विभाग द्वारा समय-समय पर आजीवन कारावास बंदियों की ससमय कारा मुक्ति के विचारण हेतु बैठकें आयोजित की जाती हैं ।

(क्रमश:)

टर्न-10/सत्येन्द्र/ 03-12-21

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री(क्रमश:) (4) उपर्युक्त के आलोक में गृह विभाग द्वारा समय समय पर आजीवन कारावास बंदियों की ससमय कारामुक्ति के विचारण हेतु बैठकें आयोजित की जाती है । राज्य दंडादेश परिहार परिषद की बैठकें दिनांक 01-05-18, 01-08-18, 28-11-18, 14-05-18, 21-06-19, 21-8-19, 19-11-19, 20-02-20,

03-04-20, 23-12-20, 19-05-21, 27-08-21 एवं 01-11-21 को आयोजित की गयी जिसके आलोक में कुल 374 बंदियों को प्रावधानुसार कारामुक्त किया जा चुका है। 5- सजा प्राप्त बंदियों के समय पूर्ण रिहाई की उपरोक्त प्रावधानों का सरकार के स्तर पर समय समय पर समीक्षा की जाती है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अभी महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़ा जाना है, उसका उत्तर भी प्राप्त करना है तो सदन की सहमति हो तो शुक्रवार को 12.30 बजे तक रहता है समय लेकिन समय सदन की बढ़ायी जाती है अगर सहमति है आप सब लोगों की तो ।

(सदन की सहमति हुई)

सदन की सहमति है तो शून्यकाल भी होगा । ये बंधन जो है उसको बढ़ा दिया जाता है । अब ऐसी परिस्थिति में आयेगा दूसरे पक्ष का तो आप उस समय कहियेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये समय के अनुसार चलेगा । बोलिये ललित जी ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर था, थोड़ा माईक का आवाज कम था फिर जो हमने सुन पाया, इनका था कि 19-5-21 तक संभवत: जो राज्य परिहार परिषद है, उसकी अंतिम बैठक हुई है यानि हमलोग इतना कह रहे हैं कि 14 साल जो सजा पूरी कर लिये, सिर्फ बिहार छोड़कर महोदय सम्पूर्ण देश में सैंकड़ों की संख्या में बंदी को छोड़ा गया है और यहां तो मुझे लगता है कि 6 महीना में कोई बैठक न हुई है और न ही 6 महीना में किसी को छोड़ा गया है और इससे बिहार के जो कैदियों के परिजन लोग हैं, वह समय पूरा कर लेने के बाद भी काफी आक्रोशित हैं महोदय और सुप्रीम कोर्ट का भी यह निर्णय है जो लोग ये सजा पूरी कर लिये हैं और अगर उनका आचरण सही है उनको रिहा किया जाय तो महोदय मंत्री जी के जवाब में ऐसा कुछ नहीं था तो हम इतना ही जानना चाहते हैं कि जिनका आचरण सही हो, 14 साल का सजा पूरा कर लिये हों तो ये 6 माह में बैठक कराये हैं कोई, बैठक कराये हैं तो यह हम नहीं सुन पायें तो ये इधर बैठक कब कराना चाहते हैं और ऐसे कैदी जो 14 साल की सजा पूरी कर लिये हैं और उनका चरित्र ठीक हो,उनका आचरण ठीक हो तो उनको छोड़ने का विचार रखते हैं या नहीं?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, अंतिम बैठक 01-11-2021 को हुई है और जहां तक कैदियों का छोड़ने का प्रश्न है, 374 लोगों को रिहा किया जा चुका है और 01-11-2021 को अंतिम बैठक हुई है।

श्री चेतन आनंद: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ । बात महोदय यह है कि जब 3106 के सारे प्रावधानों पर अगर कोई व्यक्ति फुलफिल कर रहा है उसके वाबजूद

उसका नहीं हो रहा है तो हम ये पूछना चाहेंगे बिहार सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि दिल्ली मॉडल के हिसाब से पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए तो ऐसी पारदर्शिता बिहार में क्यों नहीं है? क्यों नहीं पता चलता है हमें कि कौन बाहर निकलने वाला है और कौन नहीं निकलने वाला है, किसको परिहार दिया जा रहा है और किसको नहीं दिया जा रहा है, इसका कोई वेबसाईट नहीं है..

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है?

श्री चेतन आनंद: मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ऐसा वेबसाईट क्यों नहीं है ?

अध्यक्ष: ऐसा वेबसाईट बने यही आप चाहते हैं न ?

श्री चेतन आनंद: आखिरकार एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि आनंद मोहन जी का 6 महीना से ज्यादा हो चुका है लेकिन अभी तक उनको नहीं निकाला गया है। उसके बारे में सरकार क्या विचार रखती है ? मैं ये पूछूंगा, आनंद मोहन जी के बारे में कि यह सरकार क्या विचार रखती है ? यह केवल आनंद मोहन जी का मामला नहीं है, पूरे बिहार का मामला है।

अध्यक्ष: पार्टिकुलर नाम इसमें नहीं दिये हैं लेकिन एक जेनरल पूरक अगर कोई है तो ..

श्री चेतन आनंद: मैं पूछना चाहूंगा, ये कोई सिर्फ आनंद मोहन जी का मामला नहीं है पूरे बिहार में ऐसे कई कैदी हैं जिनके साथ ये हो रखा है ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: आपका साईन है इसमें ? ध्यानाकर्षण में जिनका साईन रहेगा वही बोलेंगे । जिनका हस्ताक्षर है...

(व्यवधान)

एक बार सब उठियेगा तो कैसे बोलियेगा ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू0 सिंह: अध्यक्ष महोदय, विगत 1 नबम्बर 2021 को पटना में परिहार परिषद की बैठक सम्पन्न हुई लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से यहां भी जानबूझकर पूर्व सांसद आनंद मोहन जी के फाईल को पूट-अप नहीं किया गया । महोदय, यहां पेरौल में भी अनियमितता बरती जाती है और पारदर्शिता नहीं रखी जाती है। यहां राजनीतिक से प्रेरित होकर फैसले लिये जाते हैं, यहीं कारण है कि श्री आनंद मोहन जी को सिनियर सिटीजन होने के बावजूद उनको न्याय नहीं मिला । आखिर न्याय की गहुार कहां लगायेंगे महोदय, आपका संरक्षण चाहिए महोदय इसमें।

श्री महबूब आलम: महोदय, 3 फरवरी 2021 को जस्टिस कौर और जस्टिस राय के बेंच में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि आजीवन कारावास की सजा पाये गये कैदियों को परिहार का अधिकार है और सभी राज्य सरकार को ये आदेश जारी किया गया कि टाईम

लाईन तय कर के कैदियों को छोड़ा जाय साथ साथ महोदय अभी माननीय मंत्री जो जुल्म की प्रवृत्ति का नेचर है उसको गिना रहे थे लेकिन महोदय 7 मार्च, 2017 को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस नवनीत प्रसाद सिंह, जस्टिस विकास डेन के बेंच ने रवि प्रताप मिश्र बनाम बिहार सरकार के केस में यह आदेश दिया कि चाहे जुल्म जितना भी जघन्य हो, कैदी को परिहार का अधिकार से बंचित नहीं किया जा सकता तो परिहार समिति में आनंद मोहन जी का सवाल नहीं उठाना, यह साबित करती है महोदय..

अध्यक्षः थोड़ा संक्षिप्त में ही बोलिये, समय कम है।

श्री महबूब आलमः पूर्वाग्रह से ग्रस्त है सरकार और परिहार का लाभ कैदियों को देना चाहिए, यही हमारा ध्यानाकर्षण है महोदय और सरकार को पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी का जवाब सुनने के लिए जो भी प्रश्न है एक ही बार बोल दीजिये वे एक ही बार जवाब देंगे।

श्री राकेश कुमार रौशनः सेक्सन 32 सी0आर0पी0सी0 में भी प्रावधान है और आई0पी0सी0 का सेक्सन 55 में भी प्रावधान है कि जिन कैदियों ने 14 वर्ष की सजा पूरी कर ली है उन कैदियों को परिहार बोर्ड के द्वारा उनके आचरण पर विचार करते हुए सरकार छोड़ने के लिए विचार कर सकती है । इसी संदर्भ में माननीय महोदय सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 अगस्त 2021को एक जजमेंट दिया है और उस जजमेंट में उसने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है सरकार को कि नीचे से जो भी रिपोर्ट मंगाते हैं उस रिपोर्ट को मंगाने के बाद संबंधित कैदी को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं तो उसका पूरा कारण स्पष्ट करते हुए उसके आवेदन को निष्पादित करने का अधिकार है सरकार को, यह अधिकार है कैदी का ..

(व्यवधान)

तो सरकार ऐसी स्थिति में उनके आवेदन को क्यों नहीं निष्पादित कर रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्षः अब बैठ जाईए। माननीय मंत्री जी।

(व्यवधान)

अब आप लोग जवाब सुनेंगे । बैठ जायें माननीय सदस्य ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, एक तो महोदय मैंने पढ़ा, कारामुक्ति उनका वैधानिक अधिकार नहीं है । जहां तक आनंद मोहन जी के प्रश्न का मामला है..

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादवः और राजेन्द्र यादव।

अध्यक्षः अच्छा सुनिये न नाम पहले से नहीं दिये थे।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः महोदय साफ इसमें स्पष्ट है, लोकसेवकों की हत्या के मामले में, जब वह डियूटी पर हो ऐसे लोगों को परिहार नहीं दिया जाता है तो कलक्टर को हत्या

करने के दोषी में वे सजाप्राप्त हैं इसीलिए उनका प्रस्तुत नहीं किया गया, उस पर कार्रवाई नहीं की गयी ।

अध्यक्ष: माननीय श्री राघवेन्द प्रताप सिंह अपनी सूचना को पढ़ें ।

(व्यवधान)

कितने लोगों की भागीदारी हुई है, अब आप बैठ जाईए। आप नये सदस्य हैं आपको मौका दिया गया,आपके प्रश्न के बाद जब दूसरा पूरक पूछते हैं तो फिर आपका समाप्त हो जाता है ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव: ***

अध्यक्ष: यह सब प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा। राघवेन्द्र बाबू पढ़िये।

***- (आसन के आदेश से यह अंश हटाया गया)

टर्न-11/मधुप/03.12.2021

सर्वश्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, समीर कुमार महासेठ एवं श्री अली अशरफ सिद्दिकी, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [ऊर्जा विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, राज्य में मीटर रीडिंग का काम फ्रेंचाइजी को दिया गया है । फ्रेंचाइजी एजेंसी बिना तकनीकी योग्यता के किसी को भी नियुक्त कर मीटर रीडिंग के काम में लगा देती है, जिसके कारण मीटर रीडिंग सही नहीं आ पाता है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

(व्यवधान)

राज्य में जितने भी बिजली बिल हैं उसका कम से कम 30 प्रतिशत गलत बिजली बिल दिया जा रहा है । यह कोई भूल नहीं बल्कि इसमें विद्युत विभाग के लोगों की भी संलिप्तता है । जान-बूझकर गलत बिजली बिल दिया जा रहा है ताकि उसमें सुधार के नाम पर लोग कार्यालय का चक्कर लगाएं । जहॉ केवल एक बल्ब जलता है उस झोपड़ी में भी 15 लाख तक बिल दिया जा रहा है । इस तरह की एक नहीं हजारों घटनाएं हैं । इससे बिजली बिल का भुगतान करनेवाले उपभोक्ताओं में सरकार एवं व्यवस्था के प्रति आक्रोश का भाव पैदा होता है ।

अत: बिजली उपभोक्ताओं को दिये जा रहे गलत बिल पर रोक लगाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये एवं कई माननीय सदस्यगण वेल में बैठ गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपने-अपने स्थान पर जायं ।

(व्यवधान)

अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

टर्न–12/आजाद/03.12.2021

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब गैर–सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज मेरा ध्यानाकर्षण आया था, किसी कारणवश इसपर सरकार का जवाब नहीं हो सका ।

महोदय, यह पूरे बिहार का मामला है, जिसको आप जानते हैं । सारे बिहार के विद्युत के उपभोक्ता बिजली बिल से त्रस्त हैं विद्युत विभाग की वजह से । इस ध्यानाकर्षण को या तो प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को भेजा जाय लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी अध्यक्षता में इसपर कमिटी बनाकर एक बैठक बुलायें ।

अध्यक्ष : यह ध्यानाकर्षण प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को चला जायेगा । अब गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

गैर सरकारी संकल्प

क्रमांक– 1 : श्रीमती शालिनी मिश्रा, स0वि0स0

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चम्पारण के मंगलापुर से प्रारम्भ होने वाले चम्पारण तटबंध के 66वें किलोमीटर से पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत केशरिया प्रखंड के सुंदरापुर तक आने वाले 132.8 वें किलोमीटर तक पक्कीकरण करावें । ''

श्री संजय झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि चम्पारण तटबंध के किलोमीटर 66 से 132.80 कि0मी0 के बीच तटबंध के सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य हेतु तकनीकी सलाहकार समिति की 171वीं बैठक में एजेंडा संख्या–171/18/2021 के तहत वर्णित कार्य हेतु अनुशंसा की गयी है । विभागीय पत्रांक–1610 दिनांक 23.03.2021 द्वारा प्रश्नगत योजना के तकनीकी आर्थिक एप्रेजल हेतु प्रस्ताव गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, भारत सरकार को समर्पित है । भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त निधि की उपलब्धता के अनुसार कार्यान्वयन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

इसलिए माननीय सदस्या से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महादेय, माननीय मंत्री जी हमेशा सकारात्मक जवाब देते हैं, उसके लिए धन्यवाद । मैं कहना चाहती हूँ .....

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रही हैं ?

श्रीमती शालिनी मिश्रा : प्रस्ताव वापस लेने से पहले बस दो लाईन का आग्रह है कि हमारा क्षेत्र बूढ़ी गंडक में बाढ़ आने से वाल्मीकिनगर में जब भी पानी छूटता है तो साल में दो-तीन बार बाढ़ आती है जून से अगस्त तक, हर साल बाढ़ आती है । हमलोग रात भर नहीं सो पाते हैं क्षेत्र को बचाने की चिन्ता रहती है । आग्रह है कि इसको जल्द से जल्द करें ताकि हमलोग 6-7 महीने बाढ़ को झेलते हैं, उसको नहीं झेले, विकास का कार्य कर पायें । बहुत-बहुत धन्यवाद और इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 2 : श्री फते बहादुर सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक- 3 : श्री अली अशरफ सिद्दिकी, स0वि0स0

श्री अली अशरफ सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण करावें । ''

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए पंचायत में कुल स्थानों के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है । त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अति पिछड़ों के लिए 20 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित है । अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ों के कोटे के सदस्यों की कुल मिलाकर वर्तमान में 37 प्रतिशत से अधिक नहीं है । पिछड़े वर्ग अनुसूचि-2 को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान में आरक्षण प्रदान करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि अपने प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री अली अशरफ सिद्दिकी : जी, नहीं । हम वापस नहीं ले सकते हैं । यह बहुत बड़ा गंभीर मामला है। अत्यंत पिछड़ी जाति को जगह मिल जाती है और पिछड़ी जाति, ओ0बी0सी0 को जगह

नहीं मिलती है पंचायत चुनावों में और वे आरक्षण में जेनरल कोटे में चले जाते हैं। इसीलिए हम इसको वापस नहीं ले सकते हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण करावें । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

क्रमांक- 4 : श्री पंकज कुमार मिश्र, स0वि0स0

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत रून्नीसैदपुर प्रखंड के खरका पंचायत के इब्राहिमपुर में बागमती नदी पर पुल का निर्माण करावें । ''

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल एम0एम0जी0एस0वाई0 एस0सी0 अन्तर्गत स्वीकृत पथ मोहम्मद सुलेमान के घर से इब्राहिमपुर चौक तक के आरेखन पर अवस्थित है । उक्त पुल स्थल पर पुल की लम्बाई 112 मीटर है। अभिस्तावित पुल स्थल पर पुल के निमार्ण के संबंध में कार्यपालक अभियंता से टेक्नोफिजिबिलीटी रिपोर्ट की मांग की गई है । तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब जो है, वह सकारात्मक है लेकिन मेरा कहना है कि इसको जल्द से जल्द कराने की कृपा करें और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 5 : श्री अवधेश सिंह, स0वि0स0

श्री अवधेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह हाजीपुर विधान क्षेत्र अन्तर्गत हरौली हाजीपुर-महनार रोड के बिलट चौक तक जाने वाली नहर का जीर्णोद्धार करावें । ''

श्री संजय झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि हाजीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हरौली हाजीपुर-महनार सड़क के बिलट चौक तक एक जल निस्सरण नाला अवस्थित है, जिसे मलमला नाला कहा जाता है । मलमला नाला बिलट चौक से पहले ग्राम मघौल के निकट घाघरा ट्रंक चैनल में मिल जाती है । बाढ़ 2021 के दौरान वैशाली जिला में अत्याधिक वर्षापात होने के कारण इस नाले में ऑभर टॉपिंग की स्थिति उत्पन्न हुई थी । विभागीय पत्रांक-4046 दिनांक 02.12.2021 से मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर को जल निस्सरण नाला के जीर्णोद्धार हेतु विस्तृत सर्वेक्षण योजना उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है ।

इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि इस प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री अवधेश सिंह : मैं वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-13/शंभु/03.12.21

<u>क्रमांक-6 श्री सत्यदेव राम</u>

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सिवान जलान्तर्गत दरौली प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्वीकृत करावे ।''

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : महोदय, प्रस्तुत संकल्प के विषय में कहना है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सम्प्रति सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है जहां पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय संचालित नहीं हैं । सिवान जिले के दरौली प्रखंड सिवान सदर अनुमंडल के अन्तर्गत आता है जहां पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में डी0ए0वी0 कॉलेज सिवान, राजा सिंह कॉलेज सिवान एवं बी0वी0 महिला कॉलेज सिवान संचालित है । अतः दरौली प्रखंड में सरकार की डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लें ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : अतः माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सत्यदेव राम : यह प्रस्ताव वापस कराने की बात गलत है । महोदय, 40 कि0मी0 दूर ये दरौली है, 40 कि0मी0 दूर है । हमने साफ तौर पर कहा है कि अभी जो पंचायतों में

टेन प्लस टू का विद्यालय बनाये हैं बड़ी संख्या में पंचायत स्तर पर लड़के और लड़कियां उसमें इंटर पास करते हैं तो उनको सिवान या बहुत दूर जाने की स्थिति नहीं है । इसके चलते उनकी पढ़ाई छूट जाती है ऐसी स्थिति में उन गरीबों के तमाम बच्चे और बच्चियों को जो टेन प्लस टू से पास करते हैं, इंटर पास करते हैं उनको डिग्री देने के लिए यह आवश्यक है और इसलिए हम सरकार से यह आग्रह करते हैं चूंकि आज यह परिस्थिति बनी है और सभी प्रखंडों में.....

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, हम तो अभी मंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं । कहीं मंत्री जी मेरा आग्रह चूंकि मेरे जिले से हैं ।

अध्यक्ष : तो अलग से भी मिल लीजिएगा ।

श्री सत्यदेव राम : ये स्वीकार कर लें तो हमारा बहुत बड़ा काम न हो जायेगा ।

अध्यक्ष : बहुत ज्यादा संकल्प है ।

श्री सत्यदेव राम : इसलिए प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलने का सरकार निर्णय करे ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री सत्यदेव राम : सरकार इसपर कुछ बोलेगी तब न ।

अध्यक्ष : सरकार तो बोल दी । माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सम्प्रति सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है जहां पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय संचालित नहीं हैं और इस अनुमंडल में तीन महाविद्यालय हैं जिसकी चर्चा मैंने की है । इसी के आलोक में माननीय सदस्य से मैंने निवेदन किया है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री सत्यदेव राम : मैं इस शर्त्त पर सरकार की सहमति के साथ कि आनेवाले समय में प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज की स्वीकृति देने के साथ हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-7 श्री अवध बिहारी चौधरी</u>

श्री अवध बिहारी चौधरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सिवान जलान्तर्गत सिवान प्रखंड के पकड़ी मकरियार और माझा के बीच सोना नदी पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।''

श्री जयंत राज,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के एक तरफ पकड़ी मकरियार गांव है और दूसरी तरफ माझा गांव है । पकड़ी मकरियार गांव को एम0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत निर्मित बदली मकरियार जानेवाली पथ दिनेश मिश्रा मास्टर के घर से पकड़ी मकरियार अंसारी टोला पथ से संपर्कता प्राप्त है । माझा गांव को एम0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत टी02 से छोटा माझा से संपर्कता प्राप्त है । पुल स्थल के डाउन स्ट्रीम में लगभग 5.6 कि0मी0 पर एवं अपस्ट्रीम में 3 कि0मी0 पर आर0सी0सी0 पुल निर्मित है । उक्त पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं होने के कारण पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अवध बिहारी चौधरी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया और मैं वहीं का रहनेवाला हूँ और इस स्थल को मैं समझ रहा हूँ । सोन नदी एक है जो छोटका माझा और पकड़ी मकरियार के बीच से बहती है । वहां चाहे पकड़ी मकरियार के लोग हों या छोटका माझा के लोग हों करीब 8-9 कि0मी0 उत्तर और दक्षिण जाने के बाद से उनको यह नदी पार करके आना पड़ता है पकड़ी मकरियार मतलब सिवान ब्लॉक में है और सिवान ब्लॉक के लोगों को सोन नदी पार करके छोटका माझा, बड़का माझा, पिपरा वो मिश्रौली वगैरह इलाका में जाना पड़ता है । यह अति जरूरी है, पुल जो है इतना यह जरूरी है कि इसकी चौड़ाई 150 मी0 है, छोटका माझा जीरादेई प्रखंड में है और पुल के बन जाने से किसानों तथा आम जनता को काफी सहूलियत होगी । माननीय मंत्री जी को यह मानना चाहिए वह बाढ़ का इलाका है, काफी कष्ट में दोनों प्रखंड के लोग रहते हैं, दोनों का संबंध टूटा हुआ है, किसान हित में है, जनहित में है । इसलिए आसन से मैं चाहूंगा कि कम से कम सरकार मेरे इस प्रस्ताव को मान ले और इसका और बढ़िया तरह से सर्वेक्षण कराकर के और औचित्य बनता है तो यहां आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, प्रस्ताव वापस.....

श्री जयंत राज,मंत्री : महोदय, अभी प्रस्ताव को वापस ले लें माननीय सदस्य चूंकि सरकार की जो नीति है एकल संपर्कता प्रदान करना है प्रत्येक बसावट को एकल संपर्कता प्रदान करना है । अभी दोनों तरफ के बसावटों को एकल संपर्कता प्रदत्त है । डाउन स्ट्रीम में साढ़े 5 कि0मी0 और अप स्ट्रीम में 3 कि0मी0 पर पुल है । इसलिए अभी माननीय सदस्य प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अवध बिहारी चौधरी : महोदय, प्रस्ताव तो वापस लेना ही है, लेकिन आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि थोड़ा विशेष सर्वेक्षण करा लें, अगर वहां बनता है तो वहां आर0सी0सी0 पुल का निर्माण जरूर करावें । यह मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–8 श्रीमती मंजु अग्रवाल</u>

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत प्रखंड मोहनपुर में कोसला नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री जयंत राज, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावटों को संपर्कता की स्थिति निम्नवत् है । अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ लोहिया जयप्रकाश नगर वाजूकलां एवं लारो बसावट है । लोहिया जय प्रकाश नगर बसावट को एम0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत निर्माणाधीन जी0टी0 रोड तेतरिया से लोहिया नगर महादलित टोला तक पथ से संपर्कता हो जायेगी । बाजूकलां से लारो बसावट को बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति के अन्तर्गत मरम्मति हेतु प्रस्तावित पथ बाजूकलां से लारो से संपर्कता प्राप्त हो जायेगी । अभिस्तावित पुल स्थल के दोनों तरफ कोसिला मचाहिम खजबती बनहर एवं सहदेव खास बसावट है जिसे बिहार ग्रामीण अनुरक्षण नीति 2018 के अन्तर्गत मरम्मति किये गये मोचारिन से कोसिला तक संपर्कता प्राप्त है ।

टर्न–14/पुलकित/03.12.2021

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अपना प्रस्ताव वापस ले रही हैं ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : हां, लेकिन एक शब्द कहने के बाद वापस लेंगे ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : अब हो गया ।

क्रमांक संख्या- 9 : श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, स0वि0स0

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला अंतर्गत प्रखण्ड नवीनगर को अनुमंडल का दर्जा प्रदान करावें ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, राज्य में जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल के पुनर्गठन हेतु मंत्रियों के समूह का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में किया गया है साथ ही मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने के लिए सचिवों की समिति गठित है। सचिवों की समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाई के पुनर्गठन हेतु जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडल आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सभी सचिवों की समिति के समक्ष विचार रखा जाता है । अतएव भेजने हेतु सभी जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है । वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या- 4 के द्वारा सीमाओं में फेरबदल 31.12.2021 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किये जाने का आदेश संसूचित है । औरंगाबाद जिला अंतर्गत नवीनगर को अनुमंडल बनाने हेतु सम्प्रति कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : नहीं । अध्यक्ष महोदय, एक बात....

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला अंतर्गत प्रखण्ड नवीनगर को अनुमंडल का दर्जा प्रदान करायें ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

क्रमांक संख्या- 10 : श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, स0वि0स0

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला औरंगाबाद, प्रखण्ड- रफीगंज के ग्राम पंचायत भेटनिया में मदार नदी पर पुल का निर्माण करावें ।''

माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है और इस संबंध में मैं उनसे मिला भी था एक एप्लीकेशन भी दिया था । आप उस पर ध्यान दीजिये हर साल आदमी डूब जाते हैं, मर जाते हैं ।

अध्यक्ष : सुन लीजिये । माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के एक तरफ भेटनिया बसावट है जिसे पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित पथ भदुआ-कजपा से भेटनिया पथ से सम्पर्कता प्रदत्त है एवं दूसरी तरफ शाहपुर बसावट है जो पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित पोथू-बराही के आरेखन पर अवस्थित है । अभिस्तावित पुल स्थल के एवं शाहपुर के बीच डेढ़ किलोमीटर है जिसमें कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इस आरेखन को किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है । अभिस्तावित पुल के अप स्ट्रीम के तीन किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में पांच किलोमीटर पर पुल निर्मित है । अभिस्तावित पुल के दोनों तरफ के बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदत्त है । अतः पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थिति में महोदय, माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : इसके अलावा कोई चारा है भी नहीं है । मगर मेरी बात सुन ली जाय इसलिए अगर प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे तो हां और ना में सवाल और जवाब होगा तो हां ही में ज्यादा होगा । मेरा एक मंत्री जी से आग्रह है कि इस संबंध में मैं कई बार आपसे मिला । दोनों तरफ आबादी है बीच में नदी है और ब्लॉक और थाना जाने में कम से कम दस किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है । हर साल उसमें आदमी डूब कर मर जाते हैं । दलित पिछड़े इस तरह के लोग हैं कम से कम देनी चाहिए । आप चाहेंगे तो बन जायेंगे ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : बिल्कुल ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक संख्या- 11 : श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स0वि0स0</u>

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला मधेपुरा अंतर्गत प्रखण्ड आलमनगर के अधीन ग्राम पंचायत बसनबाड़ा अंतर्गत अल्हा सल्हा चाप से जल निकासी नाला का निर्माण करावें ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग । ट्रांसफर है ।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित संकल्प ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है तथा संकल्प के महत्व को देखते हुए जमीन अधिग्रहण के पश्चात जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत विभिन्न विभागों से संबंध स्थापित करके अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक संख्या- 12 : श्री अजय कुमार सिंह, स0वि0स0</u>

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुंगेर जिला अंतर्गत जमालपुर रेल कारखाना परिसर में रेल विश्वविद्यालय खोले जाने की रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करें ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिला अंतर्गत जमालपुर रेलवे कारखाना परिसर में रेल विश्वविद्यालय खोले जाने से संबंधित भारत सरकार से अपेक्षित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक- 7562, दिनांक- 30.11.2021 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर से आग्रह किया गया । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री और उस समय के तत्कालीन मंत्री माननीय मनोज सिन्हा जी जो अभी महामहिम है कश्मीर में उन्होंने कहा था कि यहां रेल विश्वविद्यालय खोला जायेगा । उसी के तर्ज पर बदौरा में रेल विश्वविद्यालय खोला गया तो प्रस्ताव जब वापस हो जायेगा ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री अजय कुमार सिंह : सब सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हो जायेगा तो इसकी सिफारिश भी तो हो सकती है ।

<u>क्रमांक संख्या- 13 : श्री सुधाकर सिंह, स0वि0स0</u>

श्री सुधाकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिला के दुर्गावती में एक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण करावें ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कैमूर जिला अंतर्गत दुर्गावती में ट्रॉमा सेंटर के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि वह अपना संकल्प वापस होगा ।

श्री सुधाकर सिंह : माननीय मंत्री जी, एन0एच0 2 पर रोज दुर्घटनाएं हो रही है । कहीं न कहीं ट्रॉमा सेंटर बनवायें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक संख्या- 14 : श्री भाई वीरेन्द्र, स0वि0स0

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला अंतर्गत प्रखण्ड मनेर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनेर को उत्क्रमित कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा प्रदान करावें ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पटना जिला अंतर्गत मनेर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित किया जा चुका है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री भाई वीरेन्द्र : मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे क्वेश्चन करने पर उन्होंने संज्ञान लिया और कर दिया इसके लिए धन्यवाद ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लिया ?

श्री भाई वीरेन्द्र : हां, वापस ले लिया ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक संख्या- 15 : श्री मोती लाल प्रसाद, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न-15/अभिनीत/03.12.2021

क्रमांक- 16 : श्री अरूण सिंह, स0वि0स0

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि रोहतास जिलांतर्गत बिक्रमगंज-डिहरी राज्य उच्च पथ में अवस्थित रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर आर0ओ0बी0 का निर्माण करावे ।''

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलांतर्गत बिक्रमगंज-डिहरी राज्य उच्च पथ में अवस्थित रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर आर0ओ0बी0 पुल के निर्माण से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक- 7524, दिनांक- 28.11.2021 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री अरूण सिंह : महोदय...

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अरूण सिंह : प्रस्ताव वापस तो लेंगे ही महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री नंद किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, एक आग्रह करना था आपसे । बिहार में आर0ओ0बी0 के निर्माण का काम रेलवे और पथ निर्माण विभाग की सहमति से होता है लेकिन विधान सभा में मैं लगातार कई सालों से देख रहा हूं कि आर0ओ0बी0 का प्रस्ताव परिवहन विभाग के पास जाता है । परिवहन विभाग को संभवतः जानकारी भी नहीं होती होगी कि कौन से आर0ओ0बी0 के प्रस्ताव स्वीकृत हुए, कौन नहीं हुए हैं । इसलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में कहीं न कहीं विचार करना चाहिए आपको कि आर0ओ0बी0 से संबंधित जो प्रश्न है वह जाय कहां ? जो विभाग करने वाला है, चूंकि लगातार रेलवे और पथ निर्माण के बीच में ही संवाद होता है, उसी के आधार पर निर्णय होते हैं । पैसा का आवंटन भी जो होता है वह यही दोनों विभाग करते हैं तो ये तीसरा जब जवाब देता है तो थोड़ा गड़बड़ लगता है । थोड़ा आपको विचार करना चाहिए कि इस पर क्या करना चाहिए ।

अध्यक्ष : परिवहन विभाग, पथ निर्माण विभाग से विमर्श कर ले । आगे से इसको देखा जायेगा ।

<u>क्रमांक- 17 : श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0</u>

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलांतर्गत मधुबनी नगर निगम को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चयनित किए जाने हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करे ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी उच्च सदन में हैं इसका जवाब बाद में आयेगा ।

श्री समीर कुमार महासेठ : जी, ठीक है ।

क्रमांक- 18 : डॉ0 अनिल कुमार, स0वि0स0

डॉ0 अनिल कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहटा एयरपोर्ट का नाम किसान आंदोलन के प्रणेता स्वामी सहजानन्द के नाम पर करावे ।''

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहटा सैन्य हवाई अड्डा का स्वामित्व रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है तथा इसका संचालन भारतीय वायु सेना द्वारा किया जाता है । रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाले हवाई अड्डों का नामकरण रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है । वर्तमान में निर्माणाधीन बिहटा सैन्य हवाई अड्डा के नामकरण हेतु किसी तरह का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डॉ0 अनिल कुमार : महोदय, स्वामी सहजानन्द सरस्वती किसान आंदोलन के प्रणेता थे । इस देश के वे महान स्वतंत्रता सेनानी थे और उस समकक्ष के नेता थे जिसमें सुभाष चंद्र बोस, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, डॉ0 श्री कृष्ण सिंह, देश में उतने प्रखर नेता किसानों के आजतक हुए नहीं । वह जमींदारी उन्मूलन के लिए लड़ाई लड़े । बिहटा उनका कर्म क्षेत्र है, इसलिए बिहटा एयरपोर्ट का का नाम, भारत सरकार का है लेकिन बिहार सरकार अनुशंसा तो करे । इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं माननीय मंत्री से कि बिहार सरकार अनुशंसा करे कि बिहटा एयरपोर्ट का नाम किसान के प्रखर नेता स्वामी सहजानन्द के नाम पर रखा जाय ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने आग्रह किया कि अभी राज्य सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से निवेदन है कि संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डॉ0 अनिल कुमार : महोदय, प्रस्ताव वापस लेते हैं माननीय मंत्री जी अनुशंसा करके भेज दें भारत सरकार के पास ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 19 : श्री प्रणव कुमार, स0वि0स0

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह विश्व के एकमात्र योग विश्वविद्यालय मुंगेर के लिए, मुंगेर स्टेशन से कोलकाता एवं दिल्ली के लिए योग भूमि नाम से ट्रेन का परिचालन कराने हेतु रेल मंत्रालय, केंद्र सरकार से सिफारिश करे ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्व के एकमात्र विश्वविद्यालय मुंगेर स्टेशन से कोलकाता एवं दिल्ली के लिए योग भूमि नाम से ट्रेन का परिचालन कराने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक- 7563, दिनांक- 30.11.2021 द्वारा नियमानुसार कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री प्रणव कुमार : मैं यह प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 20 : श्री राजेश कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गंगा नदी के हाजीपुर, वाजिदपुर वाया तटबंध के चेन सं0 1767.5 से चेन सं0 1859 एवं चेन सं0 1923 से चेन स0 2168 तक तटबंध के शीर्ष पर सेवा पथ का निर्माण करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गंगा नदी के हाजीपुर, वाजिदपुर वाया तटबंध के चेन सं0 1767.5 से चेन सं0 1849 तक एवं चेन सं0 1923 से चेन स0 2168 तक तटबंध के शीर्ष पर सेवा पथ का निर्माण कार्य नबार्ड से प्राप्त ऋण के तहत कराये जाने का कार्यक्रम है । नबार्ड से ऋण प्राप्त होने के उपरांत तथा वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आलोक में प्रश्नगत कार्य कराये जाने की आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री राजेश कुमार सिंह : महोदय, एक्चुअली में मैं तीन बार इनके प्रधान सचिव से इस संबंध में मिल चुका हूं । मोहद्दीनगर प्रखंड का कुरसाहा बांध कई विधान सभा क्षेत्र को जोड़ता है । पहले इसमें सड़क का निर्माण भी हुआ था, 20 साल से यह बांध टूटा हुआ है, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पर विशेष कृपा प्रदान करें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 25 : श्री कुमार शैलेन्द्र, स0वि0स0

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलांतर्गत बिहपुर विधान सभा के कहारपुर, ब्रैचा, लोकमानपुर को कोसी नदी के कटाव से निजात दिलावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलांतर्गत कहारपुर गांव बिहपुर प्रखंड एवं लोकमानपुर गांव खरिक प्रखंड में कोसी नदी के बायें किनारे अवस्थित है । ग्राम कहारपुर को कोसी नदी के कटाव से सुरक्षा निमित योजना विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । तकनीकी सलाहकार समिति से अनुशंसा मिलने पर आगे की कार्रवाई की जायेगी ।

इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है इस प्रस्ताव को वापस लें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वपास लेंगे ?

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र कोसी और गंगा के बीच में है । मैं माननीय मंत्री जी से कल भी मिला था, दोनों तरफ कभी कोसी, कभी गंगा से कटाव होता है, मंत्री महोदय ने जो कहा है कि तकनीकी सलाहकार को हमने दिया है । महोदय तकनीकी टी0एस0सी0 और सी0आर0सी0 में जो होता है दोनों जगह से इनके पास चला गया है ।

अध्यक्ष : संज्ञान में आ गया है । प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री कुमार शैलेन्द्र : जी, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-16/हेमन्त/03.12.2021

क्रमांक-22 : श्री कुदन कुमार, स0वि0स0

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला अन्तर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु बियाडा द्वारा विकास केंद्र से बेगूसराय को कर्णांकित 20 एकड़ जमीन पर चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण करावें ।''

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय के निर्माण हेतु बियाडा की 20 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग को सशुल्क हस्तांतरण है । मंत्री परिषद की दिनांक- 16.11.2018 की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । इसके पश्चात् विभागीय राज्यादेश संख्या- 308(1), दिनांक- 07.01.2019 के द्वारा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । साथ ही विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 33(1), दिनांक- 15.01.2021 के द्वारा 40,70,00000/-(चालीस करोड़ सत्तर लाख) रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है । राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा निविदा प्रकाशित की गयी थी । प्रकाशित निविदा के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC NO. 211/2020 JMC प्रोजक्ट संज्ञा लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर की गयी है । इस मामले में उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सुनवाई के उपरांत न्यायादेश सुरक्षित रखा गया है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि इस संकल्प को वापस ले लें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, आप भी वहां के प्रभारी मंत्री रहे हैं और बेगूसराय के लोग मुझसे ज्यादा आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं । मेरा आग्रह होगा कि आश्वासन मिल जाय कि जल्द-से-जल्द वहां कार्य शुरू हो जाय, तो बड़ी कृपा होगी ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री कुंदन कुमार : मैं अपना प्रस्ताव वापस ले रहा हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-23 : श्री सुदामा प्रसाद, स0वि0स0</u>

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह धान खरीद में नमी सीमा की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए किसानों के धान का प्रति क्विंटल 1000 रुपये बोनस के साथ खरीद करावें ।''

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 17 प्रतिशत अधिकतम नमी भारत सरकार द्वारा शर्त है एवं इसे समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । साथ ही प्रति क्विंटल 1000 रु0 बोनस देने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है । अध्यक्ष महोदय, नमी की जहां तक बात है, भारत सरकार ने कम ही कर दिया था । माननीय मुख्यमंत्री जी ने

भारत सरकार के विभागीय मंत्री से बात करके इसको 17 प्रतिशत तक रखने का अनुरोध किया, फिर 17 प्रतिशत हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, मेरी एक बात सुन ली जाय । अभी कहीं धान की खरीद नहीं हो रही है। 29 नवम्बर तक एक लाख बीस हजार मिट्रिक टन धान की खरीद हुई थी । दिसम्बर के बाद ही 20 प्रतिशत से नीचे नमी की मात्रा आती है । कहीं नहीं हो रही है, बिचौलियों से धान खरीदा जा रहा है ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री सुदामा प्रसाद : 1 हजार रुपये, 12 हजार रुपये में किसानों से धान लिया जा रहा है और अभी बुआई का समय है । उनका धान नहीं बिक रहा है ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री सुदामा प्रसाद : सर, किसान हित का सवाल है, प्रस्ताव वापस कैसे ले सकते हैं ?

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह धान खरीद में नमी सीमा की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए किसानों के धान का प्रति क्विंटल 1000 रुपये बोनस के साथ खरीद करावें ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-24 : श्री विश्वनाथ राम, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-25 : श्री मुकेश कुमार रौशन, स0वि0स0

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला के महुआ नगर परिषद् क्षेत्र में सड़क का चौड़ीकरण करावे ।''

श्री नितिन नवीन, मंत्री : यह पथ निर्माण को हस्तांतरित हुआ है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महुआ नगर परिषद् के जिन पांच पथों का जिक्र किया गया है, उसमें दो पथ पथ निर्माण विभाग के अधीन हैं और तीन पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन हैं । हाजीपुर-समस्तीपुर पथ, एस0एच0-49, यह पथ हाजीपुर से प्रारंभ होकर महुआ से होते हुए समस्तीपुर तक जाता है, जिसकी लम्बाई 43 किलोमीटर है, वर्तमान में पथ की चौड़ाई 07 मीटर है । इस पथ का संधारण ओ0पी0आई0सी0 के तहत किया जा रहा है । गांधी चौक से मुजफ्फरपुर पथ जो है, ये पथ मुजफ्फरपुर-महुआ पथ के पथांश है, जिसकी

लम्बाई 14 किलोमीटर है । मार्च 2018 में पथ का चौड़ीकरण 5.5 मीटर कर सी0एम0बी0डी0 के अंतर्गत पथ का संधारण किया जा रहा है । इसमें चौड़ीकरण की आवश्यकता से संबंधित प्रतिवेदन मांगा गया है और उसके बाद उसकी अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । शेष तीन पथ गोला रोड, छतवारा चौक, हनुमान मंदिर के निकट और थाना के निकट वार्ड- 13,14,15 का पथ ग्रामीण कार्य विभाग को हस्तांतरित किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री मुकेश कुमार रौशन : हम प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-26 : श्री राजेश कुमार, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला अंतर्गत पंचायत सूही के ग्राम ओर्डी में स्टेडियम का निर्माण करावे ।''

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

डा0 आलोक रंजन, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजनांतर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है । औरंगाबाद जिलांतर्गत पंचायत सूही के ग्राम ओर्डी कुटुम्बा प्रखंड के अंतर्गत आता है । कुटुम्बा प्रखंड के उच्च विद्यालय कुटुम्बा में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 80, दिनांक- 17.02.2009 द्वारा पूर्व में दी जा चुकी है । पंचायत स्तर पर स्टेडियम निर्माण से संबंधित कोई योजना विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री राजेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह जहां का प्रस्तावित है । मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि कुटुम्बा गढ़ में पुरातात्विक अवशेष मिले हैं और इस कारण से लगभग 15 वर्ष से यह स्टेडियम लंबित है और कागज पर माननीय मंत्री महोदय जी अब तक चल रहा है । मैं सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा कि उसको निरस्त किया जाय, चूंकि उसके चलते दूसरा नहीं हो रहा है और कुटुम्बा गढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो है पुरातात्विक अवशेष उस समय का मिला और उसके चलते यह बाधित है । इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि उसको निरस्त करते हुए करें । उसके लिए मैं अलग से प्रस्ताव भेज दूंगा । इसके साथ ही मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-27 : श्री संजय कुमार गुप्ता, स0वि0स0

श्री संजय कुमार गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत बेलसंड छतौनी पी.डब्ल्यू.डी. पथ के बागमती नदी पर पुल का निर्माण करावें ।''

श्री नितिन नवीन, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड छतौनी पी.डब्ल्यू.डी. पथ के बागमती नदी पर बचौक पहुंच पथ पर एवं डायवर्सन कार्य 5.21 मीटर के आकार में उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल की विस्तृत परियोजना का प्रतिवेदन मांगा गया है और तकनीकी समीक्षोपरांत इस पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री संजय कुमार गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह आठ साल से टूटा हुआ है और दो जिलों को जोड़ता है । मेरा विधान सभा क्षेत्र बेलसंड जिला और शिवहर जिला में है । हमें 70 किलोमीटर घूमकर अनुमंडल में जाना पड़ता है । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-17/धिरेन्द्र/03.12.2021

क्रमांक-28 : श्री संजय सरावगी, स॰वि॰स॰

श्री संजय सरावगी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा में स्थापित राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा को राष्ट्रीय संस्थान घोषित करने के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा में शैक्षणिक कार्य वर्षों से बंद है । सरकार द्वारा आगामी सत्र से शैक्षणिक कार्य प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । संस्थान की मान्यता हेतु आयुष मंत्रालय, भारत सरकार से भी अनुरोध किया गया है । सरकार के संज्ञान में यह विषय है कि यह एक अति-प्राचीन भवन में संचालित महाविद्यालय है । इस संस्थान के नये भवन के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है । राज्य में तीन आयुष महाविद्यालयों को समेकित रूप से विकसित करने हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसमें राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा भी सम्मिलित है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि इस संकल्प को वापस लें, चूंकि उनकी जैसी भावना है, वैसा ही काम सरकार कर रही है ।

उपाध्यक्ष : सकारात्मक है ।

श्री संजय सरावगी : उपाध्यक्ष महोदय, आप इसका नाम देखिये, क्या है ? राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा संस्थान, इस संस्थान का यही नाम है और यह 1827 ई0 से चल रहा है । यह दरभंगा महाराज ने दिया है, 29 एकड़ यहां जमीन है और विश्व के पुराने चिकित्सा संस्थानों में से एक यह चिकित्सा संस्थान है जो इसके अभिलेख से पता चलता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, इसका नाम भी भारतीय चिकित्सा संस्थान है तो अनुशंसा कर दें, अनुशंसा ही तो करना है उसके बाद भारत सरकार में देखेंगे कि अनुशंसा कितना हुआ, नंबर एक....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री संजय सरावगी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट । नंबर दो, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अगले वर्ष से हम इसमें शैक्षणिक कार्य प्रारंभ करेंगे तो मैं वहां की स्थिति बता देता हूँ । वहां की आधारभूत संरचना उस स्तर की नहीं है और न ही शैक्षणिक चालू करने के लिए जो आधारभूत संरचना होनी चाहिए, जो भवन होना चाहिए, उस मानक का भवन नहीं है तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूँ कि आपने जो कहा अगले वर्ष से हमलोग इस महाविद्यालय में शैक्षणिक चालू करेंगे तो क्या एक साल में आधारभूत संरचना बना देंगे...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रस्ताव वापस लीजियेगा तब न सरकार.....

श्री संजय सरावगी : उपाध्यक्ष महोदय, बस एक मिनट, इसका जवाब करा दीजिये ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में कहा है कि संस्थान के नये भवन के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है तो माननीय सदस्य को खुश होना चाहिए, इतना बढ़िया काम आपके अनुकूल कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री संजय सरावगी : उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं । डॉक्टर और चिकित्सक हमारे क्षेत्र में इतना दे दिये हैं, बहुत बढ़ियां काम कर रहे हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है लेकिन अगले वर्ष से शैक्षणिक प्रारंभ हो जाये, उसके पहले भवन बन जायेगा, तभी तो वहां एडमिशन चालू होगा । सिर्फ, माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में कि अगले वर्ष तक भवन बन जायेगा और एडमिशन चालू हो जायेगा तो फिर हमलोग एक बार जोर लगायेंगे राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए,

इसलिए मैं अपना प्रस्ताव माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-29 : श्री भीम कुमार सिंह, स०वि०स०

श्री भीम कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला अंतर्गत गोह विधान सभा क्षेत्र के देवकुंड में स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री मंगल पाण्डये, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-524, दिनांक-02.07.2014 द्वारा सभी समाहर्ता बिहार को संबोधित पत्र में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु अधिकतम चार एकड़ सरकारी भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव अभिलेख की विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । उक्त पत्र के आलोक में औरंगाबाद जिलांतर्गत अंचल-गोह, मौजा-देवकुंड में केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु चार एकड़ भूमि केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को नि:शुल्क हस्तांतरण का प्रस्ताव समाहर्ता, औरंगाबाद द्वारा आयुक्त मगध प्रमंडल, गया की अनुशंसा प्राप्त कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया गया है । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा शिक्षा विभाग की सहमति हेतु प्रस्ताव प्राप्त है । विभागीय पत्रांक-240, दिनांक-06.03.2017 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु नि:शुल्क भूमि इस शर्त पर उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जायेगा, जब उक्त विद्यालयों में स्थानीय लोगों के बच्चों का 75 प्रतिशत अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत नामांकन का अंडरटेकिंग दिया जायेगा । केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के द्वारा उक्त आशय का अंडरटेकिंग दिये जाने में असहमति व्यक्त की गई है । फलस्वरूप, सरकार द्वारा नि:शुल्क भूमि का हस्तांतरण विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री भीम कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह छ: वर्ष पहले ही वहां भारत सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय की मान्यता दी थी और अभी तक वह लंबित है । मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रस्ताव करता हूँ कि इसे भारत सरकार को भेज दिया जाय, वहां जो होना होगा, वह होगा ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री भीम कुमार सिंह : महोदय, प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-30 : श्री सुर्यकान्त पासवान, स०वि०स०

श्री सुर्यकान्त पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बखरी प्रखण्ड के सलौना स्टेशन पर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस-12524 के ठहराव हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करे ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बखरी प्रखण्ड के सलौना स्टेशन पर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस-12524 के ठहराव कराने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित है । इस संबंध में, विभागीय पत्रांक-7566, दिनांक-30.11.2021 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सुन लिया जाय, प्रस्ताव तो वापस लेना ही पड़ेगा । मंझौल स्थित कांवर झील भारत सरकार के 46वें रामसर स्थल में से एक है और बिहार का यह अकेला रामसर स्थल है । प्रवासी पक्षियों और अन्य स्थलों के, भ्रमण के लिए यहां प्रत्येक साल हजारों पर्यटक अलग-अलग राज्यों से आते हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रस्ताव ले लीजिये, समय कम है ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, सुन लिया जाय । सलौना स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव से पर्यटकों को उक्त स्थल तक पहुँचने में सुविधा होगी । महोदय, यह फरकिया का बहुत बड़ा इलाका है, वहां से हजारों मजदूर पलायन करते हैं बस से जाने....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार प्रस्ताव भेज दी है ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, इसलिए इसको प्राथमिकता में लिया जाय ।

उपाध्यक्ष : अपना प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, सदन के माध्यम से मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–31 : श्री कृष्ण कुमार मंटू, स०वि०स०

(अनुपस्थित)

क्रमांक–32 : श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स०वि०स०

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला के रतनी फरीदपुर प्रखंड अंतर्गत दाढु नाला पर ग्राम हड़पुर में पुल का निर्माण करावें ।''

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल जहानाबाद–अरवल मुख्य पथ कैंदई मोड़ से इंदर बिगहा भाया बिट्टा बिगहा जो शेष 4515 से निर्मित है, के आरेखन में हड़पुर ग्राम के पास पड़ता है । अभिस्तावित पुल के निर्माण हेतु राज्य योजना नबार्ड अंतर्गत डी0पी0आर0 तैयार कर लिया गया है । निधि की उपलब्धता के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : उपाध्यक्ष महोदय, समय काफी हो गया है और उसमें पिछली बार बरसात में जान चली गई है तो हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह करेंगे कि इसी वित्तीय वर्ष में नबार्ड से राशि उपलब्ध करवा कर उसे बनवा दिया जाय ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, मैं संकल्प वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–18/संगीता/03.12.2021

क्रमांक–33 : श्रीमती गायत्री देवी, स0वि0स0

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्ड अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोचा (बेला) के लिए नए भवन का निर्माण करावें ।''

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परिहार प्रखंड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नोचा (बेला) का नया भवन इस वित्तीय वर्ष में निर्माण

किए जाने का कोई प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग में विचाराधीन नहीं है । अगले वित्तीय वर्ष में निधि की उपलब्धता पर इस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया जायेगा । अत: माननीय सदस्या से आग्रह होगा कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्रीमती गायत्री देवी : मैं मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वहां पर बहुत जर्जर है बहुत परेशानी है और वित्तीय वर्ष में उसको बना दिया जाय और प्रस्ताव मैं वापस लेती हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय विधायक श्री विजय कुमार जी (क्रमांक-83)

श्री निरंजन कुमार मेहता : सर, मेरा है सर ।

उपाध्यक्ष : मंत्री जी को जाना है इसीलिए...

नहीं हैं । चलिए ।

<u>क्रमांक-34 : श्री निरंजन कुमार मेहता, स0वि0स0</u>

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा प्रखण्ड स्थित रेशना पंचायत के ग्राम-डफरा टोला, वार्ड नं0-12 में निजी जमीन को अधिग्रहित कर पथ का निर्माण करावें ।''

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : महोदय, यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से ग्रामीण कार्य विभाग में ट्रांसफर हुआ है ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, यह अभी तुरंत ही हमलोगों के पास आया है इसलिए अभी इसका जवाब देना संभव नहीं है हम सदन को इसका जवाब बाद में सूचित कर देंगे ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक-दो लाइन आग्रह करेंगे, जरा सा सुनने का हमको अवसर दिया जाय । हम 2017 से इस सदन के माध्यम से...

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जवाब दे देंगे आपको ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : ग्रामीण कार्य विभाग और राजस्व विभाग को किए हैं और राजस्व विभाग का पत्र भी ग्रामीण कार्य को दिया गया है और 300 घर की आबादी है, रास्ता उसको है ही नहीं, 2017 से हम लगे हुए हैं, मेरा सारा काम बहुत काम इस सदन के माध्यम से सरकार के द्वारा किया गया है । आपके संरक्षण में हमको संरक्षण चाहिए और इस रास्ते में 300 घरों की आबादी है और इसमें सभी तबके के लोग बसे हुए हैं...

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जवाब दे देंगे आपको ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इसको दिखाया जाय, आपातकालीन व्यवस्था में इसे जरूर किया जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-35 : श्री भूदेव चौधरी, स0वि0स0

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बांका जिला के प्रखंड रजौन के आनंदपुर एवं मोरामा गांव में रेलवे लाईन पर ऊपरी पुल निर्माण हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजें ।''

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बांका जिलान्तर्गत प्रखंड रजौन के आनंदपुर एवं मोरामा गांव में ऊपरी पुल निर्माण से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक-7561 दिनांक 30.11.2021 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर से अनुरोध किया गया है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री भूदेव चौधरी : मुझे प्रसन्नता है कि मेरे प्रस्ताव को सहमति मिल गई है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और अनुरोध करता हूं कि जो पत्रांक, दिनांक आपने प्रेषित किया है कृपया मुझे भी उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-36 : श्री रत्नेश सादा, स0वि0स0

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिला के डेहट पंचायत के कारी कोशी नदी की उपधारा नदी में स्पेन पुल का निर्माण करावें ।''

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के एक तरफ अवस्थित दमहा मुशहरी बसावट की सम्पर्कता पंचायत द्वारा निर्मित पथ से प्राप्त है एवं दूसरे तरफ कोई बसावट अवस्थित नहीं है । विभाग द्वारा सम्प्रति राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी पथ से एकल सम्पर्कता दिया जाना है । अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ के बसावट को एकल सम्पर्कता प्रदत्त है एवं दूसरे तरफ कोई बसावट नहीं रहने के कारण अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रत्नेश सादा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि डेहट से लगभग आधा मिलोमीटर जम्हरा है और विराटपुर है और बीच में कारी कोशी नदी है उसमें आवागमन बाधित रहता है और नांव से पार करने मे बहुत सारे लोग...

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री रत्नेश सादा : इसलिए आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस कारी कोशी नदी में पुल बनाने की कृपा करें और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–37 : श्री संजीव चौरसिया, स0वि0स0</u>

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वर्ष 2015–16 में जे0पी0 सेतु निर्माण के क्रम में दीघा में बसे स्लम बस्ती के कुल 205 परिवारों का विस्थापित बिन्द टोली के परिवारों को जमीन का पर्चा निर्गत करावें ।''

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जे0पी0 सेतु निर्माण के क्रम में दीघा में बसे स्लम बस्ती के विस्थापित परिवारों को पटना सदर अंचलान्तर्गत मौजा मैनपुरा दियरा, थाना नं–140, सर्वे थाना फुलवारी तौजी संख्या– 5,070 में रकवा 6.50 एकड़ जिसमें से 6.12 एकड़ वास हेतु एवं 0.38 एकड़ रास्ता एवं अन्य उपयोग हेतु सर्वेक्षित खास महाल सरकारी भूमि, जो कुर्जी मोड़ से उत्तर–पूर्व में अवस्थित है, के समीप प्रत्येक परिवार 3–3 डिसमिल भूमि कुल 204 परिवारों को उपलब्ध करा दिया गया है जिस पर वर्तमान में उक्त परिवार आवासित है । सर्वेक्षित खास महाल भूखंड होने के कारण लीज बंदोबस्ती मो0 1 रूपया टोकन सलामी एवं लगान पर 30 वर्षीय लीज पर नवीकरण विकल्प के साथ पट्टा एकरारनामा लीज एग्रीमेंट की कार्रवाई की जा रही है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगे ।

श्री संजीव चौरसिया : उपाध्यक्ष महोदय, 2015 से इतनी महत्वपूर्ण योजना जे0पी0 सेतु के अभी तक जिन परिवारों ने त्याग किया था जे0पी0 सेतु का निर्माण हुआ है, त्वरित कार्रवाई के तहत तुरंत दे देना चाहिए था पर इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी पर्चा नहीं मिल पाया है । बाढ़ जब आता है तो वे परिवार सड़कों पर आ जाते हैं उनको रहने का आवास नहीं मिल पाता है, स्वास्थ्य की योजना, शिक्षा की योजना कुछ नहीं हो पा रहा है तो आपसे आग्रह करेंगे माननीय मंत्री महोदय से कि समय निर्धारण आश्वस्त कर दें कि जल्द से जल्द हो जाये । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–38 : श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला अन्तर्गत मोदनगंज प्रखण्ड के गजउ आपर गांव के फल्गु नदी में पक्का रिटेनिंग वॉल एवं मुहाना पर साइफन का निर्माण करावें ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जहानाबाद जिला के मोदनगंज प्रखंड के ग्राम– गजउ आपर में वर्ष 2021 में फल्गु नदी में आए अप्रत्याशित जलस्राव के कारण नदी का बांया बांध लगभग 50 मीटर की लंबाई में क्षतिग्रस्त हो गया था । तत्काल उक्त स्थल पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित किया गया है । प्रश्नगत स्थल के सुरक्षार्थ राज्य तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना की अनुशंसा की गई है । अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

उपाध्यक्ष : सकारात्मक जवाब है, प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, फल्गु नदी बिना पानी की नदी है और उससे आबादी कम बर्बादी ज्यादा होता है । प्रतिवर्ष 2–3 दिन के लिए बरसात में वह इलाका बाढ़ का सामना करता है और पूरा तहस–नहस हो जाता है । कई बार उस जगह पर तटबंध टूटा है, साइफन पुराना बना हुआ है जर्जर है पटवन भी नहीं होता है तो हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि...

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री रामबली सिंह यादव : उसे प्राथमिकता के आधार पर करायें । कई गांवों को बर्बाद कर देता है वह बाढ़, तटबंध टूटने के कारण तो हम उम्मीद करते हुए प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–19/सुरज/03.12.2021

क्रमांक–39 : श्री अरूण शंकर प्रसाद, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–40 : श्री दिलीप राय, स0वि0स0

श्री दिलीप राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पुपरी प्रखण्ड मुख्यालय में स्थित लोहिया भावन का जीर्णोद्धार करावें ।''

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, लोहिया भवन नगर परिषद् जनकपुर रोड के क्षेत्राधीन आता है इसका जीर्णोद्धार बोर्ड के अनुमोदन के उपरांत राशि की उपलब्धता के पश्चात् किया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि अपना संकल्प वापस लें ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री दिलीप राय : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-41 : श्री मुकेश कुमार यादव, स0वि0स0

श्री मुकेश कुमार यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला अंतर्गत प्रखण्ड नानपुर में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए एक छात्रावास का निर्माण करावें ।''

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से प्रत्येक जिला मुख्यालय में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास का निर्माण कराया जाता है । वर्तमान नीति के अनुसार राज्य योजनान्तर्गत प्रखण्ड स्तर पर छात्रावास निर्माण का प्रावधान नहीं है । उल्लेखनीय है कि सीतामढ़ी जिले में अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या-288, दिनांक-18.10.2017 के द्वारा कुल 4 करोड़ 61 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है । मैं अनुरोध करूंगा माननीय सदस्य से कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मुकेश कुमार यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सीतामढ़ी जिला में सबसे अल्पसंख्यक बाहुल नानपुर प्रखण्ड पड़ता है । माननीय मंत्री जी से शिक्षा के बजट पर भी कल चर्चा हो रही थी इसलिए शिक्षा पर सबलोग जोड़ दे रहे हैं तब हम भी आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक बाहुल सीतामढ़ी में नानपुर प्रखण्ड है वहां छात्रावास अति आवश्यक है इसलिए मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि कृपया वहां छात्रावास बनाया जाय ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री मुकेश कुमार यादव : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-42 : श्री शंभूनाथ यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-43 : श्री युसुफ सलाहउद्दीन, स0वि0स0

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कोसी प्रमंडल सहरसा में स्थित हवाई अड्डे से घरेलू उड़ान कि शुरूआत करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, सहरसा में बिहार सरकार के अधीन हवाई अड्डा की लंबाई 3000X150 फीट है, जो बड़े व्यवसायिक उड़ानों के लिए अपर्याप्त है परंतु छोटे यानी 9-20 सीटर व्यवसायिक विमानों के लिए उपयुक्त हो सकता है । किसी भी हवाई अड्डा से व्यवसायिक हवाई सेवा प्रारंभ करने का निर्णय नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है और भारत सरकार की नई सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 के अंतर्गत रिजनल कनेक्टिवटी स्कीम का क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के क्रम में बिहार में आर0सी0एस उड़ान की संभावनाओं पर राज्य सरकार द्वारा नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली से एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किया गया है और उसमें यह सहरसा हवाई अड्डा भी सम्मिलित है चूंकि हमलोग जो योजना बना रहे हैं आगे और जो काम करना चाह रहे हैं उसमें यह हवाई अड्डा सम्मिलित है इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : हम प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-44 : मो0 आफाक आलम, स0वि0स0</u>

उपाध्यक्ष : श्री इजहारूल हुसैन जी प्राधिकृत हैं ।

श्री इजहारूल हुसैन : जी मैं अधिकृत हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिला अंतर्गत कस्बा प्रखण्ड में लागन भमरा पंचायत के फक्करटकिया चौक के पास कोसीधार पर पुल का निर्माण करावें ।''

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कस्बा प्रखण्ड में शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत लागन भमरा पंचायत के आर0ई0ओ0 रोड गेड़ूआ चौक से फक्करटकिया तक पथ के नाम से स्वीकृत पथ का प्राक्कलन में अभिस्तावित पुल स्थल की आवश्यकतानुसार कैजवे का प्रावधान कर पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । तदोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री इजहारूल हुसैन : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं लेकिन जल्दी करवा दिया जाय ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–45 : श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स0वि0स0

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर–मुजफ्फरपुर रेलखंड के सराय स्टेशन के पश्चिमी भाग में R.O.B. निर्माण कराये जाने की सिफारिश रेल मंत्रालय, भारत सरकार से करें ।''

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर–मुजफ्फरपुर रेलखंड के सराय स्टेशन के पश्चिमी भाग में R.O.B. निर्माण कराये जाने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक–7523, दिनांक–28.11.2021 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है । अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं लेकिन यह मेरे विधान सभा क्षेत्र के दामोदरपुर हाई स्कूल में बच्चों को आने–जाने में असुविधा होती है अतः मैं आग्रह करूंगी कि इसको जल्द से जल्द कराया जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–46 : श्री विजय कुमार मण्डल, स0वि0स0

श्री विजय कुमार मण्डल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला में धान के नमी सीमा को समाप्त कर धान का क्रय करावें ।''

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, 17 प्रतिशत अधिकतम नमी भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्त है एवं इसे समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । रोहतास जिला में धान विक्रय हेतु इच्छुक किसानों से पैक्स व्यापार मंडल के माध्यम से अधिप्राप्ति की जा रही है ।

श्री विजय कुमार मण्डल : उपाध्यक्ष महोदय, नमी की सीमा बहुत ज्यादा है । बिहार सरकार को अधिकार है कि इसमें छूट करे ताकि किसानों को इससे राहत मिल सके । मैं प्रस्ताव को वापस लेता हूं लेकिन सरकार से अपील करता हूं कि किसानों पर ध्यान दे ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–47 : श्री हरि नारायण सिंह, स0वि0स0

श्री हरि नारायण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला अन्तर्गत पथ प्रमंडल हिलसा के रामघाट डियावां वेरथू RWD पथ की नगरनौसा प्रखण्ड अंतर्गत रामघाट से लच्छूविगहा मोड़ तक पथ का चौड़ीकरण करावें ।''

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रामघाट डियावां वेरथू पथ की लंबाई किलोमीटर 0 से 275 किलोमीटर पर एकल पथ है इसके चौड़ीकरण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के लिए मांगा गया है और इसकी उपलब्धता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर इसको किया जायेगा । अतः मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री हरि नारायण सिंह : नालंदा जिला के नगरनौसा प्रखंड के रामघाट से लच्छूविगहा, डियावां वेरथू पथ PWD पथ की लंबाई कुल 20.95 किलोमीटर है जिसमें से मात्र रामघाट, लच्छूविगहा जिसकी लंबाई 2.75 किलोमीटर है । मात्र इतना ही पूरे पथों में से 2.75 किलोमीटर वन–वे है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस वित्तीय वर्ष में नहीं तो अगले वित्तीय वर्ष में भी इसको करा दिया जाय ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री हरि नारायण सिंह : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–20/राहुल/03.12.2021

क्रमांक–48 : श्री जय प्रकाश यादव, स0वि0स0

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला अंतर्गत नरपतगंज प्रखंड के मानिकपुर पंचायत स्थित टोला अमरौरी के वार्ड संख्या–13 में सड़क का निर्माण करावें ।''

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, यह पंचायती राज विभाग को ट्रांसफर किया गया है ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन इसके बावजूद माननीय सदस्य की जो चिन्ता है इस सड़क के निर्माण पर हम लोग विचार करेंगे, अगले वित्तीय वर्ष में ।

उपाध्यक्ष : चलिये, सकारात्मक जवाब है, प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री जय प्रकाश यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह टोला जिसकी मैं बात कर रहा हूं हरिजनों की, महादलित की 100 घरों की बस्ती है और चारों तरफ से निजी जमीन से घिरा हुआ है और मेन रोड महज 500 मीटर दूर है । अगर अधिकृत करके वह बन जाएगा तो बहुत बड़ा कल्याण होगा ।

उपाध्यक्ष : चलिये प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री जय प्रकाश यादव : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-49 : डॉ0 रामानुज प्रसाद, स0वि0स0</u>

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के सोनपुर प्रखण्ड अंतर्गत एन0एच0-19 स्थित सेमरा ढाला से फकराबाद के बीच मेहुरा नदी पर पुल का निर्माण करावें ।''

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला के सोनपुर प्रखण्ड के अन्तर्गत एन0एच0-19 स्थित आर0सी0डी0 पथ सेमरा ढाला से फकराबाद के बीच मेहुरा नदी बहती है जिसकी चौड़ाई पुल स्थल पर 30 मीटर है और प्रस्तावित पुल स्थल के एक तरफ सेमरा गांव अवस्थित है जिसकी संपर्कता आर0सी0डी0 पथ से एवं दूसरी तरफ फकराबाद गांव अवस्थित है जिसकी संपर्कता पंचायत द्वारा निर्मित पी0सी0सी0 पथ से है अभिस्तावित पुल स्थल के अपस्ट्रीम में डेढ़ किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम में 3 किलोमीटर से पुल निर्मित है अभिस्तावित पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है उक्त पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा विचाराधीन नहीं है तो विचार करने के लिए ही न हम सदस्यगण ले आते हैं सरकार के सामने कि विचाराधीन हो, आप इसको ग्रहण करिये । माननीय मंत्री जी आपको मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि कल रात ही मैं आपके कंसर्न इंजीनियर से बात कर रहा था, कहा

सर गलती हो गयी । उन लोगों ने गलत ये बनाया है मैं इसको डाउनलोड करके पढ़ रहा था, इसकी तैयारी कर रहा था तो यह सरासर जवाब आपके द्वारा भेजा गया है...

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : प्रस्ताव वापस लेते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि विचाराधीन नहीं है मैं कहता हूं कि इसको विचाराधीन में रखें, विचार करें, दोनों तरफ दलित बस्ती है बहुत बड़ी बसावट है और उन लोगों को बहुत दूर से बाजार एवं ब्लॉक जाने के लिये घूम कर जाना पड़ता है यह अगर मेहुरा नदी पर तो न सिर्फ उनका जन-जीवन बदलेगा बल्कि उन गरीबों का उद्धार भी होगा । इसलिए मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं लेकिन माननीय मंत्री जी इसको विचार में रखें ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-50 : श्री निरंजन राय, स0वि0स0</u>

श्री निरंजन राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गायघाट प्रखण्ड अन्तर्गत मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर जिला को जोड़ने वाली सड़क एन0एच0-57 के गायघाट प्रखण्ड के हनुमान नगर चौक से समस्तीपुर के पूसा रोड तक टू लेन सड़क का निर्माण करावें ।''

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित तीन पथों का पथांश से संबंधित है, एन0एच0-57 हनुमान नगर से जाता चक्की मोड़ तक पथ, इस पथ की लम्बाई 6.4 किलोमीटर है, पथ की मरम्मती का कार्य नई अनुरक्षण नीति, 2018 के अन्तर्गत प्रगति पर है । चक्की चौक से गायघाट सीमान्त पथ तक, इस पथ की लम्बाई 1.7 किलोमीटर है, पथ अनुरक्षण अवधि के बाहर है, पथ की स्थिति संतोषजनक है । लोहरखा चौक से केवटशाह चौक तक पथ, इस पथ की लम्बाई 6 किलोमीटर है जो एम0आर0 3054 अन्तर्गत निर्मित पथ मुत्तलपुर से हत्था का पथांश है, पथ तृतीय वर्ष अनुरक्षण अवधि में है और अनुरक्षण का कार्य कराया जा रहा है । पथ की अनुरक्षण अवधि समाप्त होने के पश्चात् पृथक सर्वे कराकर टू लेन सड़क के निर्माण पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री निरंजन राय : महोदय, अतिमहत्वपूर्ण सड़क है और वह जो अनुरक्षण की बात कर रहे हैं उसमें तो बहुत सारा मतलब दो प्रखंड जुड़ रहे हैं और वह दो जिलों को जोड़ रही है

काफी महत्वपूर्ण सड़क है उस पर यातायात का काफी लोड है, टू लेन सड़क अगर बन जाती है तो काफी सहायता लोगों को मिलेगी उससे...

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री निरंजन राय : सर, प्रस्ताव वापस लेता हूं लेकिन इस पर विचार किया जाय ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-51 : श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, स0वि0स0

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला अन्तर्गत भोला टॉकीज गुमटी 53 ए0 पर आर0ओ0बी0 का निर्माण करावें ।''

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अन्तर्गत भोला टॉकीज गुमटी 53 ए0 पर आर0ओ0बी0 का निर्माण कराने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय भारत सरकार से अपेक्षित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक-7565, दिनांक-30.11.2021 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व-मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : उपाध्यक्ष महोदय, संरक्षण चाहते हैं जिस पुल की मैं बात कर रहा हूं वह जिला मुख्यालय का पुल है उसी के बगल में सभापति महोदय का भी घर है । यह प्रश्न पिछले 10 साल से मैं कर रहा हूं । यह सवाल पथ निर्माण विभाग से सवाल है एक तो विधान सभा सचिवालय गड़बड़ किया, दूसरा है कि परिवहन विभाग का जो कार्यालय है उसको भी समझ में नहीं आया कि यह सवाल उसके अन्तर्गत नहीं है यह पथ निर्माण के अंतर्गत है तो कैसे होगा जब विधान सभा सचिवालय गड़बड़ करेगा फिर इनके मंत्रालय को समझ में नहीं आता है । पिछले 10 वर्षों से सही कहा नन्दकिशोर जी ने इसका पथ निर्माण विभाग जवाब देता है तो ये तो जवाब कुछ हुआ ही नहीं इन्होंने पत्राचार किया । यह पथ निर्माण विभाग को देना है मैं सचिवालय भी गया था पहले ही सुबह में कि आपसे गलती हुई है सुधार कीजिये, मैंने माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग से भी आग्रह किया था कि एक घंटा समय है जवाब मंगाकर के हमको यहां पर दिया जाय क्योंकि पिछले 10 साल मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं कि पूरे समस्तीपुर में जाम लगा रहता है यह गंभीर समस्या है और 15 साल में एक भी बिहार में पुल नहीं बना है लेकिन समस्तीपुर जिला में वह पुल सबसे

पहले बनना चाहिये । भारत सरकार ने कुछ मांगा था कि हम फेज वाइज बनायेंगे, उस फेज वाइज में पथ निर्माण विभाग, भोला टॉकीज है या नहीं फस्ट फेज में यह हम जानना चाहते हैं ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि एक भी पुल नहीं बना तो ऐसी उनकी जानकारी गलत है । दूसरी बात जो आपने कहा यह हम लोगों को ट्रांसफर होगा तो निश्चित रूप से इसका हम लोग जवाब देंगे चूंकि यह परिवहन विभाग से हम लोगों को स्थानांतरित नहीं हुआ है इसलिए हम लोग इसका जवाब नहीं दे पाये । माननीय सदस्य नन्द किशोर यादव जी ने जो विषय उठाया है वह सही है और हम लोगों के पास जब भी वह ट्रांसफर होकर आयेगा, सभी आर0ओ0बी0 के संबंध में जो सवाल आये हैं इस साल सरकार जो 56 आर0ओ0बी0 का एम0ओ0यू0 हुआ था उस पर इस साल हम लोग 15 से 20 आर0ओ0बी0 लेने जा रहे हैं इसके पूर्व में भी 2006 से लेकर अभी तक करीब 19 आर0ओ0बी0 का काम पूर्ण हो चुका है ।

उपाध्यक्ष : चलिये अब प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : सर, जो 15-20 आर0ओ0बी0 नेता प्रतिपक्ष, तेजस्वी प्रसाद यादव जी पथ निर्माण मंत्री थे तो उन्होंने...

उपाध्यक्ष : अब प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : सर, उस 20 में है कि नहीं भोला टॉकीज ये तो बता दें । उस 20 का बता दें...

(व्यवधान)

श्री नितिन नवीन, मंत्री : यह एम0ओ0यू0 केन्द्र सरकार के और माननीय मंत्री जो पूर्व में आये थे नंद किशोर यादव जी के समय में हुआ था...

उपाध्यक्ष : उसको दिखवा लीजिये ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : उस 20 में है कि नहीं कहां बताये ।

उपाध्यक्ष : दिखवा लेंगे माननीय मंत्री जी, आप संकल्प वापस ले लीजिये ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : सर, इस उम्मीद पर कि वह इस 20 की सूची में जल्द से जल्द इसको भी रखेंगे अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-21/यानपति/03.12.2021

<u>क्रमांक-52 : श्री मुरारी मोहन झा, स0वि0स0</u>

श्री मुरारी मोहन झा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला अन्तर्गत केवटी प्रखण्ड के रजौड़ा पंचायत के रहिटोल से नया गांव प्रधानमंत्री सड़क के पास सगुना नदी पर पुल का निर्माण करावें ।''

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है । पुल स्थल के एक तरफ रहिटोला गांव को एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित पी0एम0जी0एस0वाई0 तरैली लाइन्स से रहिटोल पथ से संपर्कता प्राप्त है । पुल स्थल की दूसरी तरफ अवस्थित क्वाही टोला एवं नया गांव को सिर्फ एम0आर0-3054 अंतर्गत निर्मित पथ एन0एच0-105 बनबारी से क्वाही भाया नया टोला से संपर्कता प्राप्त है । पुल स्थल के अप स्टीम पर ढाई कि0मी0, डाउन स्टीम पर दो कि0मी0 पर पूर्व से पुल निर्मित है, पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मुरारी मोहन झा: मैं प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-53 : श्री सिद्धार्थ पटेल, स0वि0स0</u>

श्री सिद्धार्थ पटेल: मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला अन्तर्गत वैशाली प्रखण्ड के चकअलहदाद, पटेढ़ी में वर्षा/बाढ़ के पानी के निकासी की व्यवस्था करावें ।

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी वैशाली के पत्रांक-2893, दिनांक-02.12.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में वाया नदी के जलस्तर में काफी कमी आई है फलस्वरूप जलनिकासी हेतु वैशाली प्रखंड अंतर्गत सभी स्लुईस गेट को खोल दिया गया है जिससे जल की निकासी हो रही है । अत: माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री सिद्धार्थ पटेल: मैं वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्षः सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–54 : श्री शकील अहमद खाँ, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक–55 : श्रीमती निशा सिंह, स0वि0स0

श्रीमती निशा सिंहः माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अन्तर्गत प्राणपुर प्रखण्ड के लाभा जीरो माइल से रोशना जानेवाली पी.डब्लू.डी. सड़क का पक्कीकरण एवं चौड़ीकरण करावें ।''

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्रीः वस्तुस्थित यह है कि संकल्पाधीन पथ, पथ प्रमंडल कटिहार, क्षेत्राधीन कटिहार प्राणपुर रोशना अहमदाबाद पथ का पद्यांश है उक्त पद्यांश की लंबाई 3.7 कि0मी0 एवं चौड़ाई 3.75 मीटर है अभी उक्त पद्यांश का संधारण ओ0पी0आई0एम0सी0 के अंतर्गत कराया जा रहा है । संसाधन की उपलब्धता के आधार पर इसके चौड़ीकरण का निर्णय लिया जायेगा । अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्रीमती निशा सिंहः जी धन्यवाद, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

उपाध्यक्षः सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–56 : श्री अमरजीत कुशवाहा, स0वि0स0

श्री अमरजीत कुशवाहाः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीवान जिला अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र जीरादेई के नौतन प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज स्वीकृत करावें ।''

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार संप्रति सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है जहां पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय संचालित नहीं हैं । सीवान जिले के नौतन प्रखंड, सीवान सदर अनुमंडल के अंतर्गत है जहां पूर्व से ही अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में डी0ए0वी0 कॉलेज, सीवान, राजा सिंह कॉलेज, सीवान, एच0आर0 कॉलेज, मैरवा और वी0वी0 महिला कॉलेज, सीवान संचालित हैं । फिलहाल नौतन प्रखंड में सरकारी डिग्री

महाविद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है । महोदय, अभी तो हमलोग अनुमंडल सब में भी नहीं खोल पाए हैं फिर अगले चरण में जब ब्लॉक स्तर पर जाएंगे तब विचार होगा । अभी वापस ले लें ।

श्री अमरजीत कुशवाहा: महोदय, बात तो सही है कि सरकार की नीति के तहत जो क्राइटेरिया तय है अनुमंडल का.....

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ने साफ-साफ कहा है ।

श्री अमरजीत कुशवाहा: स्थानीय स्तर पर भी तो लिया जाना चाहिए । बहुत सारे बच्चों के लिए असुविधा हो रही है । सीवान बहुत दूर पड़ता है 40 कि0मी0.....

उपाध्यक्ष: प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री अमरजीत कुशवाहा: मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष: ठीक है, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-57 : श्री शाहनवाज, स0वि0स0</u>

श्री शाहनवाज: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला अन्तर्गत जोकिहाट प्रखण्ड मुख्यालय से किशनगंज जिला को एन.एच. 327 को जोड़ने वाली सड़क में 400 मी0 की पी0यू0सी0 सड़क का निर्माण करावें ।''

उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पद्यांश उपयांशित 2/18 के तहत संधारित है इस पथ की चौड़ाई 3.75 मीटर है । इस पथ के दोनों तरफ सघन आबादी है उक्त पद्यांश को पी0सी0सी0 कराने का समाहर्ता प्रतिवेदन प्राप्त करने का विभाग से मांगा गया है और उपलब्धता के आधार पर इसपर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी । प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री शााहनवाज: मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-58 : श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0</u>

श्री अजीत शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर के शैक्षणिक, औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए ग्रीनफील्ड नीति के तहत भागलपुर से हवाई सेवा प्रारम्भ करावें ।''

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, भागलपुर हवाई अड्डा की लंबाई बड़े व्यावसायिक उड़ानों के लिए अपर्याप्त है । छोटे विमानों के लिए भारत सरकार की नई सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 के अंतर्गत रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम का क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वयन के क्रम में बिहार आर0सी0एस0 उड़ान की संभावनाओं पर राज्य सरकार द्वारा नागरिक विमानन मंत्रालय, भारत सरकार से एम0ओ0यू0 किया गया है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा भागलपुर हवाई अड्डे को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है । यहां से निजी ऑपरेटर्स के द्वारा 9 से 20 सीटर विमानों का परिचालन किया जा सकेगा । महोदय, लेकिन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड बीडिंग में किसी भी प्राइवेट विमानन ऑपरेटर या एजेंसी के द्वारा भागलपुर के हवाई अड्डे से विमान संचालन में रुचि नहीं दिखाई गई है । किसी भी प्राइवेट विमानन ऑपरेटर एजेंसी के द्वारा भागलपुर का नाम सम्मिलित किये जाने पर उक्त हवाई अड्डा से देश के दूसरे शहरों के लिए वायु सेवा शुरू की जा सकेगी और चूंकि अजीत शर्मा जी देख रहे हैं कि सरकार पहले से ही प्रयत्नशील है तीन-तीन राउंड की बीडिंग करायी जा चुकी है, सरकार खुद मुस्तैद है इसलिए अभी अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री अजीत शर्माः ऐसा है सर कि मैंने पहले भी सदन में कहा था कि गौराडीह में 500 एकड़ गौशाला की जमीन है जो सरकारी है, उसको एक्वायर करके बनाया जा सकता है चूंकि वह सिल्क नगरी, सिल्क उद्योग जो पूरे विश्व में जाना जाता है भागलपुर यह पहले भी, 20 वर्ष पहले भी.....

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री जी कितना विस्तार से बताये हैं प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री अजीत शर्माः नहीं सर, हम प्रस्ताव को वापस कैसे ले सकते हैं जबतक हवाई सेवा शुरू नहीं होती है ? लेकिन जानना होगा कि एक्चुअली वहां जमीन है । मैं सदन में भी, आप भी उस समय अध्यक्ष थे जिस समय मैंने यह सवाल किया था । आप केंद्र सरकार को प्रपोजल तो भेज दीजिए गौराडीह वाला कि वहां जमीन उपलब्ध है । एक्वायर करके

एयरपोर्ट बन सकता है सिल्क उद्योग पूरे विश्व में जाना जाता है । इसलिए इसपर कुछ तो बोलिये मंत्री जी.....

उपाध्यक्षः सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री अजीत शर्माः नहीं, प्रस्ताव वापस नहीं ले सकते हैं ।

उपाध्यक्षः कितने विस्तार से बताए हैं माननीय मंत्री जी ।

श्री अजीत शर्माः नहीं सर, इसपर 10 बार मेरा सवाल सदन में आया है । इसपर आगे देखिये क्या करना है ।

उपाध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर के शैक्षणिक, औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए ग्रीनफील्ड नीति के तहत भागलपुर से हवाई सेवा प्रारम्भ करावें ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

टर्न-22/अंजली/03.12.2021

क्रमांक-59: श्री (ई॰) शशि भूषण सिंह, स0वि0स0

श्री (ई॰) शशि भूषण सिंहः महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला के सुगौली विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड रमगढ़वा के बंगरी नदी पर योगवलिया घाट के नजदीक आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावें ।''

श्री जयंत राज, मंत्रीः महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित लक्ष्मीपुर को शीर्ष 3054 एम0आर0 अंतर्गत निर्मित पथ एन0एच0 28-ए से लक्ष्मीपुर पथ से संपर्कता प्राप्त है एवं पुल स्थल के दूसरी तरफ अवस्थित जुमाई टोला को शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत स्वीकृत पथ एल-25 से जुमाई टोला से संपर्कता प्राप्त है । पुल स्थल के अपस्ट्रीम से छहः किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में आठ किलोमीटर पर पूर्व से पुल निर्मित है । माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री (ई॰) शशि भूषण सिंह: महोदय, बहुत जरूरी है, 15 पंचायत को इधर से उधर जोड़ती है इसलिए...

उपाध्यक्ष: आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री (ई॰) शशि भूषण सिंह: मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-60: श्री राजेश कुमार गुप्ता, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार गुप्ता: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के सासाराम शहर में वार्ड-31, वार्ड-34 एवं वार्ड-07 को जल जमाव से मुक्त करावें ।''

श्री तारकिशोर प्रसाद, उपमुख्यमंत्री: महोदय, सासाराम नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 38.52 करोड़ प्राक्कलित राशि की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना कार्यान्वित है । इस योजना के अधीन 6 किलोमीटर नाला का निर्माण किया जाना है । इसके विरुद्ध अब तक 5.6 किलोमीटर नाला का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है । शहर के शेष क्षेत्र को जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना फेज-2 प्रस्तावित है जिसके कार्यान्वयन से उक्त क्षेत्र से जल जमाव की समस्या से निजात पाया जा सकेगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से आग्रह है कि जवाब के आलोक में वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता: महोदय, सासाराम एक ऐतिहासिक शहर है और सासाराम नगर परिषद से नगर निगम बन गया लेकिन अभी तक जल जमाव और गंदगी से निजात नहीं मिला ।

उपाध्यक्ष: अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता: महोदय, एक मिनट । भारत सरकार के एक स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत ही बताया गया कि सासाराम शहर गंदगी में नंबर-1 पर है बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में सबसे गंदा शहर है । हम उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से, मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि सासाराम शहर एक ऐतिहासिक शहर है उस पर विशेष ध्यान दिया जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-61: श्री छत्रपति यादव, स0वि0स0

श्री छत्रपति यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया में बंद पथ निर्माण के वर्कशॉप को पुनः चालू करावें ।''

श्री नितिन नवीन, मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पथ निर्माण विभाग अंतर्गत खगड़िया स्थित वर्कशॉप में पूर्व में रेलवे का चक्का निर्माण एवं मरम्मती हैवी अर्थ मूवर्स मशीन के मरम्मती का कार्य तथा गंगा नदी में चलने वाली मोटर नौकायानों की मरम्मती का कार्य किया जाता था । वर्तमान में हैवी अर्थ मूवर्स मशीन नौकायानों का नहीं रहना एवं रेलवे का चक्का निर्माण अप्रासंगिक हो गया है इस कारण वर्कशॉप बंद है । पथ निर्माण के कार्यप्रणाली में आये हुये बदलाव के कारण वर्कशॉप को चालू करना उपयोगी नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री छत्रपति यादवः उपाध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण का वर्कशॉप बहुत ही इंपोर्टेंट है खगड़िया के लिए, आज भी चालू हो सकता है । मैं मंत्रीजी से आग्रह करता हूं कि पुनः इसपर विचार करें । इसके साथ ही मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि...

उपाध्यक्षः ठीक है ।

श्री छत्रपति यादवः एक मिनट, खगड़िया सड़क की स्थिति जर्जर है । राजेन्द्र चौक से बखरी स्टैंड और बलुआही से लेकर बखरी रेलवे स्टैंड तक जो है, पी0डब्लू0डी0 को हस्तांतरित हो चुका है । संभवतः उसपर भी कार्रवाई करने की कृपा करेंगे । इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्षः सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-62: श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0</u>

श्री विजय कुमार खेमकाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया पूर्व प्रखंड के रजिगंज पंचायत के कारी कोसी धार के विक्रमपट्टी (3640) घाट पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावें ।''

श्री जयंत राज, मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के एक तरफ अवस्थित लालगंज बसावट की संपर्कता शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित लालगंज पंचायत भवन से विक्रमपट्टी पथ से प्राप्त है एवं दूसरी तरफ अवस्थित विक्रमपट्टी पश्चिमी भाग बसावट की संपर्कता एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित

हरदा शिवमंदिर से जावरकामथ पथ से प्राप्त है । विभाग द्वारा संप्रति राज्य के सभी बसावटों को बारह मासी पथ से एकल संपर्कता दिया जाना है । अभिस्तावित पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावटों को एकल संपर्कता प्रदत्त है । अभी अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री विजय कुमार खेमका: उपाध्यक्ष महोदय, 2015 से ही अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं और हम प्रस्ताव वापस लेंगे भी । लेकिन माननीय मंत्रीजी का मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि यह जो स्थान है, यह 4 पंचायतों को प्रभावित करता है । दोनों ओर आप कहते हैं संपर्क पथ से वह जुड़ा हुआ है लेकिन...

उपाध्यक्ष: अच्छा आप वापस लीजिए, धैर्य रखिए ।

श्री विजय कुमार खेमका: नहीं, हम ले रहे हैं । माननीय मंत्री जी कम से कम उसको विचाराधीन भी रखें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-63: श्री नीतीश मिश्रा, स0वि0स0</u>

श्री नीतीश मिश्रा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वर्ष 1972 में गठित झंझारपुर अनुमंडल को जिला का दर्जा प्रदान करावें ।''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल का समूह भी गठित है, सचिवों की एक कमिटी भी गठित है जो प्रस्ताव भेजता है, सभी जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक को निर्देश दिये गये हैं लेकिन फिलहाल राजस्व विभाग के द्वारा इस वर्ष के अंतिम तक मतलब दिनांक- 31.12.2021 तक किसी भी जिले का, प्रखंड का या किसी का पुनर्गठन वांछित नहीं है, साथ ही अभी झंझारपुर को जिला बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे कृपया अपना संकल्प वापस लें ।

श्री नीतीश मिश्रा: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक सामान्य प्रशासन का पत्र है, जो 1 सितबंर को मुझे प्राप्त हुआ है जिसमें मुझको यह सूचना दी गई है कि झंझारपुर को जिला बनाने में कोई

विहित प्रक्रिया में प्रस्ताव प्राप्त नहीं है । माननीय उपमुख्यमंत्री जी को मैंने स्वयं इसी वर्ष मार्च महीने में भी आग्रह किया है और वर्ष 2014 में भी मैंने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को आग्रह किया था । 2005 से यह समिति बनी हुई है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा और इतना आश्वासन मैं सरकार से चाहूंगा कि बिहार में जब भी नये जिलों का गठन होगा, झंझारपुर के गठन पर भी सरकार विचार करेगी और मैं आज विधिवत रूप से आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से यह प्रस्ताव दे रहा हूं कि झंझारपुर और फुलपरास प्रखंड को मिलाकर एक जिला बनाएं ।

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री जी, साफ-साफ बोलें और स्पष्ट बोलें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, जब बनने लगा तब विचार करना कौन कठिन काम है, लेकिन अभी कोई प्रस्ताव नहीं है इसलिए अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

उपाध्यक्षः ठीक है, आप प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री संजय सरावगीः लेकिन वे तो संकल्प वापस लिये ही नहीं हैं ।

उपाध्यक्षः वापस ले लीजिये माननीय सदस्य, नीतीश मिश्रा जी । माननीय मंत्रीजी ने तो बोला ही कि जब होने लगेगा तो विचार किया जायेगा ।

श्री नीतीश मिश्राः मेरा प्रस्ताव लाने का यही एक प्रयास था कि झंझारपुर और फुलपरास को जब भी सरकार बिहार में नये जिलों का गठन करेगी, माननीय उपमुख्यमंत्री जी मेरी बातों को सुन रहे होंगे, उसे अपनी समिति में झंझारपुर पर भी विचार करेंगे । इस विश्वास के साथ मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्षः सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-64: श्री राज कुमार सिंह, स0वि0स0</u>

श्री राज कुमार सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय में एक स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान करें ।''

श्री आलोक रंजन, मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पाटलिपुत्र खेल परिसर पथ कंकड़बाग पटना में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स निर्मित है एवं राजगीर में राज्य खेल अकाडमी सह-अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माणाधीन है । वर्तमान में जिला स्तर पर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स की स्थापना से संबंधित कोई योजना विभाग द्वारा संचालित नहीं है । बेगूसराय जिला में खेलों

इंडिया खेल अवसंरचना निर्माण योजना अंतर्गत खेल अवसंरचना के निर्माण हेतु प्रस्ताव की मांग विभागीय पत्रांक-812, दिनांक-10.07.2019, स्मार पत्रांक-1418, दिनांक-08.11.2019 एवं द्वितीय स्मार पत्रांक-1666(क), दिनांक-30.11.2021 द्वारा की गई है । युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की खेलों इंडिया खेल अवसंरचना निर्माण योजना के अंतर्गत नियमानुकूल प्रस्ताव प्राप्त होने पर भारत सरकार से अनुरोध किया जा सकेगा । इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री राज कुमार सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, बेगूसराय को औद्योगिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है और उद्योग के विकास के साथ, वहां पर देश-विदेश से काफी मानव संसाधन के आने की संभावना है और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के होने से एक आकर्षण होगा उनके लिए और औद्योगिक विकास की दिशा में भी प्रगति होगी और इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, जो युवाओं की प्रतिभा है और उनकी ऊर्जा है उनको भी एक सकारात्मक दिशा देने में यह बहुत प्रभावी सिद्ध होगा ।

अत: इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ इसपर सकारात्मक पहल माननीय मंत्री जी की ओर से होगा । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-23/सत्येन्द्र/03-12-21

श्री राजकुमार सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, बेगुसराय को औद्योगिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है और उद्योग के विकास के साथ वहां पर देश विदेश से काफी मानव संसाधन के आने की संभावना है और स्पोर्टस कम्पलेक्स के होने से वहां का एक आकर्षण होगा उनके लिए और इससे औद्योगिक विकास की दिशा में भी प्रगति होगी । इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, जो युवाओं की प्रतिभा है उनकी ऊर्जा है, उनको भी एक सकारात्मक दिशा देने में यह बहुत प्रभावी सिद्ध होगा । अत: इस आशय के साथ और उम्मीद के साथ कि इस पर सकारात्मक पहल माननीय मंत्री जी के तरफ से होगा, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-65(श्री उमाकांत सिंह,स0वि0स0)

श्री उमाकांत सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत चनपटिया प्रखंड के मुसहरी सेनवरिया पंचायत से लेकर मझौलिया प्रखंड के डुमरी पंचायत तक सिकरहना नदी के कटाव से क्षतिग्रस्त बांध पर सड़क का निर्माण करावें ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत चनपटिया प्रखंड के मुसहरी सेनवरिया पंचायत से लेकर मझौलिया प्रखंड के डुमरी पंचायत तक का भाग सिकरहना नदी के दायें किनारे पर अवस्थित है। वर्त्तमान में उक्त भाग में कोई तटबंध निर्मित नहीं है। कुछ ग्रामों में मनरेगा या स्थानीय पंचायत से छोटे छोटे बांध निर्मित है जिनका कोई तकनीकी मानक नहीं है । सिकरहना बूढ़ी गंडक नदी एवं इनके सहायक नदियों पर निर्मित तटबंधों का ऊंचीकरण सुदृढ़ीकरण तथा नये तटबंध निर्माण हेतु योजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया है जिसमें प्रश्नगत अंश में भी तटबंध नवनिर्माण कार्य प्रस्तावित है। इस योजना के तहत तटबंध शीर्ष पर जी0एस0पी0 कार्य भी कराया जाना प्रस्तावित है। राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के स्तर से योजना अनुशंसित है एवं भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जाना प्रक्रियाधीन है इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री उमाकांत सिंह: महोदय, 400 गांव को वह प्रभावित करता है और मनरेगा से कोई उस बांध पर कार्य नहीं किया गया है, अगर किसी गांव में कहीं टूटफूट गया होगा तो कहीं बांध दिया गया होगा लेकिन मनरेगा से कोई कार्य नहीं किया गया है इसलिए आप जांच करा सकते हैं कि विगत पांच वर्षों में मनरेगा से कोई उस पर काम नहीं हुआ है पहले इसकी जांच करा लिया जाय और उस नदी के प्रभाव से लगभग 400 गांव कटाव प्रभावित है इसलिए हम आग्रह करेंगे कि इसका निर्माण करवा दें इस बरसात से पहले ।

उपाध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-66 (श्री मुहम्मद हजहार असफी,स0वि0स0)</u>

उपाध्यक्ष: प्राधिकृत हैं श्री अखतरूल ईमान ।

श्री अखतरूल ईमान: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज प्रखंड अन्तर्गत बेलवा पंचायत के चिलमारी घाट(रमजान नदी) पर पुल का निर्माण करावें ।''

श्री जयंत राज, मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल पी0एम0जी0 एस0वाई0 रोड बार्ड नं0-8 से चिलमारी पथ के आरेखन पर अवस्थित है । उक्त पथ के आरेखन पर सभी बसावटों को छूटे हुए बसावट के अनन्तर्गत सम्पर्कता प्रदान करने

हेतु विभागीय सर्वे कर लिया गया है तदनुसार समीक्षोपरांत पथ सहित पुल का निर्माण कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अखतरूल ईमानः उपाध्यक्ष महोदय, चिलमारी वह गांव है और मामला यह है कि 2005-06 में सरकार ने एक योजना चलायी थी मुख्यमंत्री सेतु योजना, उसमें भी स्वीकृत थी वह योजना। पिछले 15 सालों से लोग इसका इंतजार कर रहे है इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि आज भी इस युग में बीमारों को चारपाई पर उठाकर ले जाया जाता है, किसानों का ट्रेक्टर घर पर नहीं पहुंच पाता है, बरसात में वहां लोग डूब कर मरते हैं, दुल्हन पैदल चलकर वहां आती है इसके बारे में माननीय मंत्री जी से मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूँ ।

उपाध्यक्षः सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-67(श्री गोपाल रविदास,स0वि0स0)</u>

श्री गोपाल रविदासः उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिसताव करती है कि वह भारत रत्न बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा बिहार विधान-सभा परिसर में स्थापित करावें ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय,भारत रत्न बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा पटना के एक प्रमुख स्थल पर पूर्व से ही स्थापित है। विधान-सभा परिसर में दूसरे प्रतिमा के स्थापना का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है इसलिए माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री गोपाल रविदासः महोदय,कह रहे हैं कि अभी संविधान दिवस हमलोग मनाये हैं और बाबा साहब के संविधान पर पूरा देश संचालित है तो उनकी मूर्त्ति यहां लगाने में क्या दिक्कत है।

उपाध्यक्षः प्रस्ताव वापस लीजिये? सरकार स्पष्ट रूप से बतलायी है इसलिए प्रस्ताव वापस लीजिये।

श्री गोपाल रविदासः मैं प्रस्ताव वापस नहीं लूंगा।

उपाध्यक्षः प्रश्न यह है कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिसताव करती है कि वह भारत रत्न बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा बिहार विधान-सभा परिसर में स्थापित करावें।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है, सदन की सहमति हो तो ।

(सदन की सहमति हुई)

क्रमांक- 68 (श्री राम प्रवेश राय,स0वि0स0)

श्री राम प्रवेश राय: उपाध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह थावे मंदिर तक यात्रियों की पहुंच को सहज बनाने हेतु गोपालगंज जिला अन्तर्गत थावे छपरा रेल लाईन के रतनसराय स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की सिफारिश रेल मंत्रालय, भारत सरकार से करे ।''

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्व प्रसिद्ध थावे मंदिर तक यात्रियों की पहुंच को सहज बनाने हेतु गोपालगंज जिलान्तर्गत थावे-छपरा रेल लाईन के रतनसराय स्टेशन पर सभी एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक 7520 दिनांक 28-11-2021 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री रामप्रवेश राय: उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बिहार सरकार को कुछ करना है केवल भारत सरकार के रेल मंत्रालय को सिफारिश कर देना है इसमें सरकार का क्या जाता है इसलिए मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा, इस प्रस्ताव को स्वीकृत कराईए माननीय उपाध्यक्ष महोदय और सिफारिश भारत सरकार को भेज दिया जाय ।

उपाध्यक्ष: प्रस्ताव तो भेज दिया गया है ।

श्री रामप्रवेश राय: हां, तो इसमें वापस क्या लेना है, इसको स्वीकृत किया जाय। वापस की क्या आवश्यकता है, जब प्रस्ताव भेज ही दिया गया है तो इसको स्वीकृत किया जाय ।

उपाध्यक्ष: बिहार सरकार आग्रह करेगी न, बिहार सरकार प्रस्ताव स्वीकृत नहीं न करेगी, आग्रह ही न करेगी इसलिए आप वापस ले लीजिये ।

श्री रामप्रवेश राय: यह तो प्रस्ताव है और प्रस्ताव के रूप में जा ही सकता है, इसमें वापस क्या लेना है ।

श्री नंद किशोर यादव: महोदय, जब इसमें उन्होंने स्वीकार कर ही लिया भेजने के लिए तो स्वीकृत हो गया महोदय, अब तो निर्णय उनको करना है रेल मंत्रालय को, करें न करें यह अलग बात है ।

उपाध्यक्ष: ये तो अनुरोध करेंगे भारत सरकार से, ये स्वीकृत कैसे कर लेंगे ।

श्री नंद किशोर यादवः ये भारत सरकार को भेजेंगे न । प्रस्ताव तो स्वीकृत हो गया, करना उनको है, करेंगे नहीं करेंगे, नियम यही है महोदय ।

श्री राम प्रवेश रायः इसमें दिया हुआ है कि सिफारिश है ।

उपाध्यक्षः ठीक है । यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टर्न-24/मधुप/03.12.2021

क्रमांक-69 : श्री विद्या सागर केशरी, स0वि0स0

श्री विद्या सागर केशरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला अन्तर्गत फारबिसगंज प्रखण्ड के कोचगामा बॉर्डर रोड से किसलय नदी के तेलयारी SSB कैंप के पास R.C.C. पुल का निर्माण करावे ।''

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाइ0 अंतर्गत निर्मित कोचगामा बॉर्डर रोड से किसलय नदी पार करते हुए तेलयारी SSB कैंप पथ तक के आरेखन पर अवस्थित है । उक्त पुल के निर्माण हेतु टेक्नो-फिजिबलिटी रिपोर्ट की मॉग संबंधित कार्यपालक अभियंता से की गई है । तत्पश्चात् तकनीकी समीक्षोपरांत अग्रतर कार्रवाई किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विद्या सागर केशरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पुल सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल का लाईफ-लाईन से जुड़ा होने के कारण अति महत्वपूर्ण है । यह पुल SSB कैंप से जोगबनी जाने का मुख्य रास्ता के बीच है ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री विद्या सागर केशरी : छोटी वाहनों का भारी संख्या में परिवहन इस रास्ते में पुल के माध्यम से होता है । अतः माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस पुल को आप संज्ञान में लेकर यथाशीघ्र इसका निर्माण कराने की व्यवस्था करेंगे ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-70 : डॉ0 सी0एन0 गुप्ता, स0वि0स0

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के अंतर्गत पी0एन0 कॉलेज, परसा एवं नन्दलाल सिंह महाविद्यालय, जैतपुर के महिला छात्रावासों का निर्माण पूर्ण करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इस प्रस्ताव में वर्णित दोनों महाविद्यालयों में छात्रावास के निर्माण हेतु यह अनुदान सीधे विश्वविद्यालय सेवा आयोग से प्राप्त हुआ था । राशि कम होने की वजह से निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया है । तो जो शेष काम बच गया है, उसका वर्तमान दर पर राशि प्राक्कलित कराकर हम विश्वविद्यालय सेवा आयोग को पुनः भेज देंगे कि शेष राशि उपलब्ध करा दें जिससे कि निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा ।

इसलिये माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–71 : श्री अखतरूल ईमान, स0वि0स0</u>

श्री अखतरूल ईमान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिला अंतर्गत अमौर प्रखण्ड के हरीपुर–मल्हाना पथ पर खाड़ी पुल (package no-BR128-B) का निर्माण न होने से प्रखण्ड मुख्यालय की 09 कि0मी0 की दूरी 50 कि0मी0 तय कर के जानी पड़ती है, सरकार पुल का निर्माण करावे ।''

महोदय, इस पुल का विगत 7 वर्षों से निर्माण हो रहा है, एक लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है । कबतक बनायेंगे, जरा–सा माननीय मंत्री बता दें ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : ग्रामीण कार्य विभाग को हस्तांतरित हुआ है ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, यह अभी ही कुछ समय पहले प्रस्ताव हमलोगों के पास आया है । अभी इसका जवाब हमलोगों के पास नहीं बन पाया है, हमलोग विचार करके जो भी होगा, सदन को जवाब दे देंगे ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, यह गैर सरकारी संकल्प है, माननीय मंत्री यह कहें कि हमने इसको देखा है जरूर इसपर विचार करेंगे । यह तो कहें कम से कम, यह तो कहना पड़ेगा । नहीं कहा है ।

उपाध्यक्ष : बोले हैं ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि विगत सात वर्षों से इस पुल का निर्माण कार्य चल रहा है । मैं समझता हूँ कि इससे काफी लोगों को परेशानी है । इस संबंध में माननीय मंत्री जी से हमलोग कई बार मिल चुके हैं । इनके संज्ञान में यह बात है । यह सचिवालय की गलती की वजह से उनके पास चला गया है वरना यह आर0डब्लू0डी0 का क्वेश्चन है और उनके संज्ञान में है । जो कुछ संज्ञान में है, उतना ही बता दें तो मैं समझता हूँ कि समाधान निकलेगा ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, देखवा लीजियेगा ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, इसपर विचार करेंगे । हमलोग इसको देखवा लेते हैं ।

उपाध्यक्ष : वापस ले लीजिये ।

श्री अखतरूल ईमान : ठीक है, सर ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-72 : श्री महबूब आलम, स0वि0स0

श्री महबूब आलम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अंतर्गत बारसोई प्रखण्ड के शिवानंदपुर पंचायत के शिवानंदपुर गाँव के वागराय टोला में विद्यालय स्थापित करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखण्ड के शिवानंदपुर पंचायत के वागराय टोला अवस्थित है । शिवानंदपुर पंचायत में स्थापित प्राथमिक विद्यालय जगदलपुर की दूरी वागराय टोला से मात्र 900 मीटर है तथा 500 मीटर की परिधि में मदरसा तंजुमीन मुसलमीन, शिवानंदपुर अवस्थित है । उक्त विद्यालय एवं मदरसा में वागराय टोला के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं ।

अभी चूंकि दो-दो विद्यालय एक किलोमीटर की परिधि में हैं इसलिये यहाँ नया विद्यालय स्थापित करने की योजना नहीं है । इसलिये माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री महबूब आलम : नहीं महोदय । वस्तुस्थिति दूसरी है, वागराय टोला जो है शिवानंदपुर मौजा के शिवानंदपुर गाँव जो मुख्य गाँव है, उस गाँव से महानंदा से कटा हुआ है, पूर्वी-उत्तर सीमा में पूर्वी भाग में बसा हुआ है और वहाँ से मुख्य गाँव में आने के लिये उनको 3 किलोमीटर महानंदा नदी पार करके आना पड़ता है इसलिये 500 मीटर की जानकारी गलत है और 200 से अधिक वहाँ बस्ती है, 300 परिवार कम से कम वहाँ है ।

उपाध्यक्ष : ठीक है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, मेरा क्वेश्चन भी था इस सवाल पर । एक छोटा-सा मामला है, ठीक से जॉच-पड़ताल करके माननीय से आग्रह करते हैं कि वहॉ एक प्राथमिक विद्यालय खोलने का कष्ट करें ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-73 : श्रीमती मीना कुमारी, स0वि0स0

श्रीमती मीना कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के बाबूबरही प्रखण्ड अंतर्गत वसहा गॉव से श्री रामपुर देवहार वितरणी नहर तक के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिला के बाबूबरही प्रखण्ड अंतर्गत वसहा गॉव के समीप पश्चिमी कोसी नहर परियोजना अंतर्गत झंझारपुर शाखा नहर के 9 आर0डी0 के दायें भाग से देहहार उप वितरणी निकलती है जो श्रीरामपुर गॉव होते हुए आगे तक जाती है । इस उप वितरणी की कुल लम्बाई 34.60 आर0डी0 है । इस उप वितरणी का अवशेष कार्य हेतु दिसम्बर, 2019 में एकरारनामा किया गया । एकरारनामा के तहत कुल 5 अदद गैपों में पूरी लम्बाई में मिट्टी भराई कार्य करा लिया गया है । रूपांकित सेक्शन में कार्य कराया जाना शेष है । साथ-ही, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का अवशेष एवं पुनर्स्थापन कार्य हेतु दिनांक 28.12.2020 को एकरारनामा संपादित किया गया है । जिसके अंतर्गत देवहार उप वितरणी के जीर्ण-शीर्ण भागों में पुनर्स्थापना कार्य भी सम्मिलित है । इस उप वितरणी के सभी कार्यों को मॉनसून 2022 के पूर्व पूर्ण कराने का लक्ष्य है ।

इसलिये माननीय सदस्या से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्रीमती मीना कुमारी : महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसको ध्यान में रखते हुये विचार करें । साथ-ही, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-74 : श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चम्पारण के सिकटा प्रखण्ड के सिकटा बाजार स्थित तालाब के उत्तरी तट पर बने राम-जानकी मंदिर के सामने की खाली जमीन पर विवाह भवन और पूर्वी तट पर पार्क का निर्माण करावे ।''

टर्न–25/आजाद/03.12.2021

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रांसफर होकर आया है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पंचायती राज विभाग द्वारा सभी पंचायतों में सामुदायिक भवन/विवाह भवन का निर्माण का प्रस्ताव है । सिकटा बाजार स्थित तालाब के उत्तरी तट पर भवन के निर्माण पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : माननीय मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद, उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया है लेकिन उसमें एक पार्क का भी मामला है । इसलिए उनसे आग्रह है कि उसपर ध्यान देंगे। मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–75 : श्री महा नंद सिंह, स0वि0स0</u>

श्री महा नंद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अरवल मुख्यालय से पटना के ओझा बिगहा तक बाइपास बनाने का कार्य करें । ''

श्री नितिन नवीन, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, अरवल जिला मुख्यालय से पटना के ओझा बिगहा तक बाइपास निर्माण की आवश्यकता एवं सांभव्यता की समीक्षा के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, इसका कब तक एक समय सीमा बता दिया जाता ।

उपाध्यक्ष : इसको वापस लीजिए ।

श्री महा नंद सिंह : चूँकि 139 और 110 जो एन0एच0 है और बगल में सहार पुल बन जाने से गाड़ी का प्रभाव बढ़ गया है, इससे हमेशा अरवल में जाम रहता है । बालू निकासी की वजह से अरवल और जाम रहता है । इसलिए महोदय, इसका समय सीमा कब तक कराने का प्रस्ताव रखते हैं, थोड़ा सा इसपर बता दिया जाय ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसपर साफ–साफ बोले हैं, प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, नहर के बगल से ही मैंने प्रस्ताव के लिए मैंने दिया है, इसमें गलत से मिसप्रिन्ट हो गया है । वह पटना जिला का ओझा बिगहा नहीं है, वह अरवल मुख्यालय का ओझा बिगहा है । इसीलिए हमने सुधार कर पढ़ा है ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री महा नंद सिंह : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-76 : श्री ललन कुमार, स0वि0स0

श्री ललन कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर से खुलने वाली विक्रमशिला आनंदविहार ट्रेन (02367) का परिचालन साहेबगंज रेलवे स्टेशन से किये जाने की सिफारिश केन्द्र सरकार से करें । ''

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

उपाध्यक्ष : पहले जवाब तो सुन लीजिए ।

श्रीमती शीला कुमार, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भागलपुर से खुलने वाली विक्रमशिला आनंदविहार ट्रेन (02367) का परिचालन शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन या साहेबगंज रेलवे स्टेशन से किये जाने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, केन्द्र सरकार से अपेक्षित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक-7564 दिनांक 30.11.2021 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री ललन कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह अपने आप में प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है । मैंने इसको सिफारिश करने का निवेदन किया था और इन्होंने स्वीकृत कर लिया है । सभा को मैं इसके लोक महत्व और यह बिहार के विकास से भी जुड़ा हुआ है । मैं बताना चाहता हूँ कि यह विक्रमशिला ट्रेन जो है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला स्टेशन जाय, इसके लिए शिवनारायणपुर और साहेबगंज जाना जरूरी है और वह विक्रमशिला पौराणिक विश्वविद्यालय है, वहां पर सबसे बड़ा बौद्ध यूनिवर्सिटी रहा है ।

उपाध्यक्ष : यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-77 : श्री देवेश कान्त सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-78 : श्री चेतन आनन्द, स0वि0स0

श्री चेतन आनन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शिवहर जिला में पिपराही प्रखण्ड के ग्राम अम्बा में दिनांक 13.11.2021 को श्री नवीन झा की अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, उसकी जॉच करावें । ''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, यह तो क्वेश्चन का विषय है, यह गैर-सरकारी संकल्प में कैसे स्वीकृत हो गया, पता नहीं ।

महोदय, पुलिस अधीक्षक, शिवहर द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। कांड उद्‌भेदन हेतु डॉगस्कवायड का मदद लिया गया है । रास्ते में लगे सी0सी0टी0वी0 फुटेज प्राप्त किया गया है । मृतक नवीन कुमार झा का मोबाईल नम्बर प्राप्त कर इसका सी0डी0आर0 प्राप्त किया गया है एवं अग्रेतर तकनीकी साक्ष्य, तकनीकी सर्विलांस संकलित किया जा रहा है । अनुसंधान के क्रम में घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शिवहर के नेतृत्व में एस0आई0टी0 टीम का गठन किया गया है । एस0आई0टी0 द्वारा कई संदिग्ध स्थानों पर छापामारी की गई है । भूमिगत दोनों अभियुक्त अनिल कुमार झा एवं सुगम गिरफ्तारी के भय से छिपे हुए हैं । इस क्रम में एस0आई0टी0 द्वारा राज्य के बाहर जाने की अनुमति प्राप्त की गई है । उनकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर छापामारी की जा रही है । वर्तमान में कांड अनुसंधान अन्तर्गत है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपा करके संकल्प वापस लें ।

श्री चेतन आनंद : महोदय, इस सरकार में दोषी बाहर रहता है और निर्दोषी जेल के अन्दर रहता है, यह साफ दिखाता है । मैं अपना प्रस्ताव वापस नहीं लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शिवहर जिला में पिपराही प्रखण्ड के ग्राम अम्बा में दिनांक 13.11.2021 को श्री नवीन झा की अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, उसकी जॉच करावें । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नये हैं । जो मतदान इसमें कराये तो अनुसंधान भी इसमें रूक जायेगा क्योंकि सदन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। तब तो जो भी कार्रवाई हो रही थी, वह भी रूक जायेगी । अब इतना तो होना चाहिए, इनके दल के चीफव्हीप हैं ललित कुमार जी । अब बताइए । सदन सर्वोपरि है, सदन जब रिजेक्ट कर दिया मुकदमे का मामला, अब क्या होगा, आप ही दिशा निर्देश दीजिए, आपका ही बात मानूंगा ।

इसलिए मैं फिर अनुरोध करूंगा कि वो संकल्प वापस लें और वोटिंग न करवावें ।

उपाध्यक्ष : वापस ले लीजिए ।

श्री चेतन आनन्द : सदन के माध्यम से और सभी माननीय सदस्यों के सुझाव से मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य के खारिज प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-79 : श्री लखेन्द्र कुमार रौशन, स0वि0स0

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : ''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला अन्तर्गत पातेपुर विधान सभा के जन्दाहा प्रखण्ड में वाया नदी नहर का लक्ष्मणपुर बरबट्टा से बरबट्टा घाट तक उड़ाही एवं बांध का निर्माण करावें । ''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वाया नदी वैशाली जिला अन्तर्गत वैशाली, बेलसर, भगवानपुर, गरौल, सहदेवबुजुर्ग महनार प्रखण्ड से होकर गुजरती है । वाया नदी के तल की ढ़ाल कम होने के कारण इसके जल की निकासी धीरे-धीरे होती है । वृहत तौर पर वाया नदी में गाद की समस्या नहीं है । बाढ़ 2021 के दौरान नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण वैशााली जिलान्तर्गत कई स्थलों पर ओभरटॉपिंग की समस्या उत्पन्न हुई थी । इस क्रम में नदी का जल वहन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से नदी तल की उड़ाही करने की योजना तैयार की गई है, जिसे तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया है । तकनीकी सलाहकार समिति के अनुशंसा प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जायेगी । विभागीय पत्रांक- 4045 दिनांक 02.12.2021 द्वारा मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर को आवश्यकतानुसार बांध निर्माण हेतु विस्तृत सर्वेक्षण योजना समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया है ।

इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : उपाध्यक्ष महोदय, चूँकि माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है, उसमें है कि वाया नदी वह पातेपुर विधान सभा और जन्दाहा से होकर नहीं गुजरी है । जबकि वाया नदी महुआ से होते हुए गांधी चौक महुआ के निकट से होते हुए और तब जो है जन्दाहा प्रखंड के पातेपुर होते हुए जन्दाहा होते हुए और जब जाकर गंगा नदी में मिलती है। इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इसपर सहानुभूतिपूर्वक चूँकि इस बार बाढ़ से हजारों लोगों ने इस बाढ़ की विभीषिका को देखा है, इसलिए इसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-26/शंभु/03.12.21

क्रमांक-80 श्रीमती बीमा भारती

श्रीमती बीमा भारती : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रूपौली विधान सभा क्षेत्र के रूपौली प्रखंड अंतर्गत विजय लालगंज पंचायत के लालगंज से जयनगर जानेवाली पथ पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।''

श्री जयंत राज,मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल लालगंज से जयनगर जानेवाली पथ के आरेखन पर अवस्थित है । उक्त पथ के आरेखन पर अवस्थित सभी बसावटों को छूटे हुए बसावट के तहत संपर्कता प्रदान करने हेतु विभागीय एप द्वारा सर्वे कार्य करा लिया गया है । तद्नुसार समीक्षोपरान्त पथ सहित पुल का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्रीमती बीमा भारती : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-81 श्री आलोक कुमार मेहता</u>

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड अन्तर्गत एन0एच0-28 चांदचौर मध्य शंकर चौक से एस0एच0-88 महावीर चौक कल्याणपुर-विभूतिपुर तक सड़क का निर्माण करावे ।''

श्री जयंत राज,मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, यह ग्रामीण कार्य विभाग में ट्रांसफर हुआ था । महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लंबाई लगभग 17.20 कि0मी0 है जो चार पथों से संबंधित है । जिसकी स्थिति निम्नवत् है । एन0एच0-28 शंकर चौक से चतरा मखनियां पथ इस पथ की लंबाई 2 कि0मी0 है । जिसकी मरम्मति कार्य नयी अनुरक्षण नीति, 2018 के अन्तर्गत पूर्ण हो चुका है । पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में है एवं पथ की स्थिति संतोषप्रद है । चतरा मखनियां से महिसारी बाबू पोखर तक पथ इस पथ की लंबाई 4 कि0मी0 है जिसकी मरम्मति हेतु नयी अनुरक्षण नीति, 2018 के अन्तर्गत प्राक्कलन तैयार करा लिया गया है । स्वीकृति के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । बाबू पोखर से महिसारी पथ इस पथ की लंबाई 1.20 कि0मी0 है । इस पथ की मरम्मति नयी अनुरक्षण नीति, 2018 के अन्तर्गत पूर्ण हो चुकी है । पथ अनुरक्षण अवधि में है एवं पथ की स्थिति संतोषप्रद है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, जिस पथ की चर्चा हुई जिसका प्रस्ताव दिया गया उसपर ट्रेफिक डेनसिटी काफी बढ़ चुकी है और यह तीन चार सड़कें लगातार है जो अलग-अलग टुकड़े में बनायी जाती रही है । उसके अनुरक्षण नीति के तहत उसका निर्माण भी होता है, लेकिन अभी जो स्थिति है चूंकि यह तीन प्रखंडों को जोड़नेवाली सड़क है । इसलिए इसकी महत्ता को देखते हुए मैंने प्रस्ताव किया है कि उसे पी0डब्लू0डी0 द्वारा अधिगृहित कर और उसका चौड़ीकरण कर उसका मजबूती के साथ निर्माण कराया जाय ।

उपाध्यक्ष : अब प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मेरे निवेदन को कंसीड्रेशन में रखा जाय पथ निर्माण विभाग द्वारा ।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लीजिएगा तभी न ।

श्री जयंत राज,मंत्री : महोदय, इसका ट्रेफिक सर्वे हमलोग करवा देते हैं उसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में जो ट्रांसफर होता है उसके लिए अब एक नयी व्यवस्था लागू हुई है तो उस आधार पर पहले हमलोग इसको देख लेंगे सबका ये हो जायेगा उसके बाद इसका चौड़ीकरण और ये करवायेंगे । अतएव प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री आलोक कुमार मेहता : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं नियमापत्ति पर हूँ । आज 3 तारीख है, हम गैर सरकारी संकल्प दिये थे और आपके कार्यालय से आज ही पत्र प्राप्त हुआ है । महोदय, आपने 153 नियम (3) के तहत रद्द करने की सूचना आज 3.12 को दिये हैं जबकि उसी नियम में स्पष्ट है जिस नियम से आप रद्द किये हैं उसी नियम में यह स्पष्ट है महोदय- अध्यक्ष सूचना की अवधि के भीतर किसी संकल्प या उसके किसी भाग को इस आधार पर अस्वीकृत कर सकेंगे वह ऐसे विषय से संबंधित हो तो महोदय यह स्पष्ट है ।

उपाध्यक्ष : अध्यक्ष का विशेषाधिकार रहता है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं नियमापत्ति पर हूँ । जिस नियम के हवाले से आपने रद्द किया है उसी नियमापत्ति पर हूँ । इसमें कार्य अवधि 3 से 18 के बीच में था । 03. 11 से 18.11.21 तक ये कार्य अवधि था । आपने 3 तारीख को आज नियम के विरूद्ध पत्र दिये हैं तो इसीलिए मैं नियमापत्ति पर हूँ । यह गैर सरकारी संकल्प आना चाहिए, यह गैर सरकारी संकल्प कैसे नहीं आया महोदय, मुझे तो स्पष्ट कारण बताइयेगा । मैं नियमापत्ति पर हूँ । ये 3 से 18 के बीच में देना था आज 3 है कम से कम 15 दिन...

उपाध्यक्ष : ठीक है उसको देखवा लेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : इसको देखवा कर हम नियमापत्ति पर हैं ये नियम के विरूद्ध है आपके कार्यालय से पत्र आया है ।

क्रमांक-82 श्री कुमार सर्वजीत

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड के ग्राम बंदरा के सामने पैमार नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

श्री जयंत राज,मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम बंदरा को संपर्कता देने हेतु हेवीटेशन एप से सर्वे करा लिया गया है । इस पथ के आरेखन में पुल अवस्थित है । समीक्षोपरान्त पुल सहित पथ के निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री कुमार सर्वजीत : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-83 श्री विजय कुमार

श्री विजय कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शेखपुरा जिला में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, अभी स्वास्थ्य विभाग के संकल्पों का उत्तर हम दे रहे हैं तो आप बोल रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले शिक्षा विभाग के संकल्प का जवाब स्वास्थ्य मंत्री दे रहे थे तो उस समय आप नहीं बोले ।

महोदय, शेखुपरा जिला के निकटवर्त्ती नालन्दा जिला में वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी संचालित है तथा बगल में जमुई में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना हेतु निविदा निष्पादन के पश्चात् कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है । महोदय, अगल-बगल दोनों तरफ मेडिकल कॉलेज है । इसलिए सम्प्रति शेखपुरा जिले में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना का कोई प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है । इसलिए हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

टर्न-27/अभिनीत/03.12.2021

<u>क्रमांक- 84 : श्री विनय कुमार, स0वि0स0</u>

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के कोयल नहर के आर0डी0 277 से लेकर आर0डी0 307 तक गाद की सफाई का कर्य करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु सातवां पुनरीक्षित प्राक्कलन का टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस केंद्रीय जल आयोग, भारत सरकार के एडवाइजरी कमेटी द्वारा प्रदान की गयी है जिसमें बिहार भूभाग में अवस्थित दायां मुख्य नहर के 103 से 357.90 आर0डी0 एवं इसके नि:सृत वितरण प्रणालियों की पुनर्स्थापन संरचानाओं का पुनर्निर्माण एवं सेवा पथ का मरम्मती कार्य सम्मिलित है । यह कार्य केंद्रीय एजेंसी वाप्कोस द्वारा किया जा रहा है । कार्य पूर्ण हो जाने के बाद बिहार राज्य के औरंगाबाद एवं गया जिले में एक लाख ग्यारह हजार आठ सौ हेक्टेयर कमांड क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मुहैया हो जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : आप संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री विनय कुमार : एक मिनट सर, यह बहुत ही, जनहित का मामला है । माननीय मंत्री जी बोलें कि सातवां पुनरीक्षित हुआ है । उत्तर कोयल नहर परियोजना यह कोई छोटी-मोटी परियोजना

नहीं है, इस परियोजना की शुरूआत 1974 से हुई है । जिस समय हमलोगों का जन्म नहीं हुआ था उस समय से ही इसकी शुरूआत हुई है । लगभग तीन हजार करोड़ रुपये का उसमें व्यय हो चुका है...

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री विनय कुमार : एक मिनट महोदय, तीन हजार करोड़ व्यय हो चुका है लेकिन आजतक किसानों को पानी मिला नहीं महोदय । वहां के किसान पद यात्रा किये, भूख हड़ताल किये...

अध्यक्ष : चलिए, माननीय मंत्री जी बता दिए हैं । आप वापस ले रहे हैं ?

श्री विनय कुमार : हम वापस लेते हैं, लेकिन कम से कम इसको सुना जाय...

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य, श्री कृष्ण कुमार ऋषि ।

<u>क्रमांक- 85 : श्री कृष्ण कुमार ऋषि, स0वि0स0</u>

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बनमनखी प्रखंड के महाराजगंज-1 पंचायत के ध्रुव विलास जाने वाली डी0एम0सी0 विद्यालय के पास आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।''

श्री जयंत राज, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-3 के अंतर्गत चयनित एन0एच0- 107 मोहनिया-अररिया सीमा वाया ध्रुव विलास से यादव टोला भित्था टोला पथ के आरेखन पर अवस्थित है । उक्त पथ के साथ पुल का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । तत्पश्चात् एस0टी0ए0 से अनुमोदनपरांत एन0आर0आई0डी0ए0, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु समर्पित किया जायेगा । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के उपरांत पथ एवं पुल का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : संकल्प वापस लेते हैं ?

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : संकल्प वापस ले लेते हैं लेकिन एक आग्रह...

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 86 : श्री सुरेंद्र मेहता, स0वि0स0</u>

श्री सुरेंद्र मेहता : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना से बनाए जा रहे सड़क

(1) शिवजतन राय के घर से लंका टोल (2) नानु यादव के घर से झमटिया तक, बाढ़ से सुरक्षा हेतु दोनों तरफ बोल्डर पिचिंग करावे ।''

श्री जयंत राज, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित प्रश्न दो पथों से संबंधित है । टी-04 नानु यादव के घर से झमटिया स्कूल पथ, यह पथ एम0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत निर्माणाधीन है । दूसरा पथ है शिवजतन राय के घर से लंका टोला तक पथ, यह पथ निर्माण हेतु एकरारनामा की प्रक्रिया में है । उक्त दोनों पथ चमथा दियरा क्षेत्र में अवस्थित है । प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने के कारण पानी पथ के अधिकांश भाग पर ऊपर से प्रवाहित होता है । वर्तमान में दोनों पथ के प्राक्कलन में बोल्डर पिचिंग का प्रावधान नहीं है जो स्थल के अनुरूप है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुरेंद्र मेहता : महोदय, वह पांच पंचायतों का इलाका है, फिर सड़क बनेगी और फिर बाढ़ के पानी में चला जायेगा ।

अध्यक्ष : संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री सुरेंद्र मेहता : महोदय, संकल्प तो वापस लेंगे ही ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 87 : श्री जितेन्द्र कुमार, स0वि0स0</u>

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला के अस्थावाँ प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा वर्ष 2014-19 की अवधि में बहाल किए गए शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में निगरानी विभाग के द्वारा वर्ष 2006 से 2015 तक की अवधि में नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच शीघ्र पूरी करने के लिए विभाग द्वारा संपर्क किया जायेगा, पत्राचार किया जायेगा ।

इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, यह बच्चों का मामला है, यथाशीघ्र जांच करा ली जाय ताकि फर्जी शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनका पर्दाफाश हो और सही शिक्षकों की बहाली हो जाय ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री जितेन्द्र कुमार : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, श्री ललित जी आपका गैर सरकारी संकल्प स्वीकृत नहीं हुआ और अभी इस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

श्री रणविजय साहू ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय मैं नियमापत्ति पर हूं...

अध्यक्ष : बता दिए न स्वीकृत नहीं हुआ है ।

(व्यवधान)

<u>क्रमांक- 88 : श्री रणविजय साहू, स0वि0स0</u>

श्री रणविजय साहू : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के मोरवा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत नून नदी के कटाव को रोकने हेतु गुनाइवसही से कोठिया पुल तक बांध का निर्माण करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नून नदी के बायें एवं दायें किनारे...

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय...

अध्यक्ष : अभी इस पर विचार नहीं होगा बता दिए न । आप पुराने सदस्य हैं, आप समझते हैं कि अभी गैर सरकारी संकल्प चलेगा ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : समस्तीपुर जिलांतर्गत मोरवा प्रखंड के गुनाइवसही से सरायरंजन प्रखंड के...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये, अब बैठ जाइये । स्वीकृत और अस्वीकृत पर चर्चा होती है यहां ?

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : मुसापुर तक तटबंध निर्मित है । नदी के दोनों किनारे घनी आबादी है । केंद्रीय जल आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार नया बांध का निर्माण...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : मंत्री जी बोल रहे हैं, बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : नदी किनारे से कम से कम 500 मीटर हटकर किया जाता है । बाढ़ अवधि में आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है । वैसे भी विभागीय पत्रांक- 4054, दिनांक 02.12.2021 द्वारा मुख्य अभियंता, समस्तीपुर को प्रश्नगत स्थल पर बाढ़ निर्माण हेतु तकनीकी फीजिबिलिटी प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है । तकनीकी संभाव्यता के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकेगी ।

इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

(व्यवधान जारी)

श्री रणविजय साहू : महोदय, यह पूरे तौर पर, गुनाइवसही, सिकन्दरचक पहाड़, माधोपुर विधरूआ और कोठिया तक प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी जो प्रवेश करता है पंचायत में, इस बार भी पांच छोटे-छोटे बच्चों की अकाल मृत्यु हुई है और यह जन-नायक कर्पूरी ठाकुर का भी सपना था कि यह बांध पूरी तौर पर पूरा हो । इसलिए उनका भी सपना पूरा करना है । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं..

अध्यक्ष : आप संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री रणविजय साहू : हम संकल्प वापस ले रहे हैं लेकिन माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा..

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

माननीय सदस्य, बैठ जायं । बैठें, आप बैठ जाइये तब न बोलेंगे । आप बोलते रहिएगा तो मैं क्या बोलूं । बैठ जाइये, मेहता जी बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

नहीं । बैठ जाइये, आपने जो कहा 154 में देखिए कि अध्यक्ष इस नियमावली के अधीन किसी संकल्प की ग्राह्यता का निर्णय करेंगे । अब इसके बाद आप शांति से बैठें, आप पुराने सदस्य हैं ।

श्री विजय कुमार मंडल माननीय सदस्य ।

श्री ललित कुमार यादव : नहीं महोदय, संतुष्ट कर दिया जाय । आप जिस नियम का हवाला...

अध्यक्ष : अब ये तो वरीय लोगों को संतुष्ट करना बड़ा कठिन कार्य है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैंने जो सूचना दी है और आपने लिखा है...

टर्न-28/हेमन्त/03.12.2021

<u>क्रमांक-89 : श्री विजय कुमार मंडल, स0वि0स0</u>

श्री विजय कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला अंतर्गत कुर्सा कांटा प्रखण्ड के बरजान नदी पर बाबाजी अखाड़ा सजिया से सौरपीच तक जर्जर बांध का पक्कीकरण करावें ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिला अंतर्गत कुर्सा कांटा प्रखण्ड के बाबाजी अखाड़ा सजिया के पास बरजान नदी के बायें तट पर एक लघु बांध निर्मित है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : जो वर्ष 2004-05 में मनरेगा से निर्मित है, जिसका निर्माण जिला प्रशासन द्वारा किया गया है । प्रश्नगत बांध जल संसाधन विभाग से संबंधित नहीं है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेते हैं ?

श्री विजय कुमार मंडल : संकल्प तो वापस ले लेंगे लेकिन...

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-90 : श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव, स0वि0स0</u>

श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुपौल जिला अंतर्गत सरायगढ़, भपटीयाही प्रखण्ड के मुरली, लालगंज, बगेबा, चांदपीपर, सरायगढ़, बनैनिया ग्राम पंचायतों को भपटीयाही थाना क्षेत्राधीन करावें ।''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, दो महीने के भीतर प्रखण्ड और थाना दोनों एकसाथ करने का निर्णय किया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव : माननीय मंत्री जी को सकारात्मक विचार देने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-91 : श्री ऋषि कुमार, स0वि0स0</u>

श्री ऋषि कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबा जिला अन्तर्गत दाऊदनगर अनुमंडल परिसर स्थित कृषि फार्म की खाली पड़ी भूमि पर कृषि महाविद्यालय की स्थापना करावें ।''

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला में दाऊदनगर में राजकीय बीज बूनम प्रक्षेत्र का कुल रकबा 10 हेक्टेयर है, जिसमें 4 हेक्टेयर कृषि योग्य है। रबी फसलों की अधिक उपजशील प्रभेदों का बीज उत्पादन किया जा रहा है । शेष 6

हेक्टेयर भूमि पर अनुमंडल कार्यालय, न्यायालय, निबंधन कार्यालय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय, अग्निशमन कार्यालय, न्यायाधीश आवास एवं अन्य पदाधिकारियों के आवास हैं । औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाऊदनगर अनुमंडल परिसर स्थित कृषि फार्म की भूमि पर कृषि महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है । इसलिए महोदय, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि वह अपने इस प्रस्ताव को वापस लें ।

श्री ऋषि कुमार : महोदय, पूरे दक्षिण बिहार में कहीं भी कृषि महाविद्यालय नहीं है और जहां तक दक्षिण बिहार की बात करें, तो वहां पर जो कमाई होती है वह किसानों के थ्रू ही कमाई होती है, खेती से ही कमाई होती है, तो वहां पर कृषि महाविद्यालय की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो सरकार इसको अपने विचार में ले । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–15 : श्री मोती लाल प्रसाद, स0वि0स0

श्री मोती लाल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत प्रखण्ड बैरगनिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चहारदिवारी का निर्माण करावें।''

(माननीय मंत्री अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उस समय उपस्थित नहीं थे ।

क्रमांक–17 : श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0

अध्यक्ष : श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव पढ़े हुए हैं । माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : स्मार्ट सिटी के रूप में शहरों के चयन की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धा के आधार पर की गयी थी, जिसमें राज्य संघ क्षेत्रों से 100 शहरों का चयन किया गया है । फिलहाल भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी हेतु शहरों के चयन की प्रक्रिया नहीं की जा रही है । यदि भारत सरकार द्वारा पुनः स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु चयन की प्रक्रिया शुरू की जाती है, तब नगर निगम मधुबनी द्वारा उक्त चयन की स्पर्धा में भाग लिया जा सकता है । केंद्र सरकार से नये शहरों के चयन हेतु प्राप्त दिशा–निर्देश तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भाग लेने के उपरांत तथा सफल होने पर ही मधुबनी नगर निगम के चयन की अनुसंशा संबंधित प्रस्ताव विभाग द्वारा केंद्र सरकार को प्रेषित किया जा सकेगा ।

अतः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-2 : श्री फते बहादुर सिंह, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-24 : श्री विश्वनाथ राम, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-31 : श्री कृष्ण कुमार मंटू, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-39 : श्री अरूण शंकर प्रसाद, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-42 : श्री शंभूनाथ यादव, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-54 : श्री शकील अहमद खाँ, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-77 : श्री देवेश कान्त सिंह, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

समापन भाषण

अध्यक्ष : सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र का आज समापन होने जा रहा है । पांच दिनों के इस सत्र में सत्ता पक्ष की गंभीरता और संवेदनशीलता तथा विपक्ष की जागरूकता एवं सहयोग से यह सदन सकारात्मक सत्र का गवाह बना है । बीच में कुछ अप्रिय प्रसंग भी..

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये, आप बैठ जाइये ।

आये लेकिन माननीय सदस्यगण आप सबने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिखाए उस रास्ते, जिसमें उन्होंने सहिष्णुता एवं उद्देश्य की पवित्रता को लोकतंत्र के लिए अनिवार्य माना था, पर चलते हुए न केवल जन आकांक्षाओं का ख्याल रखा, बल्कि सदन की मर्यादा का भी अनुपालन किया । इसके लिए आप सभी माननीय सदस्यगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

माननीय सदस्यगण, यह सत्र एक सकारात्मक सत्र होने के साथ-साथ ऐतिहासिक भी रहा । मुझे आपसे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि लोक सभा की तर्ज पर सदन की सहमति से सत्र का शुभारंभ राष्ट्रगान से हुआ और समापन राष्ट्रगीत से

होगा । इस सत्र के प्रत्येक कार्यदिवस में सारे विभागों से शत-प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए । इसके लिए सरकार के सभी संबंधित विभाग बधाई के पात्र हैं । विधान सभा में पहली बार जीत कर आये माननीय सदस्यों को प्रश्नकाल के दौरान क्रम से परे होकर प्रश्न पूछने में प्राथमिकता दी गयी । सिवान जिले में पांच सामाजिक अभिशापों से मुक्त, वरदानों से युक्त और सम्मानों से पूर्ण कार्यक्रम के तहत युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस सत्र के दौरान सिवान जिले के बच्चों को सदन की कार्यवाही देखने का अवसर मिला ।

(व्यवधान जारी)

आप ही के सिवान जिले की बात कर रहे हैं । इस जिले के सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं ।

लीक पर वे चले जिनके पद दुर्बल और हारे हैं,
हमारी तो यात्रा से जो बने हमें अनिर्मित पथ प्यारे हैं ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 29 नवम्बर, 2021 को प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा महामहिम राज्यपाल द्वारा...

(व्यवधान जारी)

बैठ जाइये, आप बैठ जाइये । आप जानते हैं कि जो यहां पर स्वीकृत नहीं हुआ है, उसकी यहां पर अनुमति नहीं दी जा सकती है । उसकी अपनी प्रक्रिया है, आप बैठ जायं।

प्रख्यापित बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021..

(व्यवधान जारी)

क्रमशः

टर्न-29/धिरेन्द्र/03.12.2021

क्रमशः...

अध्यक्ष : आप आसन का बहुत सम्मान करते हैं । आसन आग्रह करता है कि आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

बैठ जायें ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : अब सुन लीजिये, नेता प्रतिपक्ष....

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये । नेता प्रतिपक्ष, आप बैठ जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, संकल्प का समय है अभी । महोदय, अगर कोई आपत्ति आ जाये तो अधिकार अध्यक्ष महोदय को है.....

अध्यक्ष : उनको पहले ही बता दिये हैं अभी नहीं और सदन में इस पर चर्चा....

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, थोड़ा जस्टिफाई कर देते....

अध्यक्ष : अभिभाषण रोक कर, आप तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, बैठ जाइये.....

(व्यवधान)

सप्तदश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित आठ विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया एवं उसी दिन प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया । कुल नौ जननायकों के निधन के प्रति शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 30 नवम्बर, 2021 को माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा एवं श्री राणा रणधीर की जल संसाधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर के पश्चात् आसन द्वारा प्रभारी मंत्री जल संसाधन को निदेश दिया गया कि बड़हिया-मोकामा टाल क्षेत्र की समस्या को दूर करने के लिए एक ठोस कार्य योजना जो बनायी गयी है उसका शीघ्र कार्यान्वयन करे तथा साथ ही बिहार विधान सभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को यह विषय सौंपते हुए यह भी निदेश दिया गया कि समिति इस कार्य का पर्यवेक्षण करेगी और अगले सत्र में इस संबंध में किए गए कार्य से अंतरिम प्रतिवेदन के माध्यम से सदन को सूचित करेगी ।

दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 के प्रतिवेदनों यथा ''वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)'', ''विनियोग लेखे'' तथा ''राज्य का वित्त'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा षष्ठम राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन, खण्ड-1 एवं 2 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी एवं उसी दिन वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शिक्षा विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई एवं शेष माँगें गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुईं । तत्पश्चात् संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

(1) बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021

(2) बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

(3) बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021

(4) बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021

इस सत्र में कुल 890 प्रश्न प्राप्त हुए । इन 890 प्रश्नों में कुल 31 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 31 के उत्तर प्राप्त हुए, 649 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 633 के उत्तर प्राप्त हुए । शत प्रतिशत उत्तर प्राप्त हुए । साथ ही 107 प्रश्न अतारांकित हुए, जिनमें 20 के उत्तर प्राप्त हुए ।

इस सत्र में कुल 101 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 90 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभाग को भेजे गये एवं 03 अमान्य हुए ।

इस सत्र में कुल 129 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 127 स्वीकृत हुए एवं 02 अस्वीकृत हुए । कुल 48 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 46 स्वीकृत एवं 02 अस्वीकृत हुई। इस सत्र में कुल 91 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई ।

इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से अनेक जनहित के मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, नियमावली एवं अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ ।

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

माननीय सदस्यगण, क्रिसमस एवं नव वर्ष, 2022 के शुभागमन की बेला में, मैं आप सभी माननीय सदस्यों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ तथा नव वर्ष प्रदेश की जनता के लिए सुख समृद्धि लेकर आए और आप सभी का जीवन सुखमय हो, इसके लिए शुभकामना देता हूँ ।

साथ सदन का हो तो, इतिहास नया बनेगा,
यह समृद्ध बिहार अपना, कीर्तिमान नया गढ़ेगा ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तत्पश्चात् राष्ट्रगीत बजाने के बाद सभा की बैठक
अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हुई)